तृतीय माला, खंड 58, अंक 11 सोमवार, 8 अगस्त, 1966/17 श्रावण, 1888 (शक)

Third Series, Vol. LVIII, No. 11 Monday, August 8, 1966/Sravana 17, 1888 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

[खंड 58 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

(तृतीय माला, खण्ड 58—पन्द्रहवां सत्र, 1966)

अंक 11, सोमवार, 8 अगस्त, 1966/17 श्रावण, 1888 (शक)

No. 11, Monday, August 8, 1966/Sravana 17, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्रश्न संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
300.	रूसी जेट विमानों का प्राप्त किया जाना	Acquisition of Russian Jets .	1—3
302.	इलेक्ट्रानिक्स उद्योग	Electronics Industry .	3—5
303.	गियाना स्वतंत्रता दिवस समारोह	Guyana Independence Day Celebrations	5-6
304.	परमाणु शस्त्रों के फैलाव को रोकने के बारे में सन्धि	Treaty on non-proliferation of nuclear weapons	7—12
306.	पादरी माइक्ल स्काट से बरामद किये गये कागजात	Papers recovered from Rev. Michael Scott .	12—16
307.	विदेशों को संसत्सदस्यों के शिष्टमण्डल	Delegation of M.Ps. to Foreign Countries	16—18
308.	सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये शक्तिशाली ट्रांसमीटर	Transmitters for Border Areas	18-19

अल्प सूचना प्रश्न संख्या SHORT NOTICE QUESTION NOS.

5.	तीसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता ।	Achievements of Third Five Year Plan .	19—23

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1429 (Ai) L S —A

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
305.	संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिये जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को समर्थन	Support to GDR for U.N. Membership	24
309.	राष्ट्रिकताहीन (स्टेटलेस) व्यक्तियों के बारे में भारत और श्रीलंका के बीच करार	Indo-Ceylonese Agreement on Stateless Persons	24
310.	रेडियो से चुनाव संबंधी प्रचार	Broadcast of Election Propaganda	25
311.	सुरक्षा परिषद में काश्मीर का मामला	Kashmir Issue in Security Council	25
312.	चीन द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन	Air Space Violations by China	25–26
313.	राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन	Commonwealth Prime Ministers' conference.	26
314.	भारत को हथियारों की सहायता बन्द करने के बारे में पाकिस्तान द्वारा रूस पर दबाव	Pak. pressure on U.S.S.R. to stop Arms Aid to India	26
315.	राष्ट्र मण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन के बारे में जाम्बिया के प्रधान मंत्री का सुझाव	Zambian Prime Minister's suggestion about Commonwealth Prime Ministers' Conference	26–27
316.	भूटान को चीन से खतरा	Chinese threat to Bhutan	27
317.	प्रतिरक्षा योजना	Defence Plan	27–28
318.	बर्मा सरकार से सहयोग	Co-operation from Burma Government	28
319.	हेलीकाप्टरों का निर्माण	Manufacture of Helicopters	28
320.	चीन द्वारा सिक्किम और भूटान में अतिक्रमण	Intrusions by Chinese into Sikkim and Bhutan	29
321.	उड़ते हुए विमानों का पता लगाना	Detection of Flying Aircrafts	29
322.	भारतीय सेना के लिये खच्चर	Mules for Indian Army	29–30
323.	परमाणु विकास कार्यक्रम	Nuclear Development Programme	30
324.	अमरीकी विमानों द्वारा हनोई हाईफोंग क्षेत्र में बमबारी	Bombing of Hanoi Haiphong region by U.S. Planes	31

S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
325. महाराजा रणजीत सिंह की समाधि	Samadhi of Maharaja Ranjit Singh	31
326. राज्यों के सूचना और प्रसारण मंत्रियों की बैठक	Meeting of State Ministers of Information and Broadcasting	32
327. कच्छ विवाद के बारे में नक्शों की जांच	Examination of Maps on Kutch Issue	32
328. मिजो तथा नागा विद्रोहियों को प्रशिक्षण देने के लिये पूर्वी पाकिस्तान में स्थापित किये गये केन्द्र	Centres set up in East Pakistan for Training Mizos and Hostile Nagas	33
329. चीनियों द्वारा अतिक्रमण	Intrusion by the Chinese	33
अतारांकित प्रश्न संख्या	UNSTARRED QUESTION NOS.	
1554. श्रीनगर लेह सड़क	Srinagar Leh Road	34
1555. लंकास्टर में भारतीय सिनेमा	Indian Cinema in Lancaster	34
1556. जोहेन्सबर्ग में भारतीय	Indians in Johansburg	34–35
1557. जम्मू तथा काश्मीर में सैनिक स्कूल	Sainik School in Jammu and Khasmir	35
1558. लेजर संचार प्रणाली	Laser Communication System	35–36
1559. राष्ट्रीय रक्षा परिषद	National Defence Counci	36
1560. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन	Amendment of U.N. Charter	36–37
1561. तिब्बत के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण	India's stand on Tibet	37
1562. पश्चिम जर्मनी से सैनिक साज सामान की सप्लाई	Military Supplied from West Germany	37–38
1563. भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण	Demarcation of India-Pakistan Border	38–39
1564. अमरीका द्वारा दक्षिण वियतनाम में विषाक्त रसायनों का प्रयोग	Use of toxic chemicals by U.S.A. in South Vietnam	39
1565. भारतीय क्षेत्र पर चीन का दावा	Chinese Claim on Indian Territory	39–40
1566. महिला विमान चालक	Women Pilots	40

U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
1567.	इजराइल द्वारा परमाणु बम का निर्माण	Manufacture of Atom Bomb by Israel .	41
1568.	नौसेना के कर्मचारियों द्वारा नागरिकों की मारपीट	Assault on Civilian by Naval Personnel	41
1569.	बर्मा में नजरबन्द भारतीय लोग	Indian detenus in Burma .	41–42
1570.	अणुशक्ति का विकास .	Development of Atomic Energy .	42–43
1571.	सीमावर्ती सड़कें .	Border Roads	43–44
1572.	आकाशवाणी द्वारा अंग्रेजी का प्रयोग	Use of English on A.I.R.	44
1573.	महाराष्ट्र राज्य के निर्माण तथा पर्यटन मंत्री की पश्चिम जर्मनी की यात्रा	Visit to Germany by Minister of Works and Tourism of Maharashtra State . .	44–45
1574.	आकाशवाणी के एक कर्मचारी द्वारा नक्शे की चोरी की जांच	Enquiry into theft of Map by an Employee of A.I.R.	45
1575.	आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण .	Modernisation of Ordnance Factories.	45
1576.	मलयाली फिल्म 'चीमीन'	Malayalam Film 'Chemeen' . .	45–46
1577.	पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सीमा निर्धारण	Demarcation of India-East Pakistan Border .	46
1578.	नेपाल, भूटान और सिक्किम में विकास कार्य	Development Works in Nepal, Bhutan and Sikkim	47
1579.	नौसेना के विमान की दुर्घटना	Navy Plane Crash	47–48
1580.	ई० एम० ई० और आर्मी स्टेशन वर्कशापों में फालतू श्रमिक . .	Surplus Workers in E.M.E. and Army Station Workshops	48
1581.	रोडेशिया के बारे में जम्बिया के राष्ट्रपति कौन्डा द्वारा वक्तव्य .	Statement by President Kaunda of Zambia re: Rhodesia	48–49
1582.	अखबारी कागज की कमी	Shortage of Newsprint . .	49

अता० प्र० संख्या

U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1583.	बाल फिल्म सोसाइटी	Childrens' Film Society .	49
1584.	परिष्करण संस्थाएं .	Refining Institutions .	50
1585.	कालपक्कम (मद्रास) में अणुशक्ति केन्द्र	Atomic Power Station, at Kalpakam (Madras)	50
1586.	श्री ए० जेड० फिजो के साथ बातचीत .	Talks with Mr. A.Z. Phizo	50
1587.	अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य	Statement of Chairman Atomic Energy Commission	51
1588.	भारतीय फिल्म संस्था .	Film Institute of India	51—52
1589.	प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित सरकारी उपक्रमों में निर्मित समान का निर्यात	Export of Golds Manufactured by Public Undertakings controlled by Ministry of Defence	52
1590.	पुराने माल .	Obsolescent Stores .	52-53
1591.	मरमागाओ में नाविक अड्डा	Naval Base at Marmagao	53
1592.	पोर्ट ब्लेयर में नौसैनिक सुविधाएं	Naval Facilities at Port Blair	54
1593.	राइफलों तथा पिस्तौलों का निर्माण	Manufacture of Rifles and Pistols	54
1594.	भारतीय उद्भव के कर्मचारियों को जफना नगरपालिका सेवा से निकाला जाना	Dismissal of Workers of Indian Origin from Jaffna Municipal Service . .	55
1595.	मलेशिया, थाइलैंड, इन्डोनेशिया तथा फिलीपाइन्स का संघ	Union of Malaysia, Thailand, Indonesia and Philippines	55
1596.	ग्रामीण सामुदायिक रेडियो सेट	Rural Community Listening Sets	55-56
1597.	केन्द्रीय आयुध डिपो कानपुर के कर्मचारी	Employees of C.O.D. Kanpur	56
1598.	प्रक्षिपणास्त्र (मसाइल) .	Missiles .	56
1599.	लापता सैनिक कर्मचारी .	Missing Army Personnel	56-57
1600.	श्री ए० जेड० फिजो का वक्तव्य	Statement by Mr. A.Z. Phizo	57
1601.	स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के फोटो आदि की प्रदर्शनी	Exhibitions on the Late Shri Jawaharlal Nehru's Photos, etc	57

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1603.	राकेटों का निर्माण	Malfunctioning of rockets	58
1604.	मद्रास में नया सैनिक स्कूल	New Sainik School at Madras	58
1605.	हंगरी की सहायता से टेलीविजन सेवा का विस्तार	Extension of Television Service with Hungarian Assistance	58-59
1606.	प्रधान मंत्री के सचिव द्वारा बर्मा की यात्रा	Visit to Burma by Secretary to the Prime Minister	59
1607.	मध्यम दर्जे के परिवहन विमान	Medium Transport Aircraft	59
1608.	पाकिस्तान में चीन के सैनिक विशेषज्ञ	Chinese Military Experts in Pakistan	59-60
1609.	रेडियो सीलोन से भारतीय गीत	Indian Songs over Radio Ceylon	60
1610.	भारतीय वायुसेना के लिये सामान का इंडैंट	Indent for I.A.F. Equipment	60
1611.	शांति सेना (पीस कोर)	Peace Corps	61
1612.	सेमी कंडक्टरों तथा वाल्वों के मूल्य	Prices of Semi Conductors and Valves	61
1613.	तिरूचिरापल्ली में नया शस्त्र कारखाना	New Arms Factory at Tiruchirapalli	61-62
1614.	मास्को में भारतीय दूतावास के बुलटिनों का प्रचार	Publicity of Bulletins of Indian Embassy in Moscow	62
1615.	अवमूल्यन के बाद अखबारी कागज के मूल्य	Prices of Newsprint Consequent on Devaluation	62-63
1616.	नेपाल सरकार की प्रार्थना	Request from Nepal Government	63
1617.	एक अणुशक्ति वैज्ञानिक की मत्यु	Death of an Atomic Scientist	63
1618.	अखिल भारतीय राइफल संस्था के लिये कारतूस	Cartridges for All India Rifle Association	63-64
1619.	नियमित सेना में एन० सी० सी० कैडट	N.C.C. Cadets in Regular Army	64
1620.	इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers	64-65
1621.	देशों के राजदूतों के बैंगकाक सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेना	India's Participation in Bangok Conference of Ambassadors of Asian Countries	65

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1622.	दलाई लामा . Dalai Lama . .	65-66
1623.	ब्रिटेन के राजनयिक शिष्टाचार नियम . . Rules followed by Britain .	66
1624.	दक्षिण वियतनाम में भारतीय महा वाणिज्य दूत Indian Consul-General in South Vietnam	66
1625.	राष्ट्रीय छात्र सेना का प्रशिक्षण . . N.C.C. Training .	67
1626.	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी का प्रयोग . Use of Hindi in Indian Missions Abroad .	67
1627.	आकाशवाणी को दुलर्भ संगीत रिकार्ड दिये जाना Presentation of Rare Music Records to A.I.R.	67-68
1628.	परभनी में आकाशवाणी का केन्द्र . . . Parbhani A.I.R. Station	68
1629.	सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय में स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्ति Voluntary Retirement in Armed Forces Headquarters	68
1630.	कृषि संबंधी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडेट N.C.C. Cadets for Agricultural Projects	69
1631.	नासिक के निकट पाये गये बम . . Bombs found near Nasik .	69
1632.	अपाहिज सैनिकों को बसाना Rehabilitation of disabled soldiers. . .	70
1633.	भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये विशेष सेवा निधि Special Services Fund for Rehabilitation of Ex-Servicemen	70-71
1634.	बर्मा में कैद भारतीय नागा Indian Nagas imprisoned in Burma . .	71
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	71
	युद्ध विराम रेखा पर पाकिस्तानी सशस्त्र सेना का जमाव Massing of Pakistani Armed Forces on the Cease Fire Line	71—74
	ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न) Re : Calling Attention Notices (Query)	74
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में Re : Question of Privilege . .	74-75
	राज्य सभा से सन्देश Message from Rajya Sabha . . .	76
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया । University Grants Commission (Amendment) Bill as Passed by Rajya Sabha . .	76

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 1965 वापस लिया गया	Criminal Law (Amendment) Bill 1965—Withdrawn . . .		76
दंड विधि संशोधन (संशोधी) विधेयक 1966–प्रस्तुत किया गया	Criminal Law Amendment (Amendments) Bill 1966—Introduced . . .		76-77
जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध को हाथ में लेना) विधेयक—प्रस्तुत किया गया	Jayanti Shipping Company (Taking Over of Management) Bill—Introduced		77
कुछ वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाये जाने के बारे सांविधिक संकल्प—स्वीकृत	Statutory Resolution Re : Leaving Export Duty on Certain Items—Adopted .		78—83
श्री शफी कुरेशी		Shri Safi Qureshi	78
श्री नारायण दांडेकर		Shri Dandekar	78—80
श्री प्र० चं० बरूआ		Shri P.C. Borrooah	80-81
श्री वासुदेवन नायर		Shri Vasudevan Nair	81-82
श्री हिम्मतसिंहका		Shri Himatsingka	82-3
श्री जोकीम आल्वा		Shri Jaochim Alva	83
श्री मनुभाई शाह		Shri Manubhai Shah	83—86
देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re : Present Economic Situation in the Country		86—91
श्री च० का० भटटाचार्य		Shri C.K. Bhattacharyya	86-87
श्री वासुदेवन नायर		Shri Vasudevan Nair .	87-88
श्री अशोक मेहता		Shri Asoka Mehta	88—90
श्री के दे० मालवीय		Shri K.D. Malaviya .	91
दुर्गापुर की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re : Situation in Durgapur .		91—93
श्री वि० ना० सिंह		Shri T. N. Singh	92-93
एयर इण्डिया द्वारा 'पी०' फार्मों के बिना टिकट दिये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion Re : Issue of Tickets by Air-India Without 'P' Forms.		94-95
श्री मधु लिमये		Shri Madhu Limaye .	94
श्री संजीव रेड्डी		Shri Sanjiva Reddy .	94-95

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK-SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार 8 अगस्त, 1966 / 17 श्रावण, 1888 (शक)
Monday August 8, 1966/Sravana 17, 1880 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

रूसी जेट विमानों का प्राप्त किया जाना

*300. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नम्बियार :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरूआ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तीन रूसी टी० यू० 124 जैट विमान प्राप्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन का मूल्य कितना है और क्या उसका भुगतान रुपयों में किया गया है ; और

(ग) क्या कैरोविल की तरह उन्हें भी नियमित यात्री विमान सेवा के काम में लाया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) अदायगी विलम्बित अदायगी के आधार पर भारतीय मुद्रा में की जानी है । विमान की कीमत प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

(ग) जी नहीं । विमान वायु सेना के संचार स्क्वैड्रन के लिए है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या रूस से और टी०यू०– 124 जेट विमान मंगाने हैं और यदि हां, तो ऐसे विमानों की क्या संख्या है ?

श्री अ० म० थामस : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि हम रूस से 3 टी० यू० जेट विमान ले रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इन तीन के अतिरिक्त और विमान भी खरीदे जा रहे हैं ?

श्री अ० म० थामस : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : "मिग" विमानों को भारत में बनाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ? हम विमानों को इसलिए खरीद रहे हैं क्यों कि हमारे पास अपने ऐसे विमान नहीं हैं। मिग विमान बनाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है? क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

श्री अ० म० थामस : मुख्य प्रश्न सीमित प्रकार का है । इसका संबंध केवल "टी०यू० 124 जैट" विमानों की खरीद से है । मैं कह चुका हूं कि ये विमान केवल यातायात के प्रयोग के लिये हैं । वास्तव में हमारे पास यातायात के लिये इस समय लगभग 10 हवाई जहाज हैं जिनमें 2 वाइकाउन्ट, 5 ऐब्रो तथा दो या तीन डकोटा हैं । "वाइकाउन्ट" विमान जो 1956 में खरीदे गये थे अब पुराने हो गये हैं और हमें इन्हें बदलना है । इसीलिये इन तीनों विमानों को यातायात के लिये खरीदा जा रहा है । जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, हमारा कानपुर में "एव्रो" विमान बनाने का कार्यक्रम है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न केवल यह था । हम इन विमानों को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे विमान नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा कार्यक्रम बना रखा है । किन्तु मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न इस प्रकार से हैं, कि हम विमान इसलिए खरीद रहे हैं क्यों कि वह हमारे पास नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य की बात को समझ लिया है । कुछ पहलुओं में वे बिल्कुल ठीक हैं, किन्तु इसका उत्तर मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत नहीं दिया जा सकता ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it one of the r easons for the purchase of the TU-124 jet aeroplanes that they can also be utilised for other purposes apart from Communications during emergency ?

श्री अ० म० थामस : तात्कालिक आवश्यकता के समय में हम एक विमान को दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं । किन्तु इस विशेष स्थिति में ये विशेषतया प्रकार से यातायात के लिए तथा यात्रियों के आवागमन के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं । इसी मुख्य विचार से हम इन तीन विमानों को खरीद रहे हैं ।

श्री सं० चं० सामन्त : इन विमानों में कितने यात्री बैठ सकते हैं तथा हम भविष्य में कितने प्रतिशत पुर्जे भारत में बना सकेंगे ?

श्री अ० म० थामस : हमने विमानों के साथ-साथ पुर्जे खरीदने का भी प्रबन्ध किया है । अपने ही देश में पुर्जे बनाने का कोई प्रश्न नहीं है । यात्रियों को बिठाने की क्षमता के बारे में मैं यही कहूंगा कि दो इंजनों की उड़ान के साथ सेवा पर जाने का भार 36,500 कि० ग्रा० है ।

Shri M.L. Dwivedi : We have demanded ten planes from Russia but why they have supplied only three to us. May I know whether we are negotiating to obtain rest of the planes from some other country to do away with our shortags ? If so, wherefrom and how many planes will be obtained ?

श्री अ० म० थामस : मैं ने कई बार कहा है कि इन विमानों को सीमित उद्देश्य से खरीदा जा रहा है। हमने 3 विमानों की मांग की थी और हमें तीन मिल रहे हैं।

श्री दाजी : मंत्री महोदय ने बताया है कि उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। क्या यह सच नहीं है कि कानपुर में जनवरी, 1965 से अबतक उत्पादन-काय रुका पड़ा है, तथा उस तिथि से और आज तक किसी भी ऐव्रो का निर्माण नहीं हो सका ? यदि हां, तो इस तथ्य का मंत्री महोदय के इस कथन के साथ कि उत्पादन बढ़ाया जा रहा है कैसे तालमेल बैठता है ?

श्री अ० म० थामस : ऐसा नही है। वास्तव में युद्धकाल के दर्मियान विदेशों से कुछ समय तक पुर्जे न आने के कारण उत्पादन रुका रहा। तदनन्तर संघ के कुछ कार्य-कलापों के कारण वहां हड़ताल रही। इसी कारण अल्पकाल के लिये उत्पादन रुका रहा। मेरे माननीय मित्र श्री स० मो० बनर्जी को इसकी पूरी जानकारी है।

श्री स० मो० बनर्जी : कर्मचारियों की हड़ताल का कोई प्रश्न नहीं है। वहां कोई उत्पादन नहीं हो रहा है।

श्री अ० म० थामस : हमने भारतीय वायुसेना से यातायात तथा प्रशिक्षण विमान देने के जो वायदे किये हैं, उन्हें पूरा करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं।

इलेक्ट्रानिक्स उद्योग

*302. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग का विकास करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने में कितनी प्रगति हुई है ताकि उस क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सके ; और

(ख) इस समय मामला किस स्थिति में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख): भाभा समिति ने देश में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास के लिये अपने प्रतिवेदन में एक क्रमबद्ध योजना दर्शाई है। पुर्जों की किस्में, स्थापित की जाने वाली निर्माण-इकाइयों की संख्या तथा उनकी उत्पादन क्षमता संबंधी सीमा को ध्यान में रखकर सचिवों की समिति ने उसमे की गई सिफारिशों की विस्तृत्त जांच की है। सचिवों की समिति के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

इसी दौरान सरकार ने भाभा समिति की सिफारिशों को, जहां कहीं तत्काल सम्भव था कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है, जैसे---संयोजकों, स्विचों आदि को बनाने का लाइसेंस देना।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेमि-कण्डक्टर्स लिमिटेड, पूना तथा कॉटिनेण्टल डिवाइस लिमिटेड, फरीदाबाद में सिलिकन तरीकों के उत्पादन को बढ़ाने की कार्यवाही की गई है। भारत

इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वाल्वों तथा दूसरे पुर्जों का निर्माण बढ़ा रहे हैं तथा उपकरणों-संबंधी कुछ नई वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ किया जा रहा है। बम्बई में अणु ऊर्जा संस्थान को हैदराबाद में पुर्जों और दूसरे उपकरणों की व्यापारिक उत्पादन इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दे दी गई है। बहुत सी राष्ट्रीय तथा दूसरी प्रयोगशालाओं को, विशेष पुर्जों, उदाहरणार्थ, बैटरियों, धारित्रों, सूक्ष्मतरंग के पुर्जों तथा दूसरे कच्चे तथा तैयार करने वाले सामान का जिसकी सन्तोषजनक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के संस्थापन में आवश्यकता होगी, अनुसंधान तथा विकास संबंधी समस्यायें सौंपी गई हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं ने वक्तव्य को पढ़ा है। इसमें बहुत सारे नाम हैं जिनकी ठीक-ठीक सूचना नहीं दी गई है। सचिवों की समिति की ठीक-ठीक सिफारिशें क्या हैं और उनमें से कितनी कार्यान्वित की गई हैं ?

श्री हाथी : सचिवों की समिति ने भासा समिति की अधिकतर सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार का सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में इलाक्ट्रानिक्स वस्तुयें बनाने वाले कारखानों को बढ़ाने का विचार है तथा हमारा देश प्रतिरक्षा तथा दूसरे क्षेत्रों में आवश्यक इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के संबंध में कब तक आत्मनिर्भर होने जा रहा है ?

श्री हाथी : भाभा समिति ने 10 वर्षीय कार्यक्रम की सिफारिश की है जिसके अन्तर्गत हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सकेगी। जहां तक पुर्जों का संबंध है, लाइसेंस दिये जायेंगे तथा सरकारी क्षेत्र को भी लाइसेंस दिये जा रहे हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : चतुर्थ योजना में विद्युत् सामग्री के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा हम उन्हें कब तक प्राप्त कर सकेंगे ?

श्री हाथी : दस वर्ष के लिये 170 करोड़ रुपये का व्यय उपबन्धित है तथा सम्पूर्ण उत्पादन 1650 करोड़ रुपये के मूल्य का आंका गया है।

श्री मती सावित्रि निगम : क्या मंत्री महोदय को विदित है कि बहुत सारी इकाइयां जो बहुत अच्छे उपकरण बना रही हैं, कच्चे माल जैसे तांबे के तार तथा दूसरी चीजों की कमी के कारण बन्द कर दी गई हैं, या बन्द होने वाली हैं ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि इलेक्ट्रानिक्स के पुर्जे बनाने वाली कोई इकाई बद करदी गई। कच्चे सामान की कमी हो सकती है, किन्तु किसी इकाई के बद किये जाने की मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

Shri Bhagwat Jha Azad : The Government have acceptted the recommendations of the Bhabha Committee and it is also a fact that these recommendations had to be implemented within ten years. But is it not a fact that the implementation has only been carried out in very few areas and the recommendations of the Bhabha Committee after having been accepted, are lying under ground ?

Shri Hathi : The report of the Bhabha Committee was received in February 1966, *i.e.* five months back. After that the Committee of Secretaries screened it and now the Government are looking into it. But before that many things, which he referred to, have been implemented.

श्री श्रीनारायण दास : वक्तव्य से यह जान पड़ता है कि अनुसंधान तथा विकास की समस्यायें राष्ट्रीय प्रयोगशाला तथा दूसरी प्रयोग शालाओं को भेज दी गई हैं । क्या किसी भारतीय विश्व-विद्यालय को हल करने, जांच करने या अनुसंधान करने के लिये कोई समस्या दी गई है ?

श्री हाथी : विश्वविद्यालयों को नहीं अपितु राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को, उदाहरणार्थ जैसे पिलानी संस्थान है ।

गियाना स्वतंत्रता दिवस समारोह

+

*303. **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री भागवत झा आजाद : **श्री मधु लिमये** :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गियाना के स्वतन्त्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिये कोई दल भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो उस दल के सदस्य कौन-कौन थे, उस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और भारत तथा उसकी नीतियों के प्रति गिआना की नई सरकार के रवैये के सम्बन्ध में इस दल का क्या अनुमान है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) श्री दिनेश सिंह, राज्य मंत्री, के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें निम्न-लिखित व्यक्ति थे :

(1) श्री जी० पार्थसारथी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ।

(2) श्री एस० विक्रम शाह, निदेशक (अमरीका) विदेश मंत्रालय ।

(3) श्री मुनि लाल , भारत के हाई कमिश्नर, पोर्ट आफ़ स्पेन, ट्रिनिडाड ।

(4) श्री कुंदन लाल, भारत के सहायक कमिश्नर, जार्जटाउन, गियाना ।

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विदेशी मुद्रा का वास्तविक ख़र्च पांच हजार रुपये से ज्यादा नहीं था, वैसे खर्च के आखिरी आंकड़े अभी सम्बद्ध मिशनों से आने हैं ।

गियाना की नई सरकार का भारत की ओर दोस्ती का रवैया है और हमारे विचार से वह हमारी नीतियों को समझती और सराहती है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या हमको इसके लिये विशेष निमंत्रण मिला था और यदि हां, तो हमारा दल वहां कितने दिन रहा ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमको एक विशेष निमंत्रण तो मिला ही था तथा जैसे परम्परा रही है कि ऐसे शुभ अवसरों पर जब कि किसी उपनिवेश को स्वतन्त्र देश बनाने की घोषणा की जा रही हो, हम किसी मंत्री के नेतृत्व में शिष्टमंडल भेजते रहे हैं तथा इस अवसर पर भी जब कि एक ब्रिटेन के उपनिवेश को स्वतन्त्रता प्राप्त हो रही थी हमने भाग लेने का विचार किया । जैसा कि

सदस्यों को निस्सन्देह ज्ञात होगा कि इस अवसर पर सम्मिलित होना इसलिये भी आवश्यक था क्योंकि वहां के अधिकांश लोग भारत के मूल निवासी हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या दूसरे अफ्रीकी देशों ने भी इस प्रकार के निमंत्रण भेजे हैं तथा हमने उन्हें स्वीकार किया और वहां अपने शिष्टमंडल भेजे ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी, हां । दूसरे अफ्रीकी देश भी जो अब स्वतन्त्र हैं, और जब उन्होंने औपनिवेशिक शासन से स्वतन्त्रता प्राप्त की, तब हमने उनके स्वतन्त्रता दिवस तथा स्वतन्त्रता की घोषणा होने के प्रथम दिवस पर अपने विशेष शिष्टमण्डलों को वहां भेजा था ।

Shri M.L. Dwivedi : Guyana has recently attained independence. We sent our delegation there. I would like to know that how could be judge that their policies are consistent with our policies ? How have you come to know that and has there been some change with regard to the policies of Guyana now ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं कह चुका हूं कि हमने इसमें भाग लिया और मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है। इसके लिये क्षमा मांगना अपेक्षित नहीं है । वास्तव में हमारी ऐसे महान अवसरों पर, जब कि कोई देश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करके स्वतन्त्र हो रहा हो, भाग लेने की अनवरत परम्परा रही है ।

दूसरे प्रश्न पर कि हमको उनकी नीति कैसे ज्ञात हुई, मैं समझता हूं कि ऐसे स्वतन्त्रता प्राप्ति के महान अवसर पर उनकी प्रसन्नता एवं उत्साह में भाग लेने के अतिरिक्त हमारा विचार-विनिमय का भी एक बड़ा उद्देश्य था तथा इसके परिणामस्वरूप मैंने वक्तव्य दिया है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Had Dr. Cheddi Jagan, the opposition leader of the new Government drawn the attention of our Delegation towards the policy of the British Government under which, though the majority of the people support Dr. Cheddi Jagan yet on account of Electoral policy of the British Government the majority party has been turned into opposition party and the minority has formed the Government ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे प्रतिनिधिमंडल के नेता को डा० छेदी जगन से विचार विनिमय करने का मौका मिला था । वह सरकार के नेताओं तथा विरोधी दल के नेता डा० छेदी जगन से भी मिले ।

श्री हरि विष्णु कामत : जो दल के नेता बन कर वहां गये थे वह मौन क्यों हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : क्योंकि मैं बोल रहा हूं, हम में से दोनों एक साथ नहीं बोल सकते जैसा कि विरोधी दलों के सदस्य नहीं करते हैं । हम अधिक अनुशासन का पालन करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब वह उत्तर दे रहे हैं तो वे क्यों हस्तक्षेप करें ?

श्री स्वर्ण सिंह : निर्वाचक - मण्डल का प्रश्न पहले भी इस सभा में रखा गया तथा मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि इस सभा के एक माननीय सदस्य, श्री बाकर अली मिर्जा वहां पर हो रहे चुनावों के दर्मियान उस देश में गये थे तथा हमारी सदैव यह राय रही है कि जो निर्वाचन की प्रणाली ब्रिटेन ने वहां पर चलाई है वह उचित नहीं है । क्योंकि उससे वहां की जनता का ठीक मत किसके पक्ष में है इसका पता नहीं चलता है । यही बात उन कई अवसरों पर फिर से दुहराई गई जब भी हम गियाना के नेताओं के सम्पर्क में आये तथा हमने उपनिवेशवादी देश का भी अपना दृष्टिकोण सदैव स्पष्ट किया हैं ।

परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने के बारे में संधि

+

*304. **श्री श्रीनारायण दास :** **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री रा० बरुआ :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री मं० क० कुमारन् :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग द्वारा, जिसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश हैं, परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने के लिये एक सन्धि की व्यवस्था करने के प्रश्न को 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति को सौंपे जाने के पश्चात् इस दिशा में कोई प्रगति हुई है, और यदि हां, तो क्या ;

(ख) सभी राष्ट्रों द्वारा आंशिक अणुपरीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि का पालन किये जाने के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के संकल्पों के बावजूद किसी राष्ट्र ने परमाणु परीक्षण किये हैं और यदि हां, तो किन-किन राष्ट्रों ने; और

(घ) क्या उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भारत ने कोई रचनात्मक प्रयास किए हैं और यदि हां, तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पिछली गर्मियों में निरस्त्रीकरण समिति की बैठक के बाद संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ की सरकारों ने परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने की संधियों का अलग-अलग मसौदा पेश किया है। इन दोनों सरकारों ने बाद में उस सवाल पर कुछ अतिरिक्त प्रस्ताव पेश किए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने बीसवें अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वे सिद्धान्त भी थे जिन पर परमाणु-अस्त्रों के फैलाव को रोकने से सम्बद्ध संधि आधारित होनी चाहिये। इस विषय में गुटों से अलग देशों ने अपने विचार और प्रस्ताव रखे हैं। इन विभिन्न प्रस्तावों पर 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति में अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) आंशिक परमाणु प्रतिबन्ध संधि पर सभी के पालन कराने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

(ग) परमाणु अस्त्रों के परीक्षण की निन्दा करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों के बावजूद संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ ने भूमि के नीचे बराबर परीक्षण किए हैं तथा फ्रांस और चीन लोक गणराज्य ने जमीन के ऊपर परमाणु परीक्षण किये हैं।

(घ) परमाणु-परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बद्ध व्यापक समझौता शीघ्र करवाने और परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने के लिए शीघ्र संधि करवाने की दिशा में भारत ने 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति में और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर बराबर कोशिश की है।

श्री श्री नारायण दास : क्या इन परमाणु शक्तियों के बीच हुए सम्मेलनों एवं वार्ताओं में क्या ऐसे संकेत मिले हैं कि वर्तमान परमाणुशक्तियां यह वचन देने को तैयार हैं कि वे दूसरे देशों को परमाणु अस्त्र तथा तत्सम्बन्धी तकनीकी जानकारी नहीं देंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने का एक महत्वपूर्ण पहलू है तथा ये सब इसके भाग हैं। किसी परमाणु शक्ति रहित प्रदेश का परमाणु अस्त्रों का दिया जाना तथा तत्सम्बन्धी तकनीकी जानकारी देने का दूसरा प्रश्न भी परमाणु-अस्त्रों के फैलाव को रोकने की सन्धि के महत्वपूर्ण भाग हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश इस सम्बन्ध में प्रगति अन्तराष्ट्रीय समुदाय की आशाओं के अनुकूल नहीं हुई।

श्री श्री नारायण दास : विश्व की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा चीन का एक परमाणु-शक्ति के रूप में उदय होने से, युद्ध और शान्ति के प्रति उसके रुख को देख कर, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार इसे एक व्यवहारिक प्रस्थापना समझती है कि परमाणु अस्त्रों के बनाने पर तथा परीक्षणों पर व्यापक प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक है कि जो कारण माननीय सदस्य ने दिये हैं वे सफल निष्कर्ष तथा व्यापक सन्धि, जिसका कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, के मार्ग में बड़े बाधक होते हैं। किन्तु यदि विश्व को परमाणु अस्त्रों के विनाश से बचाना है तो इस दिशा में प्रयत्न किये जाने चाहियें ताकि परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोका जाये और संसार परमाणु अस्त्रों की धमकी से बचाया जा सके।

Shri Bhagwat Jha Azad : The greatest success of United Nations Disarmament Commission for non-proliferation of nuclear weapons is that it failed in each and every conference barring partial success on one or two occasions. May I know which of the two that is America or Russia, who are the leading nations, moved the maximum number of Resolution in its favour and who has rejected them at maximum occasions. Is it a fact that other powers which sit round the table there are bound to remain silent.

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने के लिये जिस सन्धि पर विचार होना है तथा अन्तिम निर्णय लिया जाना है, उसमें दो बड़ी परमाणुशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस को बहुत प्रभावशाली भाग लेना है क्योंकि इन देशों पर इस प्रकार के समझौते का बहुत असर पड़ेगा। किन्तु इसके साथ ही यह भी याद रखना चाहिये कि तटस्थ देशों का जो समूह अठारह देशों के निरस्त्रीकरण समिति में कार्य कर रहा है, उनको भी एक बड़ा भाग लेना है, क्योंकि वे दो प्रमुख परमाणुशक्तियों को विचार करने के लिये सुझाव दे सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दो बड़े कारणों से प्रगति नहीं हो रही है। एक तो नाटो (NATO) के अन्तर्गत परमाणु प्रबन्धों के विभाजन के सम्बन्ध में लगातार चल रहे पूर्व और पश्चिम के भेदों का होना, तथा दूसरे परमाणु शक्तियों द्वारा शस्त्रों की दौड़ को रोकने और पलटने के लिये नियत की गई व्यवस्थाओं के समावेश करने की आवश्यकता को पहचानने की अस्वीकृति है। ये ही दो मुख्य विचार हैं। मुझे यह बताने में हिचकिचाहट होगी कि दोनों देशों में से किस देश ने दूसरे देश के प्रस्तावों को अस्वीकृत किया है।

Shri M. L. Dwivedi : According to the informations furnished by the hon. Minister if I understood him correctly whether Pakistan had also signed this Treaty. I would like to know whether Government of India is aware of the fact that China has been thinking of sup-

pling Atomic Weapons to Pakistan? Even if they know, this is a fact that Pakistan has been getting aid from China. May I know if the Government are communicating with other Signatories of the Treaty to the effect that efforts should be made to prevent such Treaty and exchange of arms between China and Pakistan ?

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसी जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान में परमाणु भट्टी स्थापित करने के बारे में पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौता हुआ है या समझौते पर विचार हो रहा है। किन्तु हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है कि पाकिस्तान को चीन से परमाणु-शस्त्र मिलने के बारे में कोई बातचीत हो रही है या समझौता होने को है। हमारे पास कोई सूचना नहीं है और ऐसा होने की सम्भावना नहीं है ।

Shri M.L. Dwivedi: I had asked whether Government of India have written to certain countries that if the news regarding Treaty between China and Pakistan is correct, efforts should be made to prevent that.

Shri Swaran Singh : We have not negotiatited with any other country.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि 1968 तक परमाणु बम बनाने के उद्देश्य से पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान में कहीं पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्थापित करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो क्या हमारी रसरकार ने निरस्त्रीकरण आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान इस ओर दिलाया है कि चीन की समझौता न करने की प्रवृति द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों में इन शक्तियों के परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने के प्रयत्न निष्फल हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : पहला प्रश्न जो माननीय सदस्य ने उठाया है, हमारी सूचना के अनुसार, उसका सम्बन्ध परमाणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने के समझौते या वार्ता से है ..... (व्यवधान) किन्तु इसका अर्थ परमाणु अस्त्र या परमाणु बम बनाना नहीं है। इन दोनों बातों को एक दूसरे से नहीं मिलाना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान घोषणा कर चुका है कि वह 1968 तक अपना परमाणु बम बना देगा । चीन के सहयोग की भी उसने घोषणा कर दी तथा वे पूर्वी पाकिस्तान में कहीं पर एक परमाणु शक्ति केन्द्र की स्थापना कर रहे हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह: मैंने इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं देखा है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : वह समाचार पत्रों में था ।

श्री स्वर्ण सिंह : परमाणु शक्ति केन्द्र तथा परमाणु-अस्त्र दोनों बिल्कुल भिन्न चीजें हैं ।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान ने उसकी भी घोषणा कर दी है ।

श्री स्वर्ण सिंह: मैंने पाकिस्तान सरकार की ऐसी किसी घोषणा को नहीं देखा है कि वे कोई परमाणु शक्ति केन्द्र स्थापित कर रहे हैं या परमाणु बम बना रहे हैं। वास्तव में वे सदैव यही कहते रहे हैं कि वे ऐसी स्थिति में नहीं है तथा उनका परमाण-बम बनाने का कार्यक्रम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : सन्देह ।

श्री स्वर्ण सिंह : यदि हमें या किसी माननीय सदस्य को सन्देह होता है तो यह बिल्कुल दूसरी बात है। किन्तु मैं तथ्यों के आधार पर उत्तर दे रहा हूं कि इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है।

श्री रघुनाथ सिंह : वह समाचार पत्र में था, हमारे पास समाचार पत्र की प्रतिलिपियां हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या वह गुप्तचर विभाग तथा पाकिस्तान में अपने दूतावास से भी इस विषय में छानबीन करने के लिये तथा विस्तृत जानकारी देने के लिये कहेंगे।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने छानबीन की है; हम इस विषय में शान्त नहीं हैं। मैं कुछ उत्तरदायित्व के साथ कह रहा हूं। हमको परमाणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने तथा परमाणु अस्त्र या बम बनाने में अन्तर को समझना चाहिये। हमें इन दोनों को नहीं मिलाना चाहिये। हो सकता है, उनका कोई कार्यक्रम हो जिसको वे दुनिया से छिपाना चाहते हों, मैं इस सम्बन्ध में नहीं कह सकता। किन्तु माननीय सदस्य का यह प्रश्न कि क्या पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की है कि वह कोई परमाणु बम बनाने जा रही है ठीक था तथा मैंने इसका नकारात्मक उत्तर दिया। दूसरे भाग का प्रश्न ही नहीं उठता। यह ठीक है कि परमाणु अस्त्रों के फैलाव पर रोक लगाना कठिन है, किन्तु इसका विकल्प भी परमाणु द्वारा विनाश होगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्योंकि हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री शास्त्रीजी ने घोषणा की थी कि भारत को परमाणु अस्त्रों के त्याग के सम्बन्ध में हमेशा के लिये वचन-बद्ध नहीं समझा जा सकता है, 17 राष्ट्रों के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में परमाणु अस्त्रों के फैलाव पर रोक लगाने पर समझौता होना अभी एक दूर की चीज है तथा पाकिस्तान और चीन अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या सरकार ऐसी परिस्थितियों पर विचार कर रही है जिनसे वर्तमान परमाणु अस्त्र नीति को बदलने पर विचार किया जा सकता है।

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न पर कोई हिचकिचाहट या गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस सम्बन्ध में भारत की नीति शान्ति-कार्यों के लिये परमाणु शक्ति का विकास करने की है। हमें इस प्रकार के प्रचार का शिकार नहीं होना चाहिये। पाकिस्तान ने भी दुर्भाग्यवश हमारे मित्र देशों में गलतफहमी पैदा करने के उद्देश्य से हम पर आरोप लगाने आरम्भ कर दिये हैं। इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने सर्वोच्च स्तर पर स्पष्ट कर दिया है कि हम परमाणु शक्ति का विकास केवल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये कर रहे हैं और यही नीति चल रही है।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान् मेरी एक व्यवस्था है। मुझे याद है कि प्रधान मन्त्री ने पिछले सप्ताह कहा था कि सरकार की परमाणु-शक्ति विकास सम्बन्धी नीति पर लगातार पुनर्विचार हो रहा है। मन्त्री महोदय ने अब यह धारणा पैदा कर दी है कि वह निश्चित रूप से कहा गया है इस विषय में प्रधान मन्त्री को क्या कहना है।

अध्यक्ष महोदय : यही नीति आज तक है। भविष्य के लिये इस पर विचार हो रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने हमारे परमाणु शक्ति विकास पर चिन्ता प्रकट की है तथा हमें उन्हें स्पष्टीकरण देने में पर्याप्त कठिनाई उठानी पड़ी है तथा पिछले सप्ताह अमरीका में हमारे प्रतिनिधि ने उन्हें बताया कि हम परमाण अस्त्र नहीं बनाने जा रहे हैं ? क्या यह ठीक है ?

श्री स्वर्ण सिंह : चिन्ता प्रकट करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस सम्बन्ध में हमारी नीति सर्वविदित है। उस नीति को दोहराने का कोई विशेष अवसर नहीं था।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं सही जानकारी चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि श्री बनर्जी ने वहां जाकर आजकल की स्थिति बताई है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तथा अमरीकी सरकार को इस पर चिन्ता नहीं करनी चाहिये ?

श्री स्वर्ण सिंह : सभा को निस्सन्देह ज्ञात होगा कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पूर्व एक नोट परिचालित किया था जिसमें कहा गया था कि भारत ने परमाणु शस्त्र बनाने के कार्यक्रम का सूत्रपात किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उन्होंने इस सम्बन्ध में बताया है। उसकी एक प्रतिलिपि 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति को भेजी गई है। कई देशों ने पूछताछ की है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि के वक्तव्य के बारे में हमारा क्या रवैया है। हमारा रवैया बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने हमारे विरुद्ध जो आरोप लगाया है वह गलत है और जिस किसी ने भी हमारे से इस बारे में पूछताछ की है, हमने उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस बारे में हमारे प्रतिनिधि ने अमरीकी अधिकारियों से भी बातचीत की है।

श्री लीलाधर कटकी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीन द्वारा परमाणु हथियारों की जो वृद्धि की जा रही है, उससे भारत को खतरा है और चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं कि भारत को जो खतरा है उसके विरुद्ध विशेष उपाय करने हेतु क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग अथवा 18 राष्ट्रों की निःशस्त्रीकरण समिति के सामने यह मामला उठाया है; और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : किसी देश की रक्षा करने हेतु कोई विशेष उपाय करना अथवा किसी देश विशेष की, जिसको किसी अन्य देश की ओर से परमाणु खतरा हो, विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखना निःशस्त्रीकरण आयोग का काम नहीं है। जिस संकल्प के अन्तर्गत 18 राष्ट्रों की निःशस्त्रीकरण समिति का गठन किया गया है उसमें इसके कार्यों की परिभाषा दी गई है। परन्तु चीन द्वारा परमाणु विस्फोट की इस समिति में चर्चा की गई थी और चीन द्वारा परमाणु हथियारों के विकास तथा इससे विश्व शान्ति के लिये पैदा हुए खतरे के बारे में कई देशों ने चिन्ता प्रकट की थी।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, may I know whether this conciliatory attitude of the Government of India is due to this fact that they have no armaments and they are not capable of fighting ? If they are able to manufacture such weapons as are even more powerful than nuclear weapons and then try to prevent war, whether the people of the world would not acknowledge this power, and if they would acknowledge, whether Government would try to develop such power ?

Shri Swaran Singh : Swamiji has raised two points. I have already explained the policy of the Government of India in regard to manufacture of nuclear bombs. But I am not prepared to accept his second point that we do not want to increase our defence potential. We are trying and will go on trying our best to defend ourselves against external threat. Because if we are not alive to these threats, it will be an ommission on our part. This is a very serious matter and we should have full determination and firm resolve to meet any eventuality.

श्री कपूर सिंह : परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने और आंशिक अणु-परीक्षा निषेध सन्धि का प्रचार करने के अलावा, परमाणु खतरे से बचने के लिये सरकार क्या अन्य गम्भीर कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न निःशस्त्रीकरण और परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने के बारे में है। माननीय सदस्य तथा यह सभा रक्षात्मक हमारी तैयारी के बारे में मेरे साथी, रक्षा मन्त्री द्वारा

दिये गये वक्तव्यों से अवगत है । इस बारे में श्री चव्हाण ने जो कहा है उसके अलावा और कुछ नहीं कहना है ।

Papers recovered from Rev. Michael Scott

*306. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Raghunath Singh :**
Shri Rameshwaranand : **Dr. L. M. Singhvi :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some secret papers and other materials were seized from the Rev. Michael Scott at the time of his departure from India ;

(b) if so, the nature of these papaers and other materials in nutshell and the action taken by Government in the matter ;

(c) whether the British Government have intervened to secure the return of these papers and tapes ; and

(d) if so, the response of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) 44 documents, 5 tapes and 29 photographs had been recovered from Rev. Michael Scott tat the time of his departure from India. Most of the documents are copies of letters written by the Underground Nagas to the Peace Mission. The remaining documents can be broadly divided into two categories : in the first category—letters and notes circulated by Rev. Michael Scott and the second category—all his notes which express his views. There is also a copy of letter which he addressed to the Secretary General of United Nations in 1965.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether it is clear from these papers that he was trying to make Nagaland independent in a very planned manner ?

Shri Dinesh Singh : The views held by him are very well known to the Members. These have already been discussed in detail.

Mr. Speaker : Do these papers confirm his views ?

Shri Dinesh Singh : Yes, Sir.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether it is a fact that even after leaving India he is in constant touch with the rebel Nagas and he has sent some letters to the Government of India in favour of these rebel Nagas, and if so, the nature of these letters ? Has Government replied these letters ? If so, may I know the nature of replies sent ?

Shri Dinesh Singh : I have no knowledge of any such letters. He has, however, written some general letters from there in regard to his papers and other materials which were seized from him here. The House is also aware of this information which has appeared in the newspapers also. He has written a book and has got it published also.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, it appears that even after his (i.e. Reverend Scott) going from India, the problem has not been solved. Are the remaining clergymen there indulging in impatriotic acts and if they are doing so, may I know the attitude adopted by Government against them.

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, it would not be proper to say that clergymen there, who are Indian citizens, are thinking of rebellion.

Shri **Rameshwaranand :** Have you enquired into this matter ?

Mr. Speaker : He said that that was not proper to say like that. They are not induling in such things.

श्री स्वेल : क्या पादरी स्काट के चले जाने के पश्चात् नागालैंड में स्थिति में कोई सुधार हुआ है और क्या श्री आओ की मंत्रिपरिषद् का तथाकथित त्यागपत्र इस दिशा में सुधार की ओर एक कदम है ?

श्री दिनेश सिंह : सरकार महसूस करती है कि पादरी स्काट के नागालैंड में रहने से समस्या का हल ढूंढ़ने में कोई सहायता नहीं मिल रही थी और इसलिये उन्हें वहां से बाहर भेज दिया गया है । हम यह भी महसूस करते हैं कि उस समय उनका वहां से चला जाना उनके लिये अच्छा था। नागालैंड की वर्तमान सरकार की स्थिति का मामला वहां की विधान सभा में विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनके वहां से चले जाने से स्थिति में कोई सुधार हुआ है ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने बताया कि उनके चले जाने से वहां पर स्थिति में सुधार हुआ है ।

श्री दाजी : क्या इन पत्रों में कुछ ऐसे पत्र भी पाये गये हैं जो पादरी स्काट द्वारा (क) पाकिस्तान को (ख) किसी अन्य विदेशी सरकार को और (ग) छिपे नागाओं के प्रशिक्षण के बारे में लिखे गये हों ?

श्री कपूर सिंह : विशेष रूप से चीन को लिखे गये पत्र ।

श्री दिनेश सिंह : खेद है कि बिना तैयारी के मैं इस समय निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं परन्तु जहां तक मुझे मालूम है उन में किसी देश को लिखे गये विशिष्ट पत्र नहीं हैं परन्तु उनमें ऐसे सामान्य पत्र हैं जो अन्य सरकारों को भेजे गये थे।

श्री त्यागी : क्या उन्हें सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

श्री दाजी : बिना तैयारी के क्या बात है प्रश्न की सूचना दी गई थी हम उत्तर पाने के अधिकारी हैं।

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैंने बताया जहां तक मुझे जानकारी है, इन 44 पत्रों में अन्य सरकारों को लिखे गये विशिष्ट पत्र न हो कर ऐसे सामान्य पत्र हैं जो सभी सरकारों को भेजे गये थे और जो कई अन्य देशों में परिचालित भी किये गये थे।

श्री दाजी : क्या इन पत्रों को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे विचार में यह अच्छा होगा यदि म यह सुझाव दूं कि इन्हें पुस्तकालय में रख दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

Shri Raghunath Singh : May I know whether Michael Scott is in touch with Mr. Phizo and other rebel Nagas or not and whether Government will not allow any foreign clergy-man to enter Nagaland as has been done by the Government of Burma a week ago after learning the experience of Michael Scott.

श्री दिनेश सिंह : कार्यवाही करने के लिए यह एक सुझाव है ।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether the Government of India has sent any letter to the British Government in regard to the activities of Revrend Scott who gets such books published and sends them here and indulges in such a conspiracy ? If so, may I know the reaction of that Government thereon ?

Shri Dinesh Singh : No protest note has been sent in regard to this book.

श्रीमती सावित्री निगम : पादरी स्काट द्वारा प्रकाशित तथा मुद्रित विभिन्न विवरणों तथा पत्रों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वह विद्रोही नागाओं से निरन्तर रूप से बातचीत कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय यह उचित नहीं समझते हैं कि ब्रिटिश सरकार को इस की सूचना दे कर इस प्रकार की कार्यवाही को जो भारतीय हितों तथा राष्ट्रमण्डल के एक सदस्य के रूप में, हमारे सम्बन्ध के विरूद्ध हैं, समाप्त कराने हेतु उनका सहयोग प्राप्त किया जाये ।

श्री दिनेश सिंह : नागालैंड में जो स्थिति है वह हमारी आन्तरिक समस्या है और हम यह बात पसन्द नहीं करेंगे कि कोई देश इस में हस्तक्षेप करे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि पादरी स्काट के भारत से चले जाने से पहले जो पत्र सरकार द्वारा पकड़े गये थे उन में कई पत्र ऐसे हैं जो विभिन्न देशों को भेजे गये थे और उनमें यह बताया गया था कि नागालैंड एक अलग देश है और इसे अलग ही रहना चाहिये ? इंगलैंड में भी वह यही कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन पत्रों को पुस्तकालय में रखा जा रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : वह विद्रोही नागाओं के उन नेताओं को, जो कि एक अलग नागालैंड की मांग करने के लिये प्रधान मंत्री से मिलने वाले हैं, पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : यह सच है कि पादरी स्काट एक अलग नागालैंड की वकालत करते रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : एक अलग सम्पूर्ण प्रभत्व सम्पन्न नागालैंड की मांग करने के लिये क्या वह अब भी नागाओं पर प्रभाव डाल रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : स्पष्ट है कि पादरी स्काट का फिजो तथा अन्य लोगों से सम्पर्क है और मेरा अनुमान है कि वह अब भी उसी नीति पर चल रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि पादरी स्काट ने लन्दन में अपने मुख्यालय से भारत के विरूद्ध अपवचन तथा झूठ का एक आन्दोलन चला रखा है और उन्होंने प्रस्ताव किया है कि वह हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से भारत-नागा विवाद में जैसा कि वह इसे कहते हैं, मध्यस्थता करने का अनुरोध करने के लिये मिल रहे हैं,

और यदि हां तो क्या यह सच नहीं है कि पादरी स्काट लन्दन से वही शरारत कर रहे हैं जो वह यहां नागालैंड में करते रहे थे और क्या हमारी सरकार ब्रिटिश सरकार से यह स्पष्ट रूप से कहने जा रही है कि भारत सरकार इस प्रकार की अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही को कभी सहन नहीं करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : यदि आप ऐसा चाहते हैं, तो हम ब्रिटिश सरकार को लिख सकते हैं। परन्तु ब्रिटिश सरकार इस मामले में हमारी भावनाओं से पहले ही अवगत है....

श्री हेम बरुआ : आप उन्हें यह नहीं बतायेंगे... (अन्तर्बाधा)।

श्री दिनेश सिंह : सभा यह जानती है कि जब वह यहां थे तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महा सचिव को पत्र लिखा था और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह एक ऐसा मामला है जिस में हम ब्रिटिश सरकार से निवेदन कर सकते हैं और जो कुछ हो रहा है हम उसके बारे में उन्हें सूचित कर सकते हैं। यहां वक्तव्य दिया गया है और वे इसे जानते हैं। प्रधान मंत्री ने भी ब्रिटेन के प्रधान मंत्री को इस मामले के बारे में लिखा है। मैं नहीं समझता कि उनसे यह मामला और अधिक दृढ़तापूर्वक उठाना वांछनीय होगा।

श्रीमती सावित्री निगम : माननीय मंत्री का उत्तर बहुत गलत है। चाहे यह हमारा आन्तरिक मामला है। परन्तु हमें इस बारे में चिन्ता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि यदि हम इस समय ब्रिटिश सरकार को अपनी भावनाओं को बताते हैं तो क्या ऐसा करना उपयोगी और वांछनीय होगा।

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) यदि मुझे अनुमति हो तो बता दूं कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री को इस बारे में लिख दिया गया है।

श्री हेम बरुआ : मैं उत्तर समझ नहीं सका।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में ब्रिटिश प्रधान मंत्री को लिख दिया गया है।

श्रीमती सावित्री निगम : उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

अध्यक्ष महोदय यह कैसे बताया जा सकता है ? श्री भागवत झा आजाद।

श्री हेम बरुआ : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अभी बताया कि हम उनको इस बारे में लिख सकते हैं परन्तु वे तो पहले ही इस से अवगत हैं। प्रधान मंत्री कहती हैं कि उन्होंने पहले ही उनको लिख दिया है। प्रश्न उठता है कि हमारे प्रधान मंत्री ने जो सुझाव दिया है उस के प्रति ब्रिटिश प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री भागवत झा आजाद :

Shri Bhagwat Jha Azad : While supporting the statement of the hon. Minister of State that the situation in Nagaland is our internal problem, I would, however, like to point out that if a foreign Government, particularly a friend of Commonwealth, who claims to be our friend, allows his citizen to interfere in our internal problems again and again like this and even after our Prime Minister has conveyed this to the British Prime Minister, Reverend Scott is doing all these things, may I know the action being taken by Government in the background of the above fact ?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, Reverend Scott has been taking interest in this matter since long. We conveyed our views to the British Government when Mr. Phizo had gone there. Our Prime Minister has even now conveyd our feelings to the British Prime Minister. They already know our views and what is expressed here in this House ; they are aware of all these things.

So far as the British Government is concerned, they say that they are not doing anything themselves. The views held by a citizen or some other citizen in regard this matter come before them. When Reverend Michael Scott had got this book published, at that time another person had refuted it fully. He had expressed his own views also. Both these things have already come before the British Government.

I would like to submit once again that the question of Nagaland is our internal matter and we will have to settle it here. It would be better if it is settled as soon as possible.

DELEGATION OF M. Ps. TO FOREIGN COUNTRIES

*307. **Shri M.L. Dwivedi :** **Shri S.C. Samanta :**
Shr Subodh Hansda : **Shri Bhagwat Jha Azad :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the reasons for discontinuing the sending of delegations of Members of Parliament to the foreign countries which was initiated immediately after the Indo-Pakistan conflict to create goodwill for India and to counteract the Pakistani propaganda in those countries ;

(b) whether Government attach secondary importance to the fact that much more vaulable work can be done in times of peace than during the war time ; and

(c) whether Government propose to resume the sending of such delegations to foreign countries and if so, when this will be done

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ग). भारत सरकार अपना दृष्टिकोण समझाने के लिए संसद्-सदस्यों के और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिओं के सद्भावना और विशेष शिष्ट-मंडल विदेशों में समय-समय पर भेजती रहती है । यह बराबर होता रहता है और सरकार ने इस तरह के शिष्टमंडलों को विदेशों में भेजना बन्द नहीं किया है ।

(ख) जी नहीं सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि शांति काल में इस तरह के शिष्टमंडलों को भेजना कितना उपयोगी और महत्वपूर्ण है ।

Shri M.L. Dwivedi : Has any criterion been laid down for the selection of Members for such delegations sent from time to time or any person making a request is taken ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : It is very difficult to say as to what my criterion is when all the hon. Members are so very able and capable, at the same time this is also not true that anyone who comes with a request is sent out, but we take into consideration the conditions of the country and send only those hon. Members who are considered to be more suitable. When there are more hon. Members than required, then only those hon. Members are requested to go who are considered to be more suitable.

Sjri M.L. Dwivedi Since the Government have accepted the sending of such delegations in principle, have the Government allotted any sum in the Budget for this purpose, if so the amount thereof and the manner in which it is proposed to be distributed

Shri Swaran Singh : There is no separate budget allotment for this. Not much expenditure is borne on this account and it is adjusted within the budget of the Ministry.

श्री शिवाजी राव श० देशमुख : क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के अनुरोध पर सरदार मजीठिया के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमण्डल बाहर जाने वाला था उसका जाना रुक गया है और यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इसको देखूंगा । तत्काल मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री स० चं० सामन्त : माननीय मंत्री ने कहा कि संसद् सदस्यों के साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी भेजे गये थे । उनकी संख्या क्या थी—गैर-सरकारी या सरकारी—और क्या उन दलों ने भारत विरोधी चीनी प्रचार का प्रतिकार करने का भी प्रयत्न किया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : संख्या तो नहीं दे सकता हूं । यह सच है कि इन प्रतिनिधि मण्डलों ने विदेशों में जा कर सभी महत्वपूर्ण समस्याओं पर, जो हमारे सामने हैं, हमारी स्थिति स्पष्ट की है और उसका अच्छा परिणाम निकला है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या नेपाल से कोई नियंत्रण मिला है कि संसद्-सदस्यों का दल उस देश का दौरा करे और क्या सरकार लंका को एक प्रतिनिधिमण्डल भेजने के बारे में भी विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बिल्कुल पृथक चीज है । मुख्य प्रश्न सामान्य नीति से सम्बन्धित है । और माननीय सदस्य मेरे पास आयें तो मैं उस सवाल का जवाब उन्हें समझा दूंगा ।

Shri Bhagwat Jha Azad : The utility of these Delegations has been proved. The Delegation which was recently sent abroad to explain our position has done very good work, but there were some such delegations which narrated their internal differences before all in the foreign countries. May I know whether before sending such delegations it is taken into consideration at the time of the selection of Members that only those Members are taken who will treat their leader as leader and say only those things which acceptable to all ?

Shri Swaran Singh : I agree with the hon. Member and I would also appeal to everyone to keep this in mind.

Shri Tulsidas Jadhav : Have Government received any report from the delegations sent abroad, if so, whether Government will make it available to the Members of Parliament.

श्री स्वर्ण सिंह : कुछ शिष्टमंडलों से मुझे लिखित प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । उनके दौरों के बाद मैं शिष्टमण्डलों के नेताओं और अन्य सदस्यों से सामान्य रूप से मिला हूं और उन्होंने मुझे दौरों के बारे में अपने विचारों को बताया है और उनके बारे में भी मेरे पास कुछ रिकार्ड हैं । मैं नहीं समझता कि उनको सभा पटल पर रखना उचित होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि विदेशों को समय समय पर जो शिष्टमंडल भेजे जाते हैं वे इस विचारधारा से प्रभावित चे कर भेजे जाते हैं कि विदेशों में हमारे दूतावास सही कार्य नहीं कर रहे हैं और यदि हां तो उन शिष्टमंडलों की कार्यवाही में सुधार लाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य की बात को स्वीकार नहीं कर सकता । हम इन शिष्टमंडलों को इसलिए भेजते हैं कि वह दूतावासों द्वारा पहले से जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उनमें योग दें । संसद् सदस्य चूंकि लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं इसलिए वे दूतावासों द्वारा पहले से किये गये प्रयत्नों को पूरा कर सकते हैं और उन्हें सफल बना सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन कार्रवाइयों को पूरा करना आवश्यक है ?

श्री हरि विष्णु कामत : मैं आप से सहमत हूं। सभा भी सहमत है । आपको मामले का अनुसरण करना चाहिये । श्रीमन् कृपया मामले का अनुसरण कीजिए ।

सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये शक्तिशाली ट्रांसमीटर

*308. **श्री लीलाधर कटकी** :
श्री राम सहाय पाण्डेय:
श्री रा० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री लखमू भवानी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमा क्षेत्रों में ट्रांसमीटरों की श्रंखला स्थापित करने के कार्यक्रम को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : आकाशवाणी की चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इस बीच योजना आयोग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसारण में सुधार के लिए उच्च शक्ति के 10 मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने की स्वीकृति दे दी है। नेफा में अल्प-शक्ति के 11 मीडियम वेव ट्रांसमीटर और नागालैंड में अल्प शक्ति के 2 मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने की भी स्वीकृति मिल चुकी है । इन सभी कार्यक्रमों के लिए यंत्र प्राप्त करने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं और आर्डर दे दिए गए हैं। नेफा में अल्प शक्ति के 11 मीडियम वेव केन्द्रों में से एक केन्द्र 6 मार्च 1966 से पासी घाट में चालू हो गया है। विभिन्न केन्द्रों में यन्त्रों को लगाने के लिए भवन-निर्माण तथा जमीन लेने की कार्रवाई चालू है और आशा है एक एक करके ये लगभग तीन वर्ष में ट्रांसमीटर चालू हो जायेंगे ।

श्री लीलाधर कटकी : ये उपकरण किन देशों से प्राप्त किये गये हैं और इनकी लागत क्या है ?

श्री राज बहादुर : इनमें से कुछ जापान से हैं और अन्य उपकरणों के बारे में खोज की जा रही है ।

श्री लीलाधर कटकी : इन ट्रांसमीटरों की क्षमता क्या है और क्या ये ट्रांसमीटर चीन और पाकिस्तान के शक्तिशाली ट्रांसमीटरों का प्रतिकार कर सकेंगे ?

श्री राज बहादुर : प्रश्न के पहले भाग में मैंने जिन 10 का उल्लेख किया है उनमें से सात 100 किलोवाट मध्यम तरंग के ट्रांसमीटर हैं और शेष तीन 50 किलोवाट के मध्यम तरंग के ट्रांसमीटर हैं ।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार समझती है कि इन ट्रांसमीटरों के लगाने के बाद हम चीन के शक्तिशाली प्रचार का जवाब देने योग्य हो जायेंगे ?

श्री राज बहादुर : इनसे काफी सुधार होगा ।

Shri M.L. Dwivedi : What is the position regarding the two 1000 K.W. short wave transmitters proposed to be procured from U.S.S.R. ? By what time they will be received and installed ?

Shri Raj Bahadur : Both of them are medium wave transmitters and not short wave transmitters. It is expected that they will be received by the end of 1967 or in the beginning of 1958 and both of them will start functioning by the middle or in end of 1968 at Calcutta and Rajkot.

Shri Bhagwat Jha Azad : According to unconfirmed news about 50 Chinese transmitters are operating in our Eastern border area. What is there number according to official sources and how many transmitters we propose to install in the Eastern border area and in how many years to counteract that ?

Shri Raj Bahadur : This information is not available.

श्री हेम बरुआ : पहले एक बार उनसे पहले के मंत्री डा० गोपाल रेड्डी ने इस सभा में सूचना दी थी कि नेफा सीमा के साथ साथ चीनियों के लगभग 64 ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख दीजिये मैं पता कर दूंगा।

Shri Raj Bahadur : The answer to Hindi question should also be in Hindi. At the moment I do not have this information.

तीसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 5

श्री मधु लिमये :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:
श्री बड़े :
श्री दीवान चन्द शर्मा :
श्री मनोहरन :
श्री तुलशीदास जाधव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री त्रिदिव चौधरी :
श्री अ० व० राघवन :
डा० उ० मिश्र :.
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामेश्वरानन्द :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इकनामिक टाईम्स" के इस अनुमान की ओर दिलाया गया है कि 1965–66 में वास्तविक प्रति व्यक्ति तथा राष्ट्रीय आय में क्रमश: 7.1 तथा 4.7 प्रतिशत की कमी हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की दृष्टि से तीसरी पंचवर्षीय योजना की सफलतायें लगभग शून्य हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या आयोजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने से पहले तीसरी पंचवर्षीय योजना का पूरा-पूरा अवधि उपरांत मूल्यांकन किया है ताकि पुन: इस प्रकार की असफलता न हो ; और

(घ) इस अवधि उपरान्त मूल्यांकन के मुख्य परिणाम क्या हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) (क) जी, हाँ।

(ख), (ग) और (घ) यह सच है कि कृषि उत्पादन बहुत ज्यादा घट जाने तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास की दर मंद पड़ जाने के कारण, 1964–65 की तुलना में 1965–66 में प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय घटने की सम्भावना है। सरकारी अनुमान अभी तैयार किये जा रहे हैं, इसलिए कमी का ठीक ठीक परिणाम सम्बधी अनुमान देना सम्भव नहीं है। तीसरी योजना के प्रतिफलों

के बारे में योजना आयोग मूल्यांकन को चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा, जो इसी सत्र में संसद को प्रस्तुत कर दी जायेगी, में शामिल कर दिया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye : Has the attention of the hon. Minister been drawn to the fact that the industrial progress and agricultural production was in such a bad state from the very beginning in the Third Five Year Plan that the Chinese attack syncronised with it and in the same year no increase was registered in the national income or the par-capita income or there was negligible increase, if so, will the hon. Minister will find out and lay the statement on the Table stating the reasons why there has not been any increase in the production, national income and per-capita income ?

Shri Ashok Mehta : Keeping in view of our experience during the last 2-3 years the Planning Commission placed before the Parliament the mid-term appraisal. The hon. Member know that our greatest difficulty and weakness has been in the agricultural production. Save the year 1964-65, for four years out of five there was no increase and in the last year were left much behind. The reasons for this fall in production have been mentioned here several times and if the hon. Member want I am prepared to lay them. As regards industry, our capacity have been increasing and have considerably increased. In many parts the production also has considerably increased. But during the last five years, due to increasing pressure on foreign exchange we have not been able to work our industries to the full capacity.

Mr. Speaker : The hon. Member wants to know whether the hon. Minister can establish any relation beetween the Chinese attack and the falling production in the country since both happened at the same time.

श्री अशोक मेहता : मैं इस के बारे में कैसे जान सकता हूं ? योजना आयोग या योजना मंत्री इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं ?

Shri Madhu Limaye : If he cannot reply the Prime Minister should be asked to give the answer.

Mr. Speaker The hon. Member should now put the next supplementary.

Shri Madhu Limaye : In view of the fact that our Third Five Year Plan failed completely may I know whether the Fourth Five Year Plan will be drawn on the basis of eleminating the wasteful expenditure, difference between the current income and expenditure. Whether it is in the Public Sector or the Private Sector and bringing the expenditure within limits and emphasising the need for capital formation and increasing the production.

Shri Ashok Mehta : The Fourth Five Year Plan is being framed on the basis of our experience in the past. It is just possible that we may not be able to give in this document as to what our policy should be in regard to certain questions. We have only enumerated our suggestions in the document.

Mr. Speaker : He wants to know whether efforts are being made to stop the avoidable expenditure.

Shri Ashok Mehta : So far as the question of economy is concerned, we are giving suggestions what we had to give. What the Government have to do, is also being done and that is before the House.

Mr. Speaker : The second thing is the limit on the difference between income and expenditure.....

Shri Ashok Mehta : About that we cannot give any concrete programme. But we will give the main things which we want to give. If they are accepted they will be implemented.

Shri Madhu Limaye : He said that the Planning Commission cannot decide about the ceiling on expenditure. He is in the Government, he is the Planning Minister as also the Vice Chairman of the Planning Commission.

Mr. Speaker : Is he putting any ceiling on income and expenditure, this was asked because he is Minister also in the Government.

श्री अशोक मेहता : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ; जहाँ तक व्यय का सम्बन्ध है..... (एक माननीय सदस्य : व्यक्तिगत व्यय का).....जहाँ तक उसका सम्बन्ध है, कुछ नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है और कुछ करारोपण सम्बन्धी और अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं.... (व्यवधान)

Shri Madhu Limaye : Has the Third Five Year Plan been a success ?

Dr. Ram Manohar Lohia : He forgets that he is a Minister. He thinks that he is only an employee.

श्री अशोक मेहता : यह अन्तिम दस्तावेज नहीं है; केवल एक रूपरेखा है। रूपरेखा में जबकि कुछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में हमने विस्तृत जाँच की है, कुछ क्षेत्रों और नीतियों के मामले में हमने कुछ प्रश्न उठाये हैं जिन पर राष्ट्रीय विकास परिषद को अपने निदेश देने होंगे। जब तक यह नहीं किया जाता इसको अन्तिम रूप देना हमारे लिये संभव नहीं है। इसके कुछ चरण हैं ; पहले रूपरेखा का चरण है फिर अन्तिम प्रतिवेदन का चरण है। हमें आशा है कि अन्तिम रूपरेखा के चरण तक यह काम हो जायेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तृतीय योजना में लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि योजना आयोग के अधिकाँश सदस्य मंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस बात को भी दृष्टिगत रखते हुए कि मध्यावधि मूल्याँकन में बहुत ही निराशाजनक चित्र खींचा गया है, क्या सरकार आयोग के गठन पर विचार करेगी ताकि यह सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ केन्द्र अथवा राज्य के स्तर पर अपनी नीतियों को अच्छी तरह से मिला सके ?

श्री अशोक मेहता : मैं नहीं जानता कि मेरा कोई साथी चुनाव लड़ना चाहता है या मंत्री बनना चाहता है। दूसरे, जहाँ तक योजना आयोग के कार्य का सम्बन्ध है, इस मामले पर भी प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा जाँच की जा रही है।

Shri Prakash Vir Shastri : Keeping in view the dismal failures of the Planning Commission are Government considering the planning of the Planning Commission, if so when and what shape it will take ?

श्री अशोक महता : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं कि प्रशासनिक सुधार आयोग योजना आयोग के कार्य और कृत्यों की जाँच कर रहा है।

Shri S.M. Banerjee : Is the following press report correct that after the failure of the first, second and third Plans now to make the fourth Plan a success "The Planning Commission has proposed that the salaries of Government employees should not be increased in the fourth Plan unless the revenue receipts rise at a faster rate than envisaged at present."

If Government thinks that inflation can be prevented by reducing or freezing of salaries of Government employees, then what was the use of appointing the Gajendragadkar Commission and why the employees are being duped.

श्री अशोक मेहता : मैं माननीय सदस्य द्वारा निकाले गये इन निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करता हूं कि तीनों योजनायें असफल रही हैं। उचित समय आने पर मैं अपने तर्कों को स्पष्ट कर सकूंगा। जहाँ तक चौथी योजना के अन्तर्गत कराधान का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इस मामले पर अभी विचार किया जाना है। तत्पश्चात् इसे इस सभा में लाया जायेगा। गजेन्द्रगडकर आयोग की स्थापना महंगाई भत्ते के प्रश्न पर विचार करने के लिये की गई है और उपलब्धियों के प्रश्न पर विचार करने के लिये नहीं की गई है। उपलब्धियों के बारे में जो हमने सुझाव देने हैं उन्हें योजना में उस समय समाविष्ट किया जायेगा जब इसे इस सभा में प्रस्तुत किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे समाचारपत्रों में छपने वाले अनधिकृत प्रतिवेदनों से प्रभावित न हों।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न था : क्या "टाइम्स आफ इण्डिया" में जो यह समाचार छपा है, कि तीसरी योजना में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनों को न बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, सही है। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दे दिया गया है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या सरकार का यह मत है कि हमारे देश में आर्थिक विकास की गति में ह्रास का मुख्य कारण उत्पादन में वृद्धि न होना है और ऐसा करों की उच्च दरों तथा गलत प्राथमिकतायें निश्चित करने के फलस्वरूप हुआ है ? इस गलती को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अशोक मेहता : यह एक एसा मामला है जिस पर काफी विचार करने की आवश्यकता है। यदि बचत में वृद्धि करनी है, यदि अर्थव्यवस्था के सारे ढांचे को बदलना है और इस बात पर विचार करना है कि कर कितने लगाये जाने चाहिये, तो यह एक ऐसा मामला है जिस पर किसी समय भी विचार किया जा सकता है।

जहाँ तक प्राथमिकतायें निश्चित करने का सम्बन्ध है, दस्तावेज में इस पर ब्यौरेवार चर्चा की गई है और सभा किसी भी समय इस दस्तावेज पर विचार कर सकती है और अपनी टिप्पणियाँ दे सकती है। यह एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सपन्न निकाय है और वह अपनी इच्छानुसार इस दस्तावेज में परिवर्तन कर सकती है।

Shri Tyagi : Has the Planning Commission formulated any programme to see that first priority is accorded to agriculture and irrigation facilities are provided in each and every village where these facilities do not exist so that we are able to achieve self-reliance within a period of two years ?

Shri Asoka Mehta : Financial provision has been made for the minor irrigation works to the extent upto which they are can be extended.

Financial provision made for agriculture in the Fourth Plan is also much more than that had been made in the Third Plan. As the Plan has been formulated, it is hoped that so far as agricultural production is concerned, we will become self-sufficient during the Fourth Five year Plan.

Dr. Ram Manohar Lohia : The hon. Minister has stated that the agricultural production has been declining for the last five years and in this context the policy of Government

in regard to fertilizer seems to be very dangerous because irrigation facilities are more important, than fertiizers. Has Government formulated any policy to see that at least irrigation facilities are provided for an area of about 20 crore acres out of 26 crore acres of land for which no irrigation facilities exist ?

Shri Asoka Mehta : So far as irrigation facilities are concerned, a large number of major and medium irrigation schemes are being implemented we are trying to expedite them so that we are able to utilise these facilities during the Fourth Five Year Plan. Besides keeping in view the extent upto which minor irrigation works can administratively be extended, enough provision has been made for them also.

Dr. Ram Manohar Lohia: Mr. Speaker, let me have a precise answer. At present the total irrigated area is 26 crore acres. Will the hon. Minister let us know the area of land for which irrigation facilities will be provided during the Fourth Five Year Plan ?

Shri Asoka Mehta : I have stated again and again that at the moment, I cannot say anything final about any details.

श्री त्रिदीब कुमार चौधरी : चौथी योजना के मसौदे की पृष्टभूमि में एक बड़ी योजना तथा एक छोटी योजना के बारे में मतभेद को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक बड़ी योजना बनाना चाहती है । तीसरी योजना की तथाकथित सफलता और विशेषकर हमारे इस अनुभव को, कि कृषि उत्पादन में कमी हुई है और औद्योगिक क्षमता में हुए विस्तार का उचित उपयोग नहीं किया गया है, ध्यान में रखते हुए सरकार किन पदों पर विचार कर रही है और यदि वे एक बड़ी योजना बनाने का निर्णय करते भी हैं तो वे यह कैसे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चौथी योजना पहली तीन योजनाओं की तरह असफल नहीं रहेगी ? क्या योजना आयोग ने इस मामले पर पुर्नविचार किया है ?

श्री अशोक मेहता : सही रूप से यह कहना तो बड़ा कठिन है कि एक बड़ी योजना क्या होती है और एक छोटी योजना क्या होती है । परन्तु प्रस्तुत की जाने वाली योजना का परिव्यय ज्ञापन में दिखाये गये परिव्यय से कम होगा । जैसा कि प्रधान मंत्री ने कल यह स्पष्ट कर दिया था, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना के आकार को और कम नहीं किया जा सकता और हमें विश्वास है कि इसको क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक योग देने के लिये हमारा राष्ट्र समर्थ है । यह कहा गया है कि तीसरी योजना को क्रियान्वित करने में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और यह पूछा जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिये क्या सावधानी बरती गई है कि चौथी योजना में भी हमें इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि कार्यक्रम तैयार करते समय तथा इनको क्रियान्वित करते समय पर्याप्त सावधानी बरती जाती है । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि जब हम योजना की बात कहते हैं तो हम देश भर में खेतों, कारखानों तथा कार्यालयों में कर रहे करोड़ों लोगों को ध्यान में रख कर सोचते हैं कि वे इस योजना को क्रियान्वित करने में अपना पूरा पूरा सहयोग देंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभायेंगे । गारंटी तो कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है । परन्तु हम आशा करते हैं कि हम इस योजना का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन किया करेंगे और यदि कोई कठिनाइयाँ अथवा गल्तियाँ होंगी तो उन्हें जल्दी दूर किया जाया करेगा । (अन्तर्बाधाएं)

Shri Rameshwaranand : The hon. Minister says that adequate care is being taken to make the Fourth Plan a success, but when he has not been able to do so during the last three Five year Plans, how can we hope that he would be able to make the next plan a success.

Mr. Speaker : He has said that they have been making their efforts in the past and they will go on making their efforts towards this end in future also.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिये जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को समर्थन

*305. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य की सरकार ने भारत से संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिये उसके प्रार्थना-पत्र का समर्थन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। 8 मार्च 1966 को नई दिल्ली स्थित जर्मन लोकतंत्र गणराज्य व्यापार कार्यालय के प्रमुख ने विदेश मंत्रालय को ज्ञापन की एक प्रति दी जो कि जर्मन लोकतंत्र गणराज्य की सरकार ने 28 फरवरी 1966 को सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र में पेश किया था।

(ख) स्थिर प्रक्रिया के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की नई सदस्यता की अर्जी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा विचार किया जाता है। भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है और इसलिए, उसका कुछ समय तक सरोकार न होगा ।

राष्ट्रिकताहीन (स्टेटलैस) व्यक्तियों के बारे में भारत और श्री लंका के बीच करार

*309. **श्री राम मनोहर लोहिया :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री सेझियान : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने भारत मूलक राष्ट्रिकताहीन व्यक्तियों के बारे में शास्त्री-श्रीमावो करार का पालन नहीं किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उन 1,50,000 भारत मूलक राष्ट्रिकताहीन व्यक्तियों की स्थिति क्या है जिन्हें इस करार में शामिल नहीं किया गया था।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं। इस करार को क्रियान्वित करने में दोनों सरकारें एक-दूसरे के साथ सहयोग करती रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अक्तूबर 1964 के करार में यह व्यवस्था है कि इन 1,50,000 व्यक्तियों का दर्जा बाद में तय किया जाएगा। इस करार की अन्य व्यवस्थाओं पर अमल करने की दिशा में प्रगति होने के बाद इस मामले को उठाया जाएगा ।

रेडियो से चुनाव सम्बन्धी प्रचार

*310. श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:
डा० रानेन सेन
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हरि विष्णु कामत
श्री मुहम्मद कोया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे आम चुनाओं के समय राजनैतिक दलों द्वारा आकाशवाणी से चुनाव सम्बन्धी प्रचार की अनुमति दी जायेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस विषय में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। यह इस बात पर निर्भर होगा कि अखिल भारतीय राजनैतिक दल, चुनाव आयोग की सलाह से, आपस में तै करलें कि किसको कितना समय दिया जाए।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

सुरक्षा परिषद् में काश्मीर का मामला

*311. श्री यशपाल सिंह :
श्री दे० द० पुरी :
श्री गुलशन :
श्री राम हरख यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पें० वेंकटसुब्बैया :
श्री कू० चं० पंत:
श्री बासप्पा :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस विचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान काश्मीर के मामले को सुरक्षा परिषद् में पुन: उठाने का प्रयत्न कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) काश्मीर के विषय में भारत का दृष्टिकोण संसद में और सुरक्षा परिषद् में अनेक बार स्पष्ट किया जा चुका है। अगर पाकिस्तान सुरक्षा परिषद् में इस मामले को उठाएगा तो सरकार स्थिति का सामना करेगी ।

चीन द्वारा वायु-सीमा का उल्लंघन

*312. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में चीनी वायुयानों ने कितनी बार हमारी वायु-सीमा का उल्लंघन किया;

(ख) ऐसे उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, एक भी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन

*313. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी:** **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री उटिया : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री मधु लिमये : **श्री रघु नाथ सिंह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में भाग नहीं ले सकेंगी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) अभी इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भारत को हथियारों की सहायता बन्द करने के बारे में पाकिस्तान द्वारा रूस पर दबाव

*314. **श्री च० क० भट्टाचार्य :** **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान रूस पर यह दबाव डाल रहा है कि वह भारत को हथियार की सहायता देम देना बन्द कर दे; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में रूसी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत को सोवियत संघ से हथियारों की सहायता नहीं मिल रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन के बारे में जाम्बिया के प्रधान मंत्री का सुझाव

*315. **श्री कपूर सिंह :**
श्री बूटा सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाम्बिया के प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया है कि अगला राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन भारत में किया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या जाम्बिया की सरकार से इस बारे में कोई सरकारी सन्देश प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या राष्ट्रमण्डल सचिवालय तथा अन्य देशों ने इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है और इस संबंध में उन की यदि कोई प्रतिक्रियाएं हुई हैं, तो वे क्या हैं?

वैदेशक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने ज़म्बिया के प्रधान मंत्री को बताया था कि अगर राष्ट्रमंडल के अधिकाँश सदस्य राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन नई दिल्ली में करने के लिए राज़ी हों तो हमें आतिथ्य बन कर प्रसन्नता होगी।

(घ) जी हाँ। 28 जून को राष्ट्रमंडल प्रधान सचिव ने हमें सूचित किया था कि हालाँकि कई प्रधान मंत्रियों ने इस बैठक को नई दिल्ली में करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है, फिर भी, आम राय इसे लंदन में ही करने के हक में थी।

भूटान को चीन से खतरा

*316. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मई, 1966 के पटना के "सर्चलाइट" में 'भूटान को चीन से खतरा बढ़ गया है' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) भारत सरकार चीन की ओर से ख़तरे के प्रति सजग है। जैसा कि इस समाचार में कहा गया है भारत के साथ भूटान के संबंध अत्यधिक मित्रतापूर्ण और सहयोगी संबंध हैं, तथा हम आपसी रज़ामंदी से भूटान को आवश्यक मदद और सहायता दे रहे हैं।

प्रतिरक्षा योजना

*317. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन की बढ़ती हुई परमाणु शक्ति को ध्यान में रखते हुये प्रतिरक्षा आवश्यकताओं का पुनः अनुमान लगाया जा रहा है ; और

(ख) अमरीका तथा ब्रिटेन दोनों द्वारा सैनिक सहायता बन्द किये जाने से भारत अपने रुपये तथा विदेशी मुद्रा संसाधनों से अपना भार वहन करने के लिये मजबूर हो गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) रक्षा योजना से अवेक्षित है विदेश से कुछ साज सामान और स्टोर्ज विशेष की अधिप्राप्ति क्योंकि वह देश में प्राप्य नहीं है, यू० एस० ए० और यू० के० द्वारा दी गई सहायता ने ऐसी अधिप्राप्ति के अपने विदेशी मुद्रा संसाधनों पर भार करने में सहायता की। ऐसी सहायता के निलंबन के कारण अपने स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव स्वाभाविक है। यू० एस० और

यू० के० सहायता के निलंघन के फलस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय मुद्रा के व्यय की वास्तविक राशि निर्धारित कर पाना कठिन है इसके अतिरिक्त सप्लाई के अधिप्राप्ति के लिये वैकल्पिक प्रवन्ध के विस्तार देना लोक हित में नहीं होगा ।

बर्मा सरकार से सहयोग

*318. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं तथा मिजो लोगों के बारे में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सरकार को बर्मा सरकार से मैत्रीपूर्ण तथा अच्छा सहयोग मिलता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में तथा किस तरीके से वर्मा सरकार, सरकार को सहयोग देती रही है ;

(ग) क्या सरकार के प्रतिनिधि ने बर्मा सरकार से बातचीत की है कि आदिम जाति लोगों को एक दूसरे के राज्य-क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिये भविष्य में क्या उपाय किये जायें ; और

(घ) यदि हां, तो किन उपायों के बारे में बातचीत हुई और कौन-कौन से उपाय स्वीकार किये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी हां। छिपे नागाओं और मीजो लोगों को बर्मा प्रदेश से होकर पाकिस्तान में घुसने अथवा आश्रय-स्थल के रूप में उस प्रदेश का इस्तेमाल करने से रोकने के लिये भारत सरकार को बर्मा सरकार का सहयोग मिलता रहा है ।

(ग) और (घ). इस सिलसिले में सीमा पर आपसी हित के उपाय बरतने में भारत सरकार और वर्मा सरकार के बीच विचार-विमर्श हुआ है ।

हेलीकाप्टरों का निर्माण

*319. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर में काफी ऊंचाई पर उड़ने वाले एक नई किस्म के हैलीकाप्टर का निर्माण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख). जी हां। अलौटी 3–वी हैलीकाप्टर का निर्माण फ्रांस के सर्व श्री सूद एवीएशन के साथ तय पाये लाइसेंस करार के अन्तर्गत एच० ए० एल० बंगलौर डिवीजन में हस्तगत किया गया है। अलौटी हैलीकाप्टर ऊंचे स्थानों पर संक्रिया के लिये उपयुक्त है। निर्माण आरम्भ हो गया है, और कुछ हैलीकाप्टर भारतीय वायुसेना को सौंप भी दिये गये हैं ।

चीन द्वारा सिक्किम और भूटान में अतिक्रमण

*320. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों में चीन के सैनिकों ने सिक्किम और भूटान में बहुत बार सैनिक अतिक्रमण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ते हुए विमानों का पता लगाया जाना

*321. **श्री करणीसिंहजी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के इस दावे का पता है कि वह एक ऐसी यंत्र व्यवस्था तैयार कर सकते हैं जिससे किसी भी राडार व्यवस्था के माध्यम से उड़ रहे वायुयान का पता नहीं लगा सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये सरकार का विचार उनकी सेवाओं का उपयोग करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख). जी हां । उनकी सेवाओं के उपयोग की संभाव्यता, उनकी अनुसन्धान योजना के विस्तृत निरीक्षण और शक्यता पर निर्भर होगी, जो हाल ही में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को प्राप्त हुई है ।

भारतीय सेना के लिये खच्चर

*322. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना की खच्चरों की मांग पूरी करने के लिये खच्चर अपर्याप्त हैं और इस मांग को पूरी करने के लिये अब भी विदेशों से पर्याप्त संख्या में खच्चर मंगाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1965-66 में सेना की खच्चरों सम्बन्धी कितनी प्रतिशत मांग देशी खच्चरों से पूरी की गई थी; और

(ग) इस सम्बन्ध में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सेना को दो प्रकार के खच्चरों की आवश्यकता है :—

(1) पर्वतीय तोपखाने के खच्चर, और

(2) आंम सेवा के खच्चर ।

देश में निजी तौर पर खच्चर पालने वालों के पास पर्वतीय तोपखाने के लिये कोई खच्चर नहीं है और 1962-63 से 1965-66 तक सभी क्रय विदेश से किये गये थे। जहां तक आम सेवा के खच्चरों का सम्बन्ध है 38 प्रतिशत देश में ही खरीदे गये जवान पशुओं की संख्या कुल क्रयों का 38 प्रतिशत है। अब के बाद आम सेवा के खच्चरों का आयात करने का विचार नहीं है परन्तु 1970-71 तक पर्वतीय तोपखाने के खच्चरों की कमियां आयात से ही पूर्ण की जा सकती हैं।

(ख) 1965-66 के लिये 350 आम सेवा खच्चर देशीय स्टाक से खरीदने का कार्यक्रम था, और वास्तव में 335 खरीदे गये थे, जो खरीदे जाने वालों का 95 प्रतिशत है। कोई जवान या छोटे आम सेवा खच्चरों का स्टाक उस वर्ष आयात नहीं किया गया था। 540 पर्वतीय तोपखाना खच्चर आयात किये गये थे।

(ग) सेना के पशुपालन केन्द्रों में और आम सेवा के खच्चरों के पालन क्षेत्रों में देशीय उत्पति पर्याप्त है। जहां तक पर्वतीय तोपखाना खच्चरों का सम्बन्ध है 1965 में एक नया केन्द्र स्वीकृत किया गया था और उसका विकास हो रहा है। पर्वतीय तोपखाना खच्चरों के लिये उत्पादक मादर खच्चरों की अधिक आवश्यकतायें आयात द्वारा पूर्ण करने का विचार है कि 1971 तक आत्म-निर्भरता प्राप्त हो सके।

परमाणु विकास कार्यक्रम

*323. **श्री राम सेवक यादव :** **श्री मधु लिमये :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये परमाण विकास कार्यक्रम सम्बन्धी कोई प्रारूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम में यूरेनियम 238 उत्पाद (यील्ड यूरेनियम 238) को पृथक करने के लिये एक गैसीय विसृति (डिफ्ज़न) संयंत्र स्थापित करना शामिल है;

(ग) इस संयंत्र पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(घ) क्या सरकार ने पियर लेट प्रान्त में फ्रांस के संयंत्र की लागत तथा उत्पादन के बारे में उपलब्ध जानकारी एकत्रित की है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये परमाणु ऊर्जा के विकास के सुझाव योजना आयोग को पेश किये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पियर लेट प्रान्त में फ्रांस के संयंत्र की लागत तथा उत्पादन के बारे में सूचना प्रकाशित नहीं की गई है। तो भी, ब्रिटेन के एक प्रमुख वैज्ञानिक श्री लीओनार्ड बीटन के अनुसार पियर लेट के गैसीय विसृति संयंत्र जिसमें अनुसंधान तथा विकास कार्यों से सम्बद्ध की लागत भी शामिल है, का अन्दाज़ा 28 करोड़ 80 लाख पाउन्ड (लगभग 600 करोड़ रुपये) है।

अमरीकी विमानों द्वारा हनोई-हाइफोंग क्षेत्र में बमबारी

*324. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री कृ० चं० पंत :
श्री वासप्पा :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री मे० क० कुमारन :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री उमानाथ :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 29 जून, 1966 को हनोई तथा हाइफोंग बन्दरगाह पर अमरीकी विमानों द्वारा बमबारी किये जाने के बारे में "गहरी चिन्ता" व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अमरीका सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। हनोई और हाइफोंग के निकटवर्ती इलाकों में अमरीकी बमबारी पर भारत सरकार ने गहरी चिन्ता और खेद व्यक्त किया था।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार की स्थिति सार्वजनिक रूप से बताई जा चुकी है। उनका कहना है कि सैनिक आवश्यकताओं के कारण बमबारी की जरूरत हुई है, लेकिन अगर दूसरे पक्ष से संकेत मिले कि वह दक्षिण वियतनाम में घुसपैठ और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई बंद कर देंगे तो वह भी बमबारी बंद करने को तैयार हैं।

महाराजा रणजीत सिंह की समाधि

*325. श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि लाहौर स्थित महाराजा रणजीत सिंह की समाधि से कीमती आभूषण निकाल लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम पाकिस्तान में सिख पूजा-स्थानों की असंतोषजनक हाल सुधारने के सामान्य सवाल और उनके समुचित रख-रखाव और प्रबन्ध की आवश्यकता के बारे में पाकिस्तान सरकार से समय-समय पर विरोध प्रदर्शित किया गया है । लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की समाधि से बहुमूल्य रत्न निकाले जाने की विशेष शिकायत के विषय में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के मंत्री से और सूचना मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है, और अगर जरूरी समझा गया तो यह विशेष मामला भी पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया जाएगा ।

राज्यों के सूचना और प्रसारण मंत्रियों की बैठक

*326. श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के सूचना और प्रसारण मंत्रियों की हाल में दिल्ली में कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई तथा क्या निर्णय किये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई वे ये थे : प्रचार कार्य में समन्वय, प्रचार कर्ताओं तथा साधनों का सब से अच्छे ढंग से उपयोग तथा चौथी योजना के दौरान प्रचार के कार्यक्रम और नीति। परिवार नियंत्रण और खेती की पैदावार तथा निर्यात बढ़ाने आदि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा मिलकर प्रचार करने तथा रेडियो, फिल्म, अखबार, पुस्तक पुस्तिका, गीत-नाटक और क्षेत्रीय प्रचार आदि विविध साधनों से समन्वित प्रचार करने पर भी विचार हुआ। सीमा क्षेत्रों में कैसा प्रचार किया जाए और वहां प्रचार की व्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए इस पर भी पूरा विचार हुआ। बैठक में और सिनेमाघर खुलवाने, सिनेमा के लाइसेंस संबंधी नियमों को उदार बनाने, मनोरंजन कर को सुधारने और अच्छी किसम के निर्माताओं को हानि से बचाने के लिए निधि खोलने तथा फिल्म उद्योग की राहत देने के अन्य उपायों पर भी चर्चा हुई।

बैठक के निर्णयों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

Examination of maps on Kutch Issue

327. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Sonavane :
Shri Y.D. Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a team had come recently to Delhi from Pakistan to examine the maps in possession of the Ministry of External Affairs on the Kutch issue ;

(b) whether it is also a fact that a team from India has also gone to Rawalpindi to examine the maps in possession of the Ministry of External Affairs of Pakistan ; and

(c) if so, the outcome of visits by the two teams ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) to (c). A team had come from Pakistan recently to Delhi to inspect the documents and maps in the possession of the Government of India relating to the case before the Tribunal about the boundary between India and Pakistan in the Gujarat-West Pakistan Border Area. Likewise, a team from India had gone to Islamabad to inspect the documents and maps in the possession of the Government of Pakistan. The two teams inspected the available documents and maps and obtained copies of certain documents.

मिज़ो तथा नागा विद्रोहियों को प्रशिक्षण देने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में स्थापित किये गये केन्द्र

*328. **श्री हेम बरुआ :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री बृज वासी लाल :**
श्री पन्नालाल :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने मिज़ो तथा नागा विद्रोहियों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिये पूर्वी पाकिस्तान में किसी स्थान पर केन्द्र स्थापित किये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सांठ-गांठ को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) खबर है कि कई मिज़ो और नागा प्रशिक्षण शिविर भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट पूर्व पाकिस्तान में चल रहे हैं। कभी-कभी उनके स्थान बदल जाते हैं ।

(ग) हमारी सुरक्षा सेनाएं सीमा पार कर पूर्व पाकिस्तान में अनधिकृत रूप से आने-जाने को रोकने के लिए सभी संभव कार्य कर रही है ।

चीनियों द्वारा अतिक्रमण

*329. **श्री श्रीनारायण दास :** **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्री रा० बरुआ : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय:**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों में चीनियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है और यदि हां, तो अतिक्रमण के कितने मामलों का पता लगा ;

(ख) क्या भारतीय सेना तथा चीनी सेना के बीच मुठभेड़ की कोई घटना हुई ; और

(ग) यदि हां, तो इस मुठभेड़ के फलस्वरूप किसी भी ओर कितने आदमी आहत हुए तथा बन्दी बनाये गये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) इस अवधि के दौरान चीनियों द्वारा 3 अतिक्रमण किए गए थे।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नगर-लेह सड़क

1544. **श्री राम हरख यादव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर-लेह (लद्दाख) सड़क के निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) श्रीनगर से लेह तक सड़क की लम्बाई 272 मील है । अन्तिम ब्यौरे अनुसार उसकी पूरी लम्बाई की खुदाई का काम सम्पूर्ण हो चुका है । तल निर्माण, रोड़ी बिछाने और कोलतार बिछाने का काम क्रमशः मई 1966 तक 268 मील, 253 और 179 मील तक हो चुका है । आगे कार्य प्रगतिशील है ।

(ख) इस प्रायोजना पर मार्च 1966 तक कुल उठा खर्च 1117·44 लाख रुपये है ।

लंकास्टर में भारतीय सिनेमा

1555. **श्री राम हरख यादव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मों को दर्शाने के लिये लंकास्टर (ब्रिटेन) में शीघ्र ही एक भारतीय स्वामित्व का सिनेमा आरम्भ किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस शहर में भारतीय फिल्मों की शो की स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता । लेकिन साऊथाल के इंडियन वरकर्स एसोसिएशन ने वहां एक सिनेमाघर खरीदा है और उसमें भारतीय फिल्में नियमित रूप से दिखाई जाती हैं। इंग्लैंड के अन्य भागों में भी भारतीयों के सिनेमा-घर हो सकते हैं, परन्तु हमें उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है । हाल ही में भारतीय स्वामित्व एक सिनेमाघर ली सैस्टर और दूसरा वरमिंघम (स्मेथविक) में खोला गया है ।

जोहेन्सवर्ग में भारतीय

1556. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :
श्री काजरोल्कर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका के जोहेन्सवर्ग में 3000 भारतीयों को दिया गया बेदखली आदेश की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है कि यह आदेश लागू न किया जाये?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इस विषय में अधिकृत सूचना सुलभ नहीं है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में हमारा कोई मिशन नहीं है, लेकिन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य अख़बारों में प्रकाशित खबरों से यह स्पष्ट है कि पेजव्यू की समूची भारत-मूलक जनता, जिसकी संख्या 5000 है, श्वेतों के लिए जगह करने के वास्ते निकाली जानी है, क्योंकि 24 मई, 1963 को वह जिला "श्वेतों" के लिए वर्ग-क्षेत्र घोषित किया जा चुका है । इन्हीं सूत्रों के अनुसार पेजव्यू के भारतीय मूल के 3000 व्यक्तियों को छोड़कर चले जाने के नोटिस पहले दे दिये गए बताए जाते हैं ।

(ख) चूंकि भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं, इसलिए सरकार इस मामले में कोई सीधी कार्यवाही नहीं कर सकती। लेकिन, संयुक्त राष्ट्र मंच पर, हम महासभा के ऐसे उपायों का बराबर समर्थन कर रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार को रंगभेद की अपनी नीति छोड़ने पर मजबूर करने के लिए किए जा रहे हैं; यह कार्यवाही भी इस नीति का एक अंग है ।

जम्मू तथा काश्मीर में सैनिक स्कूल

1557. श्री राम हरख यादव : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में एक सैनिक स्कूल खोलने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस स्कूल को कहां खोला जाएगा ; और

(घ) इस पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (घ). सैनिक स्कूल राज्य सरकारों के अभिक्रम पर स्थापित किए जाते हैं । अब तक जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सैनिक स्कूल खोलने संबंधी सैनिक स्कूल्ज़ सोसाइटी को राज्य से कोई औपचारिक निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

Laser Communication System

1558. Shri M.L. Dwivedi : **Shri Subodh Hansda :**
Shri S.C. Samanta : **Shri Bhagwat Jha Azad :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the results achieved by the device of transmitting messages through the Laser communication system developed by the Atomic Energy Establishment, Trombay and the experiments conducted for transmitting messages through this system between the Trombay Hills and the Tata Institute of Fundamental Research ;

(b) the advantages of the Laser transmission system ; and

(c) whether this system will also prove economical ?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The experiments have been successful. Further work on studying the potentialities of the system is in progress.

(b) The advantages of the laser system are : (i) the possibility of having a large number of channels operating on a single laser beam ; (ii) secrecy of communication and freedom from jamming and (iii) feasibility for deep space communication.

(c) As the work on the project is still in the experimental stage the economics of the system will be worked out when sufficient data becomes available.

राष्ट्रीय रक्षा परिषद्

1559. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **प्रधान मंत्री** 9 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4957 के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा परिषद् ने भाग (ग) (दो) और भाग (ग) (चार) में उल्लिखित उद्देश्यों, कृत्यों तथा कर्त्तव्यों को कार्यरूप देने के लिये क्या व्यावहारिक सलाह अथवा सुझाव दिया था; और

(ख) चालू वर्ष में सरकार ने इस सलाह अथवा सुझाव पर क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख). राष्ट्रीय रक्षा परिषद् मुख्यतया रक्षा से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक वादसभा है। सैनिक मामलों के विषय में परिषद् के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का निरीक्षण किया जाता है, और स्वीकार कर लिए जाने पर उन्हें कार्यान्वित किया जाता है । ऐसे विचार-विमर्श के विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा । लोक-संपर्क समिति (पब्लिक रिलेशन्ज़ कमेटी) तथा केन्द्रीय नागरिक परिषद् (सिटिज़न्ज़ सेंट्रल कौन्सिल) द्वारा प्राप्त हुए सुझावों में से कुछ, जो कार्यान्वित किए गए हैं, ये हैं :—

(1) सीमावर्ती क्षेत्रों में ठीक-ठीक समाचारों के प्रचार की कार्यवाईयों का संवर्धन, तथा सीमावर्ती ज़िलों में बड़े पैमाने पर सामुदायिक श्रवणयंत्रों (कम्युनिटी लिसनिंग सेट्स) का वितरण ।

(2) रक्षा प्रयास संबंधी फिल्मों तथा अन्य उपयुक्त साहित्य का उत्पादन।

(3) देश भर में प्रति वर्ष 20 अक्तूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाना।

(4) छविगृहों में राष्ट्रीय धुन का बजाया जाना ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन

1560. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 9 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1546 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना दिया जाता है तो उससे क्या-क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने सुरक्षा परिषद् के सदस्यों का स्थायी तथा वीटो के अधिकार वाले और अस्थायी अथवा बिना वीटो के अधिकार वाले सदस्यों के रूप में विभाजन को समाप्त करने के सुझाव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संयक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करने के लिये कोई कार्यवाही की है ताकि इससे अन्तर्राष्ट्रीय जाति प्रथा को समाप्त किया जा सके ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सुरक्षा परिषद् के तमाम स्थायी सदस्यों की अनुमति से संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करके ही सुरक्षा परिषद् के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बीच भेद दूर किया जा सकता है। सरकार का ख्याल है कि निकट भविष्य में इस तरह संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की कोई संभावना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तिब्बत के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण

1561. श्री मधु लिमये : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 9 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1542 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने चीन सरकार को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी है कि चीन द्वारा भारत के विरुद्ध ताजा आक्रमण किये जाने अथवा भारतीय राज्यक्षेत्र में अतिक्रमण किये जाने की स्थिति में सरकार "तिब्बत-चीन का एक भाग" संबंधी अपनी नीति के बारे में अपने रवैये में परिवर्तन करने को बाध्य होगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम जर्मनी से सैनिक साज-सामान की सप्लाई

1562. श्री मधु लिमये : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक : **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम जर्मनी भारत तथा पाकिस्तान दोनों को ही सैनिक साज-सामान की सप्लाई फिर से करने के लिए तैयार है ;

(ख) पश्चिम जर्मनी से किस प्रकार का सैनिक साज-सामान मिल सकता है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान द्वारा इस देश से या अन्य किसी देश से किस प्रकार के तथा कितने हथियार प्राप्त किये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान ने हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में हुई अपनी क्षति को पूरा करने तथा युद्ध करने की अपनी क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कितनी प्रगति की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख). जी हां । पश्चिमी जर्मनी सरकार द्वारा रक्षा साज़-सामान तीन श्रेणियों में श्रेणिवद्ध किया गया है । (क) श्रेणी सामान में आते हैं बड़े हथियार जैसे आण्विक और जीवाण्विक हथियार, प्राक्षेपक टैंक, युद्धपोत और लड़ाका बमबर्षक विमान । इनके लिए भारत और पाकिस्तान दोनों को निर्यात के लाइसेंस नहीं दिए जाते । 90 एम०एम० अन्तर्व्यास के टैंकभेदक हथियार, हथगोले, विस्फोटक कवचित गाड़ियां और छोटे नौसैनिक पोत और छोटे हथियार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र (ख) और (ग) श्रेणियों में आते हैं । इन श्रेणियों में आने वाली मदों के बारे में पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने कहा है कि निर्यात के लिए वह प्रत्येक एकल आवेदन का, उनके गुणों के आधार पर निरीक्षण करेंगे ।

(ग) जी हां, विदेश से सामान लेने के पाकिस्तान द्वारा प्रयत्नों और पिछले युद्ध में हुई क्षतियों को पूरा करने में तथा उसके युद्ध छेड़ने की क्षमता बढ़ाने में हुई प्रगति का सरकार को सतर्कता से ध्यान है ।

(घ) पाकिस्तान ने अपनी अधिकतम आर्मर क्षतिएं पूर्ण कर ली हैं; और अपने सभी वैमानिक ह्रास पूरे कर लिए हैं ।

भारत-पाकिस्तान सीमा का निर्धारण

1563. **श्री प्र० चं० बरुआ** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के किन भागों का अभी निरर्धाण किया जाना है ;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र (सेक्टर) में कितनी सीमा का अभी निर्धारण नहीं किया गया है ; और

(ग) मई, 1966 में ढाका में हुए भारत और पाकिस्तान के सवक्षण अधिकारियों के तिरासीवें सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये तथा उन के अनुसार क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). इन स्थानों पर रेखांकन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है :

(1) गुजरात—पश्चिम पाकिस्तान सीमा—लगभग 285 मील में रेखांकन का काम अभी शुरू नहीं हुआ है ।

(2) इन स्थानों में पश्चिम बंगाल—पूर्व पाकिस्तान सीमा :

(1) बेरूबाड़ी (लगभग 25 मील)

(2) जलपाईगुड़ी—दिनाजपुर क्षेत्र और कूचबिहार—रंगपुर क्षेत्र में बेरूबाड़ी के दोनों ओर की साथ-साथ लम्बाई (लगभग 3·62 मील)

(3) हिल्ली (लगभग 6 मील)

(4) महानंदा-वीररग और करातोआ के सहारे के नदी क्षेत्र (लगभग 28 मील)

(5) हंकर खाल और बेकरी खाल नदियों के साथ-साथ 24 परगना—खुलना—जैसोर क्षेत्र (लगभग 32 मील)

(3) इन स्थानों में त्रिपुरा—पूर्व पाकिस्तान सीमा :

(1) त्रिपुरा—सिलहट सब-सेक्टर (लगभग 188 मील)

(2) त्रिपुरा—चटगांव । चटगांव पहाड़ी इलाका सब-सैक्टर (लगभग 156 मील)

(3) त्रिपुरा— तिपैरा और नौआखली सब-सेक्टर (लगभग 22 मील)

(4) इन स्थानों पर असम-पूर्व-पाकिस्तान सीमा :

(1) मिज़ो ज़िला—चटगांव पहाड़ी इलाका सब-सेक्टर में लगभग 190 मील

(2) उमापति गांव के निकट लगभग 1 मील

(3) लाठी टीला—दूमावाड़ी गांवों के निकट लगभग 6 मील ।

(ग) 27 और 28 मई, 1966 को पश्चिम बंगाल और पूर्व पाकिस्तान के भूमि अभिलेख और सर्वेक्षण निदेशकों का जो 83वां सम्मेलन ढाका में हुआ था, उसकी कार्रवाई का रेकार्ड साथ लगा है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6695/66] । कई कारणों से बेरूबाड़ी और पहाड़ी इलाकों में रेखांकन के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है ।

अमरीका द्वारा दक्षिण वियतनाम में विषाक्त रसायनों का प्रयोग

1564. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को अमरीका द्वारा दक्षिण वियतनाम के नागरिकों पर विषाक्त रसायनों का प्रयोग करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या आयोग ने इस शिकायत के बारे में कोई जांच-पड़ताल की है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) ऐसा समझा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कमीशन को उत्तर वियतनाम की लोकसेना से इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका ने दक्षिण वियतनाम में नशीली चीज़ों और गैसों का इस्तेमाल किया है ।

(ख) और (ग). यह कमीशन अपने गतिविधियों के बारे में जेनेवा सम्मेलन के सह-अध्यक्षों को रिपोर्ट भेजता है । भारत सरकार को अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

Chinese claim on Indian territory

1565. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : **Shri Jaswant Mehta** :
Shri Rameshwaranand : **Shri Bade** :
Shri Raghunath Singh : **Shri Sonavane** :
Shri H.C. Soy : **Shri Y.D. Singh** :

Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China has claimed that territory bevond the line of actual control, including Longju, Chedong and other areas belong to her and she has every right to send her armies there ;

(b) whether it is also a fact that a note to this effect has been handed over to the Indian Embassy in China ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) A copy of the Chinese note of the 4th May is placed on the Table of the House. [Placed in Library *See* No. LT/6696/66].

(d) The Government had made their position clear to China in their note of February 8, 1966, which is included in White Paper No. XII placed in Parliament on March 22, 1966. In that note the Government had conclusively disproved the Chinese claim that Longju, "Chedong" and other areas belong to China and had also exposed the despatch of Chinese troops to these areas as a clear violation of the Colombo Proposals and the Chinese Government's own declarations and assurances. A further reply will be sent to the Chinese Government in due course.

महिला विमान-चालक

1566. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं को विमान चलाने के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या शत्रु द्वारा आक्रमण किये जाने के समय महिला विमान-चालकों को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी जाती है; और

(घ) क्या पाकिस्तान द्वारा हाल ही में किये गये आक्रमण के समय किन्हीं महिला विमान-चालकों ने अपनी सेवायें पेश की थीं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 के अन्तर्गत महिलाएं वायु सेना में भर्ती या रोजगार के लिए अर्ह नहीं हैं, सिवाय ऐसे विभागों/शाखाओं इत्यादि में जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा उल्लिखित करे ।

ऐसी अधिसूचना केवल चिकित्सा शाखा के संबंध में जारी की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

इजराइल द्वारा परमाणु बम का निर्माण

1567. **श्री राम सेवक यादव :** **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री किशन पटनायक :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेशी समाचारपत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि इजराइल ने आगामी वर्ष के दौरान परमाणु बम बनाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सामान्य निरस्त्रीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इज़राइल के इस प्रस्ताव के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने के संबंध में सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारत सरकार किसी भी रूप में एटमी हथियारों का उत्पादन करने के खिलाफ़ है और उस ने एटमी हथियारों का उत्पादन न करने की संधि पर जल्दी ही क़रार कराने की कोशिश की है । जब कि एटमी हथियारों के विस्तार को रोकने के उपायों के लिए व्यापक समर्थन है लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संधि की शर्तों पर कोई समझौता नहीं हुआ है । अठारह राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति में हमारा प्रतिनिधि इस प्रकार का क़रार कराने के लिए सक्रिय रूप से प्रयत्नशील है ।

नौसेना के कर्मचारियों द्वारा नागरिकों की मारपीट

1568. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री नौसेना के कुछ कर्मचारियों द्वारा नागरिकों के साथ मारपीट के बारे में 4 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 941 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जांच से पता चला है कि घटना कोचीन बन्दरगाह के टर्मिस स्टेशन पर बुक किए गए व्यक्तियों के नाम दर्शाने वाले चार्ट के प्रदर्शन के अभाव में एक बोगी विशष में नौसेना के सनिकों के लिए सीटों के अधिकार संबंधी गलतफहमी के फलस्वरूप हुई । उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्य-वाही की गई है जिसका कर्त्तव्य था अनुशासन बनाए रखना ।

बर्मा में नजरबन्द भारतीय लोग

1569. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री नाथ पाई :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : **श्री हेम बरुआ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 9 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4985 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आर्थिक अपराधों" के लिये बर्मा में नजरबन्द किये गये सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) बर्मा सरकार अभी मामले पर विचार कर रही है । रंगून स्थित हमारा राजदूतावास इस मामले में बराबर प्रयत्न कर रहा है ।

अणुशक्ति का विकास

1570. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये अणुशक्ति के विकास पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि व्यय की गई और चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है ;

(ख) पन बिजली (हाइडल) तथा ताप बिजली (थर्मल) के स्थान पर अणुशक्ति का प्रयोग कहां तक किया जा सकता है और किन किन शांतिपूर्ण कार्यों में इसका प्रयोग किया जा सकता है ; और

(ग) ट्राम्बे अणुशक्ति केन्द्र तथा मद्रास अणुशक्ति केन्द्र इस समय किस स्थिति में हैं ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोग के विकास पर किया गया व्यय निम्न तालिका के अनुसार है :—

योजना का नाम	**तीसरी योजना की अवधी में किया गया व्यय** (करोड़ों रुपयों में)
1. अनुसंधान तथा बिकास	33.25
2. परमाणु खनिजों का सर्वेक्षण तथा खनन परमणु ऊर्जा कार्यक्रम की सहायता के लिये आवश्यक औद्योगिक कार्य; इलैक्ट्रानिक्स फैक्ट्री	7.90
3. परमाणु बिजली (उन बिजली घरों से सम्बद्ध अग्रिम कार्य को छोड़कर जिनका निर्माण पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान करना विचाराधीन है)।	33.13
कुल जोड़	73.26

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये राशि अभी निर्धारित नहीं की गई।

(ख) परमाणु ऊर्जा बिजली का एक सहायक स्रोत होगी। बिजली पैदा करने के अतिरिक्त भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं:—रेडियो–आइसोटोपों का उत्पादन तथा कृषि के क्षेत्र में उनका उपयोग, खाद्य परिरक्षण जीव-विज्ञान, उद्योग, दवाइयां, गाद के बारे में अध्ययन पानी का अपेक्षाकरणी इत्यादि।

(ग) ट्राम्बे में कोई बिजलीघर स्थापित नहीं किया गया जा रहा है। मद्रास परमाणु बिजली घर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा उसका पूरा होना इस बात पर निर्भर है कि इसके लिए आवश्यक विदेशी मद्रा का प्रबन्ध हो सके।

सीमावर्ती सड़कें

1571. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पूर्वी तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के विकास के लिये चालू वर्ष में कितनी राशि नियत की गई है ;

(ख) क्या देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इन सड़कों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) देश के पूर्वी तथा अन्य सीमाओं में सीमावर्ती सड़कों के विकास के लिए चालू वर्ष में विकास के लिए बड़े निर्माण कार्यों के लिए बजट में 46.53 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

(ख) जी हां। कार्यक्रम में सड़कों की आवश्यकता और परस्पर प्राथमिकता के संबंध में जनरल स्टाफ की योजनाओं सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात फैसला किया जाता है।

(ग) सीमा सड़कों के विकास संबंधी बोर्ड के फोरी कार्यक्रम में शामिल है उत्तर और उत्तर-पूर्व सीमाओं में 3970 मील नई सड़कों का निर्माण और विद्यमान 2773 मील सड़कों में सुधार। बोर्ड के उपरोक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त पश्चिमी सीमा (राजस्थान और गुजरात) में 3450 मील सड़कों का निर्माण सुधार सड़क विभाग की योजनाओं में शामिल है।

31 मार्च, 1966 तक बोर्ड द्वारा कार्यक्रम में शामिल सड़कों के निर्माण में हुई प्रगति इस प्रकार है :—

नई सड़कों की कटाई	**मील**
श्रेणी 9 (20 फुट चौड़ी सड़क)	$1669\frac{1}{2}$
श्रेणी 5 (16फुट चौड़ी सड़क)	$323\frac{1}{2}$
श्रेणी 3 (8 फुट चौड़ी सड़क)	129
	2122

तल निर्माण	मील
रोड़ी बिछाना	2204
पक्का करना . .	1871
कोलतार बिछाना . . .	1331

सुधार यह एक निरन्तर प्रक्रिया है; रेखिक प्रगति बताना संभव नहीं है ।

राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में अब तक 53 मील सड़कों का निर्माण किया गया है; और निर्माण कार्य प्रगतिशील है ।

Use of English on A.I.R.

1572. **Shri Sidheswar Prasad :**
Shri Rishang Keishang :

Will the **Minister of Informatin and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chanda Committee on Broadcasting and Information media has described the 'English' of the A.I.R. as bookish ;

(b) whether it has also been stated that English talks are ineffective ; and

(c) if so, the steps taken to stop or curtail the English programmes ?

The Minister of Information and Broadcating (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) The Committee on Broadcasting and Information Media has in its Report described the language used by All India Radio in their English programmes as 'Pedantic and stilted'and 'too academic and latinised' which by implication might mean bookish and ineffective.

(c) The solution does not lie in stopping or curtailing the English programmes. Every effort will be made to improve these programmes in the light of observations made by the Committee.

Visit to Germany by Minister of Works and Tourism of Maharashtra State

1573. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shrimati Renu Chakravartty :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S.C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri M.L. Dwivedi :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri Hem Barua :
Shri Nath Pai :
Shri Alvares :
Shri Surendranath Dwivedy :
Shri D.D. Puri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister of Works and Tourism of Maharashtra had been sent to West Germany as a special emissary ;

(b) whether he had requested the Government of West Germany to mediate with a view to improve relations between India and Pakistan ; and

(c) if so, the progress so far made in regard thereto ?

The M nister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir. Shri Homi Taleyarkhan visited the Federal Republic of Germany on the invitation of the Government of that country .

(b) No, Sir.

(c) The question does not arise.

Enquiry into theft of map by an employee of A.I.R.

1574. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4956 on 9th May, 1966 and state :

(a) whether the inquiry into the theft of a map by an employee of A.I.R. has since been completed ;

(b) if so, the results thereof ;

(c) if not, the reasons for the delay ; and

(d) whether further enquiry against those officers mentioned in the statement, whose departure to Pakistan was not definitely known to Government at that time, has been made ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) (a) to (c) : The enquiry has since been completed and nothing incriminating has been found against the official in so far as the theft of the map is concerned.

(d) Yes, Sir. Further enquiries as to whether or not the fifteen employees who had been issued 'no objection' certificates but about whose visit to Pakistan no information was then available, have revealed that only five of them actually visited Pakistan and the rest did not.

Modernisation of Ordnance Factories

1575. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5019 on the 9th May, 1966, and state :

(a) the number of Ordnance factories in respect of which steps have been taken for modernisation, and the time by which the remaining factories will be modernised ; and

(b) whether full production capacity is being utilised along with other measures to reduce production costs ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A.M. Thomas) : (a) The Modernisation Plan covers all the old factories and commensurate with the requirements and the resources available it is being implemented. It is expected that by the end of the 4th Five Year Plan, the plans would have been completed. However, modernisation is a continuously evolving process specially due to increasing sophistication even in the field of conventional weapons.

(b) Yes, Sir, subject to priority being given to meeting the demands of the Services to the maximum extent possible.

मलयाली फिल्म "ची मी न"

1576 **श्री यशपाल सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1966 में फिल्म डिवीजन के आडिटोरियम में राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक को प्राप्त करने वाली मलयाली फिल्म "ची मी न" के बुकिंग के पहले दिन केवल 25 टिकट बिक्री के लिये रखे गये जब कि सीटें 1000 थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं । विज्ञान भवन की सभी 973 सीटों के लिए टिकट लगाया गया था और सभी टिकट जनता को बेचे गये ।

(ख): प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सीमा निर्धारण

1577. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री तुला राम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सोनावने :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रा० बरुआ :
डा० रानेन सेन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के साथ सीमा निर्धारण के लिए जिस में हिली और बैरूबाड़ी भी शामिल हैं हाल में भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के दलों की एक बैठक हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) और राजशाही (पूर्व पाकिस्तान) के बीच मौज़ा मानिक पुर से लगे चार क्षेत्र में वग्गे लाइन के साथ-साथ सम्मिलित सर्वेक्षण और तदर्थ सीमांकन का कार्य शुरू किया गया था और 20–6–1966 को पूरा कर दिया गया था।

बेरूबाड़ी क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम 11 जून, 1966 को शुरू किया गया था लेकिन मौनसून आदि (2) स्थानीय निवासियों के विरोध करने और (3) खम्भों के निर्माण के विरुद्ध कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के कारण संतोषजनक प्रगति इस में नहीं की जा सकी। भारत और पाकिस्तान सर्वेक्षण अधिकारियों के बीच सहमति हो जाने के बाद 22 जुलाई, 1966 से सभी सर्वेक्षण क्षेत्र कार्य बंद कर दिया गया है ।

पहाड़ी क्षेत्र में 11 जून, 1966 को सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ था लेकिन इस में बहुत कम प्रगति हुई है क्योंकि पाकिस्तान के ज़रूरी सर्वेक्षण कर्मचारी वहां से चले गए हैं।

2. असम-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर वास्तविक क्षेत्र कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है । भारतीय और पाकिस्तानी सर्वेक्षण दलों ने अगले क्षेत्र-कार्य मौसम के लिये क्षेत्र कार्य का सम्मिलित कार्यक्रम तैयार किया है ।

नेपाल, भूटान और सिक्किम में विकास कार्य

1578. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में नेपाल, भूटान और सिक्किम को उनके विकास कार्यों के लिये सहायता देने के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ख) जिन कार्यों को क्रियान्वित किया जायेगा उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है इस लिए सहायता का ब्यौरा और मात्रा अभी निश्चित नहीं की गई है । लेकिन भारत सरकार ने वर्ष 1966–67 के लिए नेपाल, भूटान और सिक्किम के लिए क्रमश: 598.98 लाख रुपए, 275 लाख रुपए और 175 लाख रुपए निश्चित कर दिए हैं ।

(ख): भारत सरकार की सहायता का विवरण मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत आता है :

1. संचार
2. सिंचाई और बिजली
3. जलपूर्ति की योजनाएं
4. शिक्षा
5. बागवानी
6. वन्य-विज्ञान
7. स्वास्थ्य और
8. मशीनरी और उपकरण ।

Navy Plane Crash

1580. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3839 on the 18th April, 1966 and state :

(a) whether the Enquiry Committee appointed to enquire into the causes of the crash of a sea-plane belonging to the I.N.S. Vikrant flagship of the Indian Navy in the sea off Versova near Santa Cruz airport, Bombay has since submitted its Report ; and

(b) if so, the details of the accident ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) While returning to the aircraft carrier, when he was over Santa Cruz airport, the pilot of the aircraft noticed that rear fuel tank fire warning light of the aircraft was showing 'ON'. The pilot immediately took the prescribed emergency action but the light did not switch off. The pilot then gave the distress call and ejected.

The pilot was picked up by a fishing vessel after about 40 minutes and landed ashore at Worli Koliwada. He received minor bruises only.

The Board of Inquiry could not arrive at any definite conclusion with regard to the cause of the fire warning light having come 'ON' in the aircraft, as efforts to salvage the aircraft were unsuccessful.

ई० एम० ई० और आर्मी स्टेशन वर्कशापों में फालतू श्रमिक

1580. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना, ई० एम० ई० और सारे देश के स्टेशन वर्कशापों में सरकार की सेवा मुक्ति नीति (डिस्कार्ड पालिसी) के परिणाम स्वरूप फालतू घोषित किये गये श्रमिकों को अन्य समान रोजगार दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन श्रमिकों की संख्या क्या है जिनके नाम अभी भी फालतू श्रमिकों की सूची में हैं ; और

(ग) सरकार ने उन्हें रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख). कुल 2059 औद्योगिक कर्मचारियों में से, जो "बी" गाड़ियों के रद्द कर देने की नीति के कारण ई० एम० ई० की आर्मी वेस वर्कशापों और विहीकल डिपु वर्कशापों की आवश्यकताओं से फालतू घोषित किए गए थे, केवल 196 शेष कर्मचारियों का काम दिलाना बाकी है। रद्द करने की नीति से वर्कशापों की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) फालतू कर्मचारी, एक केन्द्रीय एजेंसी द्वारा रक्षा संगठनों में प्राप्य वैकल्पिक नियुक्तियों के विरुद्ध समंजित किए जा रहे हैं। इन कर्मचारियों को खपाने के लिए केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों के परिवहन विभागों और तीन वाणिज्य फर्मों को कहा गया था। उन में से एक बड़ी संख्या को पुनरभिस्थापन प्रशिक्षण दिया गया है, और मशीनेस्टों के तौर पर आर्डनेंस फैक्ट्रियों में खपाया गया है। ऐसे व्यक्तियों की, छंटनी से सुरक्षा की अवधि बढ़ा कर 31 अक्तूबर 1966 कर दी गई है। जिन्हें वैकल्पिक काम नहीं दिए गए। इस बीच उन के लिए वैकल्पिक काम ढूंढने के लिए अधिक प्रयास जारी रहेंगे।

रोडेशिया के बारे में जम्बिया के राष्ट्रपति कोन्डा द्वारा वक्तव्य

1581. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जम्बिया के राष्ट्रपति कौंडा द्वारा 22 मई, 1966 को दिए गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि जुलाई के अन्त तक रोडेशिया में विद्रोह समाप्त नहीं हुआ तो वह ब्रिटेन के राष्ट्रमण्डल से निकाले जाने की मांग करेगा ;

(ख) इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस बारे में भारत सरकार को राष्ट्रपति कौंडा से कोई लिखा पढ़ी हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, सरकार ने जम्बिया सरकार द्वारा जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति देखी है, जिसके अनुसार प्रेसीडेंट कौंडा ने कहा बताया जाता है कि अगले राष्ट्रमण्डल सम्मेलन तक अगर रोडेशिया का विद्रोह समाप्त न हुआ तो वे ब्रिटेन को राष्ट्रमंडल से निकालने का प्रस्ताव रखेंगे।

(ख) और (ग). जम्बिया की सरकार ने भारत सरकार को कुछ भी नहीं कहा है और इसलिए इस मामले में कोई कार्यवाई नहीं की गई है। लेकिन, रोडेशिया के बारे में भारत की स्थिति सर्वविदित है और हम "एक व्यक्ति एक वोट" के आधार पर वहां वस्तुतः राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना की दिशा में बराबर कार्य करते रहेंगे।

Shortage of Newsprint

1582. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the further progress made in removing the shortage of newsprint ;

(b) whether Government propose to enhance the quota of newsprint for the language newspapers in view of their increased demand ; and

(c) if so, the time by which the final decision will be taken in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) A further allocation of 2 million dollars has been made out of U.S. non-project loan aid for the import of additional newsprint.

(b) In the Newsprint Allocation Policy for 1966-67, promulgated in the Ministry of Commerce Public Notice No. 54-ITC (PN)/66, a copy of which was laid on the Table of the House on 26th April 1966, there is provision for the grant of an additional quantity of newsprint for increase in circulation for all newspapers, including language papers in different circulation ranges.

(c) The question of increasing the existing quota will be considered when additional supplies of newsprint actually become available.

बाल फिल्म सोसाइटी

1583. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाल फिल्म सोसाइटी सप्रू हाउस, नई दिल्ली के भूतपूर्व पदाधिकारियों के विरुद्ध संस्था का बहुतसा धन गबन करने सम्बन्धी अदालती मामले का क्या परिणाम निकला है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : बाल फिल्म संस्था के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध 50,000/- बैलजियन फ्रांक गबन करने का 29-7-1965 को एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था। यह रकम उसने इंटरनेशनल सेंटर आफ चिल्ड्रेन फिल्म्स, ब्रुसेल्स से इंडियन नेशनल सेंटर के लिए प्राप्त की थी और उसका उसने कोई हिसाब नहीं दिया था। यह मुकदमा दिल्ली की एक दीवानी अदालत में चल रहा है और पेशी की अगली तारीख 1 सितम्बर, 1966 है।

Refining Institutions

1584. Shrimati Savitri Nigam : Will the **Prime Minister** be pleased to state the names of the States in which institutions have been established for refining and processing radioactive and other specified substances ?

Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : Kerala, Maharashtra and Punjab. The Uranium Ore Mill being set up in the State of Bihar is expected to be commissioned by the beginning of the next year.

कालपक्कम (मद्रास) में अणु शक्ति केन्द्र

1585. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में कालपक्कम में परमाणु बिजली घर स्थापित करने के स्थान के बारे में अब अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां, बशर्ते कि प्रायोजना के लिये आयात किये जाने वाले उपकरणों के मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध हो सके ।

(ख) प्रायोजना प्रतिवेदन पहले ही तैयार किया जा चुका है ।

श्री ए० जेड० फिजो के साथ बातचीत

1586. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री दे० द० पुरी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके सभा-सचिव श्री ए० जैड० फिजो के साथ बातचीत करने के लिये लन्दन गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) संसदीय सचिव, श्री सी० एस० जमीर 1963 में लन्दन गए थे और श्री ए० जैड० फिजो से बातचीत की थी ।

(ख) 1963 की उनकी बातचीत का जो निष्कर्ष निकला था, उस पर 16-9-63 को सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 684 के सिलसिले में विचार विमर्श किया गया था ।

अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य

1587. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अणु शक्ति आयोग के नये अध्यक्ष द्वारा उनके पहले सम्वाददाता सम्मेलन में दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने भारत द्वारा परमाणु हथियार बनाने की पूर्वापेक्षित आवश्यकताओं का उल्लेख किया ;

(ख) यदि हां, तो ये पूर्वापेक्षित आवश्यकतायें वस्तुतः क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके कथन के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई औद्योगिक संस्थान स्थापित करने का है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) परमाणु साधनों के विकास के लिये पूर्वापेक्षित आवश्यकतायें हैं—न्यूक्लीय तथा वायुअन्तरिक्ष विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में, अत्यधिक विकसित औद्योगिक आधार पर आश्रित प्रगति, अन्तरिक्ष टैकनोलोजी का विकास, धातु की तथा उच्च इलैक्ट्रोनिक्स के विकास के साथ-साथ विशिष्ट प्रकार के पदार्थों के उत्पादन की क्षमता, सूक्ष्म यंत्र, निर्माण तथा साधन विनियोग, नियन्त्रण पद्धति सूक्ष्मतरंग इलैक्ट्रानिक्स और उच्च गति सगंणकों का विकास ।

(ग) उच्च टैक्नोलोजी युक्त मजबूत औद्योगिक आधार का विकास आर्थिक विकास तथा रूढ़ हथियारों की सहायता से सुरक्षा के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि परमाणु हथियारों से सुरक्षा के लिये। सरकार इलैक्ट्रानिक्स कमेटी की सिफारिशों को लागू करने तथा दूसरे क्षेत्रों में प्राप्त साधनों को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये सक्रिय कदम उठाने पर विचार कर रही है ।

भारतीय फिल्म संस्था

1588. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म संस्था फिल्म उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार कर सकी है ;

(ख) क्या अब तक प्रशिक्षित किये गये सभी व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है ; और

(ग) यदि नहीं, तो भविष्य में प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) अब तक फिल्म इन्स्टीट्यूट से 92 व्यक्तियों ने डिप्लोमा प्राप्त किया है । इन में से 79 को काम मिल गया है और बाकी 13 व्यक्तियों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) इन्स्टीट्यूट से डिप्लोमा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त रोजगार दिलाने के लिए इन्स्टीट्यूट, फिल्म उद्योग और सरकारी विभागों से बराबर सम्पर्क रखता है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित सरकारी उपक्रमों में निर्मित सामान का निर्यात

1589. **श्री व० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या उनके मंत्रालय द्वारा नियंत्रित सरकारी उपक्रमों में निर्मित सामान के निर्यात के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया ; और

(ग) इन उपक्रमों द्वारा निर्यात के लिये सामान बनाए जाने के क्या कारण हैं जब कि स्वयं देश को प्रतिरक्षा सामान की आवश्यकता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). विदेशी मुद्रा अर्जित करने की अवश्यकरणीय जरूरत को सामने रखते हुए राजकीय क्षेत्र के उपक्रमों में निर्मित कुछ तैयार सामान निर्यात करने का प्रयास 1965 में शुरू किया गया था, जो रक्षा मन्त्रालय के नियन्त्रण अधीन हैं। यह उपक्रम रक्षा साजसामान निर्माण करने के अतिरिक्त असैनिक जरूरतों के लिए साजसामान का भी उत्पादन करते हैं। निर्यात की जाने वाली मदें इन उपक्रमों की साधारण असैनिक उत्पादन लाइन्ज से थीं, और साधारणत: इन में शामिल थे मशीनी हथियार और डीजल इंजन तथा अन्य इंजीनियरी मदें ।

पुराने माल

1590 **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० च० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनावश्यक वर्तमान तथा पुराने माल की जांच करने के लिए स्थापित किये गये तकनीकी दल ने 56.4 करोड़ रुपये के मूल्य के माल को बेचने की सिफारिश की थी

(ख) यदि हां, तो यह माल कब से जमा है ; और

(ग) अनावश्यक वर्तमान माल का ब्यौरा क्या है जिसे बेचे जाने की सिफारिश की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक तकनीकी दल ने जो 1964 में चालू और लुष्यमान सामानों की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था, 54.39 करोड़ रुपये की लागत के सामान का 30 जून, 1966 तक निपटारा करने की सिफारिश की है ।

(ख) समय-समय से निपटारे के लिए फालतू सामान जमा होते रहे हैं और उन में द्वितीय विश्व युद्ध के फालतू सामान भी शामिल हैं।

(ग) निपटारे के फालतू चालू और लुष्यमान सामान वह हैं जो अपनी निधानी अवधि में या सम्बन्धित मुख्य साजसामान/गाड़ी की प्रायोजनावद्ध अवधि में उपयुक्त नहीं किए जा सकते, और जिनका कोई वैकल्पिक उपयोग भी नहीं है । वह निम्न मुख्य श्रेणियों में आते हैं :—

जनरल स्टोर्ज

क्लोदिंग स्टोर्ज

आर्मामेंट स्टोर्ज

इंजीनियरी स्टोर्ज और एम० टी० स्टोर्ज

चालू सामान के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े प्राप्य नहीं हैं।

मरमागाओं में नाविक अड्डा

1591. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरमागाओं में एक नाविक अड्डा स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) से (ग). परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई प्रायोजना रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

जहां तक नौसेना का सम्बन्ध है मुख्य सिफारिशें अल्पारक्वेयर्ज बिन्दु के इर्दगिर्द विकास, साथ लगते वास्को खाड़ी के पूर्वी आधे भाग के बड़े नौसैनिक पोतों के लिए प्रयुक्त किए जाने, और बाडेम खाड़ी के छोटे पोतों के अड्डे के तौर पर प्रयुक्त किए जाने से सम्बन्धित हैं ।

पोर्ट ब्लेयर में नौसैनिक सुविधायें

1592. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर में घाट बनाने तथा मरम्मत के लिए वर्कशाप बनाने जैसी नौसैनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसे कब क्रियान्वित किया जाएगा ; और

(ग) क्या इन सुविधाओं की व्यवस्था केवल प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख). पोर्टब्लेयर में एक वार्फ के निर्माण की आवश्यकता सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और उसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया पर विचार हो रहा है । मरम्मत सुविधाओं के लिए वर्कशाप के निर्माण के प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) यह सुविधाएं असैनिक उद्देश्यों के लिए भी प्राप्य होंगी ।

Manufacture of Rifles and pistols

1593. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the rifles and pistols manufactured in India are enough to meet the requirements of the Army or whether these have still to be imported ;

(b) the number of rifles being manufactured daily at Ishapore ordnance Factory ;

(c) whether Government propose to manufacture stenguns and light machine guns also in India ; and

(d) if the above arms are already manufactured in India, the percentage of indigenous components used therein ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) and (b): Rifles are being manufactured in Ordnance Factory, Ishapore and the rate of production is sufficient to meet the requirements of the Army. It will not be in the public interest to disclose the number of rifles being manufactured daily. Pistols are not being manufactured in India but their production is likely to be started in the near future. Immediate requirements are met by import.

(c) A superior version of Sten Gun called the Carbine and Light Machine Guns are already being manufactured in India.

(d) The manufacture of these weapons does not require the use of any imported Components.

भारतीय उद्भव के कर्मचारियों को जफना नगर पालिका सेवा से निकाला जाना

1594. **श्री उमानाथ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीलंका में जफना नगरपालिका सेवा से भारतीय उद्भव के कर्मचारियों के निकाले जाने की जानकारी है ;

(क) क्या यह सच है कि यह कार्यवाही श्रीमावो-शास्त्री करार के खण्ड 7 के विरुद्ध है ;

(ग) कितने कर्मचारियों को निकाला गया है ;

(घ) क्या इस मामले में श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और हमारी सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को मालूम है कि भारतीय मूल के कुछ मजदूर बर्खास्त कर दिए गए हैं। ये लोग जफ़ना बंदरगाह पर और कानके सनतुराइ बंदरगाह पर कुछ ठेकेदारों के यहां काम करते थे, जफ़ना म्यूनिसिपल सर्विस में नहीं थे।

(ख) श्रीलंका-स्थित हमारे हाई कमिशन से उन्होंने कोई विरोध-प्रदर्शन नहीं किया है और इसलिए यह समझा जाता है कि वे भारत-श्रीलंका करार की धारा 7 के अन्तर्गत नहीं आते।

(ग) बोस।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मलेशिया, थाइलैंड इन्डोनेशिया तथा फिलीपाइन्स का संघ

1595. **श्री कपूर सिंह :**
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मलेशिया, थाइलैंड, इन्डोनेशिया तथा फिलिपाइन्स के प्रस्तावित संघ के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार ने मलेशिया, थाइलैंड, इन्डोनेशिया और फिलिपीन्स के संघ की सम्भावना के बारे में समाचार-पत्रों की ख़बरें देखी हैं। इन प्रस्तावों ने ठोस रूप ग्रहण नहीं किया है। इसका फैसला करना संबद्ध देशों का काम है। इसलिए सरकार समझती है कि इस प्रस्ताव के विषय में उसकी प्रतिक्रिया बताना समय से पूर्व होगा।

ग्रामीण सामुदायिक रेडियो सैट

1596. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों के सूचना निदेशकों ने जिनकी हाल में दिल्ली में बैठक हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक देश के प्रत्येक गांव में सामुदायिक रेडियो सेट की व्यवस्था करने के लक्ष्य की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) हमारा लक्ष्य है कि जितनी जल्दी हो सके देश के प्रत्येक गांव में एक रेडियो सैट लगा दिया जाए बशर्ते धन और विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो और राज्यों में इन सेटों की देखरेख का प्रबन्ध हो। चौथी योजना में जो अभी मंजूर होनी है, पंचायती रेडियो खरीदने के लिए, सहायतार्थ 5 करोड़ रुपये रखने पर विचार किया जा रहा है। इससे 4,00,000 और सैटों की व्यवस्था हो सकेगी।

केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर के कर्मचारी

1597. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1966 में केन्द्रीय आयुध डिपो के कुछ कर्मचारियों को बिना आरोप-पत्र (चार्ज-शीट) तक दिये नौकरी से निकाल दिया गया था ;

(ख) क्या इस प्रकार नौकरी से निकाल देना वर्तमान नियमों के अन्तर्गत गैर-कानूनी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख). सी० ओ० डी०, कानपुर के तीन नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवाएं, उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार 3 जून, 1966 को समाप्त कर दी गई थीं। इससे पहले कि उनकी सेवाएं समाप्त की गईं, उन्हें चार्ज-शीट नोटिस देना आवश्यक न था।

(ग) सरकार को इस संबंध में प्रत्यावेदन भेजे गए हैं, और उन पर विचार किया जा रहा है।

प्रक्षेपणास्त्र (मिसाइल)

1598. श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थल सेनाध्यक्ष ने हाल ही में एक पत्र-संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि वह इस बात के पक्ष में हैं कि भारत के पास प्रक्षेपणास्त्र हों ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) तथा (ख). जी हां, पर किसी प्रकार की अधिक सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

लापता सैनिक कर्मचारी

1599. श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सिपाही तथा अधिकारी जिन्होंने पाकिस्तान के साथ हाल में हुए संघर्ष में भाग लिया था, अभी तक लापता हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बात की आशंका है कि उनमें से कुछ व्यक्ति पाकिस्तान के कब्जे में हैं ; और

(घ) क्या लापता सैनिकों के बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों से पूछताछ की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) उन में से, जो पाकिस्तान से हाल के संघर्ष में युद्ध करने में प्रवृत्त थे, अभी तक, (सेना के 387 और वायुसेना के 12) 399 रक्षा सेविवर्ग लापता थे । उनमें से (सेना के 205 और वायु सेना के 7) 212 वर्तमान नियमों के अनुसार अब तक मारे गए परिकल्पित किए गए हैं ।

(ग) तथा (घ). उनमें से कुछ के पाकिस्तान द्वारा बन्दी बनाए जाने की आशंका नहीं है । तदपि पाकिस्तानी अधिकरणों से पूछताछ के लिए रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति के प्रतिनिधि को सभी लापता सेविवर्ग के नाम भेजे गए हैं ।

श्री ए० जैड० फिजो का वक्तव्य

1600. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान विद्रोही नागाओं के नेता, श्री ए० जैड० फिजो के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने 3 जून को अपने निवास स्थान वोम्ले कैन्ट (ब्रिटेन) में दिया था और जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की नागा समस्या का हल ढूंढने में निष्ठा की प्रशंसा की थी; और

(ख) मि० फिजो की इस घोषणा के संदर्भ में कि विद्रोही नागा लोग भाई की भाई से लड़ाई को अच्छा नहीं समझते इस समस्या को हल करने में और कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) छिपे नागाओं के साथ बातचीत का अगला दौर 10 अगस्त, 1966 को शुरू होने की उम्मीद है ।

स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू के फोटो आदि की प्रदर्शनी

1601. श्री हनुमन्तैया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय प्रधान मंत्री , श्री जवाहरलाल नेहरू की फोटो, लेखों, आदि की अब तक भारत में और विदेशों में कितनी प्रदर्शनियां की गई हैं ; और

(ख) उन पर कितना धन खर्च किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सूचना नीचे दी गई है :—

	प्रदर्शिनियों की संख्या	खर्चा
भारत	23	2,71,000.00
विदेश (विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित)	11	22,62,648.55

राकेटों का निर्माण

1603. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रधान मंत्री** 18 दिसम्बर, 1965 को थुम्बा इक्वेटोरियल राकेट लांचिंग केन्द्र से छोड़े गये राकेट के ठीक से कार्य न करने के बारे में 11 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1044 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच की उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). थुम्बा स्थित विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र से 18 दिसम्बर, 1965 को यंत्रों से युक्त भारयोग सहित जो जुडी-डार्ट राकेट छोड़ा गया लेकिन जिसने ठीक कार्य नहीं किया वह अन्य कई ऐसे राकेटों में से एक था जिन्होंने संतोषजनक कार्य किया । राकेट के निर्माताओं को इस राकेट के ठीक कार्य न करने के बारे में रिपोर्ट दी गई थी । उन्होंने अब बताया है कि वे इस राकेट के ठीक कार्य न करने के कारणों का पता नहीं लगा सके । निर्माताओं ने राकेट की कीमत वापिस देने का प्रस्ताव किया है । राकेट के बदले में दूसरा राकेट लेने का विचार है ।

मद्रास में नया सैनिक स्कूल

1604. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** 11 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1056 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में मद्रास मे एक नया सैनिक स्कूल खोलने के लिये मद्रास सरकार के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख). मद्रास सरकार का, दूसरा सैनिक स्कूल खोलने के लिए प्रस्ताव सैनिक स्कूलज़ सोसाइटी के बोर्ड आफ गवर्नर्ज़ के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया था । मद्रास सरकार ने हाल ही में बताया है कि वर्तमान बचत प्रयास को सामने रखते दूसरे स्कूल के लिए कोडैकनाल में स्थान के संबंध में वह पुन: विचार कर रहे हैं । जैसे कि 11 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1056 के उत्तर में सदन को बताया गया है, यह स्कूल अब 1967 सत्र से नहीं खोला जाएगा ।

हंगरी की सहायता से टेलीविज़न सेवा का विस्तार

1605. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 18 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3825 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हंगरी की सहायता से भारत में टेलीवीज़न सेवा का विस्तार करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : टेलीविज़न के सामान को विदेशी सहयोग से लेने/बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। हंगरी से सहायता लेने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रधान मंत्री के सचिव द्वारा बर्मा की यात्रा

1606. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के सचिव हाल में बर्मा के नेताओं से बातचीत करने के लिए बर्मा गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी हां। वर्मा से अतिरिक्त चावल प्राप्त करने के लिए प्रधान मंत्री के सचिव बर्मा गए थे। हमारी प्रार्थना पर बर्मा सरकार ने 80,000 टन चावल सुलभ किया ।

मध्यम दर्जे के परिवहन विमान

1607. **श्री कपूर सिंह :** **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री गुलशन : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1966 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का देश की मध्यम दर्जे के परिवहन विमानों की मांग एवरो-748 विमान द्वारा पूरी करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० एम० थामस) : (क) तथा (ख). जी हां, इण्डियन एयरलाइन्स ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स को 15 एच० एस० 748 विमानों के लिए आर्डर दिया है। स्वाभाविक तौर पर आशा की जाती है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्यम परिवहन विमानों के लिए इण्डियन एयरलाइन्स की अगर कोई अधिक आवश्यकताएं हुईं तो हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से सप्लाई द्वारा पूर्ण की जाएगी। इस संबंध में इण्डियन एयरलाइन्स से उचित समय पर बातचीत की जाएगी ।

पाकिस्तान में चीन के सैनिक विशेषज्ञ

1608. **श्री कपूर सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1966 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत के नदिया जिले के सामने उस पार कुस्थिया में लगभग 300 चीनी सैनिक विशेषज्ञ आये हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को रिपोर्ट का ध्यान है। जहां तक हमें ज्ञान है चीनी इस क्षेत्र में बहुत कम संख्या में हैं।

रेडियो सीलोन से भारतीय गीत

1609. **श्री कर्णी सिंह जी :**
श्री उमानाथ :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय चलचित्र निर्माताओं से इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि वह रेडियो सीलोन से प्रसारित किये जाने वाले भारतीय फिल्मी गीतों तथा विज्ञापनों को बन्द करवाने में मदद करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के एक प्रस्ताव के अनुसार अनेक फिल्म निर्माताओं ने रेडियो सीलोन से कहा है कि वह उनकी गीतों के रिकार्ड बजाना बन्द कर दे। सरकार स्थिति को ध्यान से देख रही है और जो भी कार्रवाई आवश्यक समझी जाएगी, करेगी।

भारतीय वायु सेना के लिये सामान का इंडेंट

1610. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सामान खरीदने के लिये, जो यद्यपि भारतीय वायु सेना के स्टाक में था लेकिन उनका पता नहीं लगाया जा सका था, लन्दन में भारत के वायु सेना सलाहकार के जरिये क्रयादेश दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मूल्य 4 पौण्ड बताया गया था जब कि वास्तविक मूल्य लगभग 93,000 रुपये था ;

(ग) क्या बाद में इस क्रयादेश को रद्द करने की कोशिश की गई थी क्योंकि मंगाई गई चीजें पहले ही स्टाक में थीं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग). जी हां।

(घ) सप्लाई करने वालों ने 7 मदों में से केवल 5 को कैन्सल करना स्वीकार किया। जिन दो मदों को कैन्सल करना सप्लाई करने वालों द्वारा स्वीकार नहो किया गया था उन्हें बाद में एक उत्तरवर्ती मांग को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया गया था।

शान्ति सेना (पीस कोर)

1611. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्ति सेना ने भारत में काम करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस शान्ति सेना के कृत्य, सफलतायें और भावी कार्यक्रम क्या हैं :

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां, शान्ति सेना दिसम्बर, 1961 से भारत में कार्य कर रही है ।

(ख) शान्ति सेना स्वयं सेवक भारत में मुख्यत: निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं :

(1) खाद्य उत्पादन और संबंद्ध कार्यक्रम ;

(2) ग्राम्य जन स्वास्थ्य ;

(3) स्कूली शिक्षा विशेषकर विज्ञान और बाल-कार्य ;

(4) लघु उद्योग, उपभोक्ता सहकार समितियां और शहरी सामुदायिक कार्य ।

अपनी सीमाओं में यह कार्यक्रम उपयोगी पाया गया है । भारत आने वाले स्वयं सेवकों की संख्या राज्य सरकारों के संकेतों पर वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निश्चत की जाती है ।

सेमी कंडक्टरों तथा वाल्वों के मूल्य

1612. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन के बावजूद भी भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड सेमी कन्डक्टरों तथा वाल्वों का मूल्य न बढ़ाने के लिये सहमत हो गया है ; और

(ख) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि इस कार्य का लाभ उपभोक्ताओं को मिले न कि उत्पादकों तथा बिचौलियों को ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) 22 जून, 1966 को हुई रेडियो इलेक्ट्रोनिक और टेलीविजन निर्माता एसोसिएशन की अन्तिम बैठक में सदस्यों को सूचित किया गया था कि बी० ई० एल० ने अवमूल्यन से पहले की कीमतों को बनाए रखने का निर्णय किया है और उन से प्रार्थना की गई थी कि ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कि वाल्वों और ट्रांसिस्टरों की कीमतें बनाए रखने का लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त हो, रेडियो रिसीवरों की कीमतें बढ़ाई न जाएं । जहां तक परचून मार्केट में वल्वों और ट्रान्सिस्टरों के विक्रय का संबंध है, खरीदने वालों को सलाह देने के लिए कि वह अधिक न दें, बी० ई० एल० ने उन की कीमतों के विज्ञापन के लिए कार्यवाही की है (जो वही है, जो अवमूल्यन से पहले थी) ।

तिरूचिरापल्ली में नया शस्त्र कारखाना

1613. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूचिरापल्ली में एक अन्य शस्त्र कारखाना चालू किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में कौन कौन से हथियार बनाये जायेंगे तथा उनका निर्माण कार्यक्रम क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) फैक्टरी रूढ़ छोटे हथियारों का निर्माण करेगी। निर्माण कार्यक्रम के विस्तार देना लोकहित में नहीं है।

Publicity of Bulletins of Indian Embassy in Moscow

1614. **Shri Bade :** **Shri Kashi Ram Gupta :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a ban on the publicity of the Bulletins of Indian Embassy in Moscow ;

(b) whether it is also a fact that wide publicity is given to the Soviet literature in India; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) There are no special restrictions on the Bulletins of Indian Embassy in Moscow.

(b) The Soviet Embassy in India puts out the following bulletins, magazines, etc. :

(i) News and Views;
(ii) Soviet Land;
(iii) Youth Review?;
(iv) Press Release ; and
(v) Soviet Review

In addition, some pamphlets are published by it from time to time.

(c) Does not arise.

अवमूल्यन के बाद अखबारी कागज के मूल्य

1615. **श्री काजरोलकर :**
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवमूल्यन से समाचारपत्रों के लिये एक 'अभूतपूर्व वित्तीय संकट' उत्पन्न हो गया है और सरकार की सहायता के बिना उनके लिये कच्चा माल खरीदना कठिन होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अवमूल्यन के परिणाम-स्वरूप आयातित अखबारी कागज का मूल्य 57.5 प्रतिशत बढ़ गया है। यह लगभग 400 रुपये प्रति मीटरी टन बैठता है। मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिये 120 रुपये प्रति मी० टन सीमा शुल्क और नियामक शुल्क हटा दिया गया है।

1 अगस्त, 1966 से सरकार ने अखबारों में अपने विज्ञापनों पर 10 प्रतिशत अधिभार देना मंजूर कर लिया है। अखबारों को राहत देने के लिये कुछ और उपायों पर विचार किया जा रहा है।

नेपाल सरकार की प्रार्थना

1616. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने भारत से अनुरोध किया है कि नेपाल द्वारा खरीदे गये गेहूं की सप्लाई नेपाल की पश्चिमी सीमा के रेलवे स्टेशनों पर करने के लिये प्रबन्ध किया जाय ताकि वह नेपाल में हाल के भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों को सहायता दे सके; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। नेपाल की सरकार ने हम से प्रार्थना की थी कि उनका खरीदा हुआ 1000 टन गेहूं हम नेपाल की पश्चिमी सीमा के पास अंतिम रेल स्टेशनों की ओर भेज दें ताकि नेपाल के भूकम्प पीड़ित लोगों को तत्काल सहायता दी जा सके।

(ख) नेपाल की प्रार्थना पूरी कर दी गई है। भारत सरकार ने (नेपाल सरकार की प्रार्थना पर) भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों में हवाई जहाज से खाद्यान्न भी गिराया था।

Death of an Atomic Scientist

1617. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2919 on the 28th March, 1966 and state:

(a) whether it is a fact that poison was found in the stomach of Shri Devgan, an atomic scientist, according to the report of the Chemical Analyst ;

(b) whether it is also a fact that Government have started a departmental inquiry in this regard which has attributed the death to heart-attack ; and

(c) if so, the result thereof ?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes Sir. According to the report of the Chemical Analyser of the Government of Maharashtra, the analysis of the stomach contents and viscera of the late Shri K.K. Devgan show the presence of alkali cyanides.

(b) No Sir,
(c) Does not arise.

Cartridges for All-India Rifle Association

1618. **Shri Ram Sevak Yadav** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :
(a) the quantity of indigenous and foreign cartridges as also the details of each type of cartridges supplied to All-India National Rifle Asscciation during 1965-66 and 1966 up-to-date ;

(b) whether these cartridges are supplied by the Association to the wholesale dealers and if so the number of such dealers in the country ; and

(c) whether any complaints have been received regarding favours shown by the Association in making cartridges available to certain customers only and charging enhanced rates from others ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A.M. Thomas) (a) A Statement is attached. [Placed in Library See No. LT 6697/66].

(b) According to our information the cartridges have to be supplied by the Association to their members, both Institutions as well a individuals, for their bonafide use and for shootting competitions.

(c) The Government of India have no information.

नियमित सेना में एन० सी० सी० कैडेट

1619 **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एन० सी० सी० कैडेटों को नियमित सेना के साथ सम्बद्ध करने की योजना लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस का उद्देश्य क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग) नियमित सैनिक यूनिटों से एन० सी० सी० अफसरों और कैडेटों को संबंधित करने संबंधी एक योजना 1965 में पुर: स्थापित की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष गर्मी की छुट्टियों के दौरान 4 सप्ताह के लिये 100 एन० सी० सी० अफसरों और 2500 कैडेटों को सैनिक यूनिटों से संबंधित किया जाता है। योजना का उद्देश्य है कि एन० सी० सी० कैडेटों को ऐसा ज्ञान दिया जाए कि सेना संक्रियात्मक क्षेत्रों/पीस स्टेशनों में कैसे काम करती है और देश के सामाजिक तथा भावात्मक समाकलन में सहायता भी करती है।

इमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारी

1620 **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में सेवाओं से भर्ती किये गये व्यक्तियों को उन के पुराने स्थानों पर वापस भेजने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) इन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सदस्य महोदय का इशारा शायद गये आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों की ओर है जो रक्षा सेवाओं में अवर श्रेणी सैनिकों से भर्ती किए गए हैं। ऐसे अफसर अपनी आपाती कमीशनों की समाप्ति पर अगर चाहें तो कमीशन से पहले अपने पद को लौट सकते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) आपाती कमीशन प्राप्त अफसर, जो निर्धारित आयु सीमाओं के अन्दर अन्दर हैं, सेना में स्थायी कमीशनों के लिए आवेदन भेज सकते हैं, और अगर चुने जाएं तो आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों की शक्ति के $\frac{1}{5}$ कुल कोटा के अन्दर उन्हें स्थायी कमीशनें दी जाएंगी। ऐसे अफसरों को स्थायी कमीशनें तथा स्पेशल लिस्ट काडर में स्थायी कमीशनें प्रदान करने के उद्देश्य से आयु सीमाओं में छूट का विषय विचाराधीन है।

एशियाई देशों के राजदूतों के बैंगकाक सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेना

1621. **श्री बड़े :**
श्री काशी राम गुप्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ एशियाई देशों के राजदूतों के हाल में हुए बैंगकाक सम्मेलन में भाग लिया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) कुछ एशियाई देशों के राजदूतों की बैंगकाक सम्मेलन एशियाई और प्रशान्त देशों के मंत्रि-सम्मेलन की तैयारी मीटिंग थी जो बाद में जून 1966 में सेग्रोल में हुई थी। चूंकि सरकार ने मंत्रि सम्मेलन में हिस्सा न लेने का निर्णय किया था, इसलिए उन्होंने बैंगकाक की तैयारी मीटिंग में भी भाग नहीं लिया। सेग्रोल सम्मेलन के संबंध में सरकार का रवैया 1 अगस्त 1966 को लोक-सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 846 के उत्तर में बता दिया गया था। जबकि भारत सरकार एशिया में प्रादेशिक सहयोग बढ़ाने में रुचि रखती है, फिर भी वह कुछ राजनीतिक दलों के आधार की उपेक्षा कोलंबो योजना, इकाफे और एशिया विकास बैंक जैसे व्यापाक आधार पर इस तरह का सहयोग पसंद करेगी।

दलाई लामा

1622. **श्री हेमराज :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दलाई लामा के निवास के लिये स्थायी रूप से धर्मशाला मे स्थान का प्रबन्ध किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्री दलाई लामा का विचार अपना प्रधान कार्यालय किसी अन्य पर्वतीय स्थान पर ले जाने का है, यदि हां, तो वह कौन-सा स्थान है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इसके लिये मंजूरी दे दी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं, ये प्रबंध अस्थायी हैं।

(ख) दलाई लामा ने शिमला की पहाड़ियां में किसी उपयुक्त जगह अपना निवास स्थान बनाने की बात सोची है क्योंकि धर्मशाला एक तो कुछ दूर है और वहां की जलवायु नम है। लेकिन उन्होंने अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया है।

(ग) समय आने पर सरकार इस मामले पर विचार करेगी।

ब्रिटेन के राजनयिक शिष्टाचार नियम

1623. **श्री रामपुरे :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी भी भारतीय प्रधान मंत्री की, जिसमें स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं, उन के लन्दन पहुंचने पर, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने आगवानी नहीं की; और

(ख) क्या ब्रिटेन भारत के ही मामले में ऐसा करता है अथवा अन्य देशों के मामले में भी ऐसा करता है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) ब्रिटिश नयाचार के अनुसार यूनाइटेड किंगडम सरकार का मंत्रिमंडल मंत्री ही किसी शासनाध्यक्ष से भेंट करता है ब्रिटिश प्रधान मंत्री नहीं। लेकिन, तात्कालिक प्रधान मंत्री सर ऐंथनी एडन के निमंत्रण पर 8 जुलाई 1955 को श्री जवाहरलाल नेहरू जब यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर गए थे तब हवाई अड्डे पर सर एंथनी एडन ने उनसे भेंट की थी और दोनों प्रधान मंत्री सीधे चेकर्स को चले गए थे।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम सरकार अन्य देशों से आने वाले शासनाध्यक्षों के प्रति भी यही नयाचार बरतता है।

दक्षिण वियतनाम में भारतीय महा वाणिज्यदूत

1624. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री हुकम चंद कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री बड़े :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि "हांगकांग दैनिक" के साथ एक इन्टरव्यू में दक्षिण वियतनाम स्थित भारतीय महा-वाणिज्य-दूत ने उत्तर वियतनाम में अमरीकी बमबारी को उचित बताया है, जो सरकार के रवैये के प्रतिकूल है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार ने एक इन्टरव्यू की रिपोर्ट देखी है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह सैगोन में भारत के प्रधान कौंसल ने हांगकांग के एक समाचारपत्र को दिया था। इस इन्टरव्यू में अभिव्यक्त विचार भारत सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस अधिकारी को वापस बुला लिया गया है और सरकार सक्रिय रूप से मामले पर विचार कर रही है ।

राष्ट्रीय छात्र सेना का प्रशिक्षण

1625. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक कर्मचारियों की वर्दियों तथा प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित सामान की बहुत कमी है, लेकिन राष्ट्रीय केडेट कोर के लिये यह सामान प्रत्येक राज्य में बहुत बड़ी मात्रा म बेकार पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को छोड़ कर अन्य विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्र सेना दल के प्रशिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं लेकिन सुविधा प्राप्त करने के लिये ही झूठी हाजिरी लगा दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों की रोकथाम के लिये की गई व्यवस्था का क्या ब्यौरा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Use of Hindi in Indian Missions Abroad

1626, **Shri Jagdev Singh Siddhanti** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 803 on the 28th March, 1966 and state :

(a) the names of Indian Missions where the general use of Hindi has been introduced ;

(b) whether Hindi Typewriters have been supplied to all the Indian Missions ;

(c) the names of the Missions where there is no Hindi Typewriter or Hindi Typist available; and

(d) the present arrangement in such Missions for getting typed the Hindi version of agreements, etc., if needed ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Our Missions at Budapest, Hanoi, Kandhar, Kathmandu, Moscow, Prague and San Francisco, have started using Hindi generally in reply to letters received in Hindi.

(b) and (c). Hindi typewriters have been supplied to the following Missions :—

Gangtok, The Hague, Karachi, Kathmandu, London, Mauritius, Moscow, New York, Peking, Suva, Tokyo and Trinidad.

Of these Missions, Moscow has one and Kathmandu two regular trained Hindi Typists.

(d) Whenever Hindi versions of agreements are necessary or envisaged, these have to be made in the Ministry, consulting the Legal and Treaties Department, the concerned Territorial Divisions etc. to ensure their authenticity.

आकाशवाणी को दुर्लभ संगीत रिकार्ड दिए जाना

1627. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय उस्ताद फ़ैयाज खां ने जो आकाशवाणी में काम करते थे, अनेक दुर्लभ संगीत रिकार्ड पेश किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस के रिकार्ड दिल्ली में आकाशवाणी के पास हैं; और

(ग) क्या ये रिकार्ड हमारे राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित रखे जायेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, स्वर्गीय उस्ताद फैयाज़ खां के गायन के 125 रिकार्ड आकाशवाणी के पास हैं। इन में 25 रिकार्ड दुर्लभ संगीत के हैं।

(ख) तथा (ग). ये रिकार्ड दिल्ली में आकाशवाणी के संग्रहालय में संभाल कर रखे गये हैं। इनको राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखने के प्रश्न पर शिक्षा मन्त्रालय से परामर्श किया जायेगा।

परभनी में आकाशवाणी का केन्द्र

1628. **श्री लोनीकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परभनी (महाराष्ट्र राज्य) में आकाशवाणी के केन्द्र का निर्माणकार्य पूरा हो गया है; और

(ख) वह कब तक चालू हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). परभनी में आकाशवाणी के सहायक केन्द्र का निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की उम्मीद है। यह केन्द्र पूना से प्रसारित कार्यक्रमों को रिले करेगा और निर्माण कार्य पूरा होने पर तत्काल चालू हो जाएगा।

सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय में स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृति

1629. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं पर लागू स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृति योजना सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय में भी लागू की जायेगी ;

(ख) क्या स्थल सेनाध्यक्ष ने, जब उन से सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय की एसोशियेशन का एक चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हाल में नई दिल्ली में मिला था, इस सुझाव को मान लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). कई शर्तों के अनुसार असैनिक अनुमानों से अदायगी किया जाने वाला केन्द्रीय सरकार का असैनिक कर्मचारी, जिस ने 15 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण न की हो, और जिसे प्रशासनिक सुधारों के पुरस्स्थापन या स्टाफ इन्स्पेक्शन यूनिट द्वारा अध्ययनों के फलस्वरूप फालतू घोषित कर दिया जाता है, सेवानिवृति के लाभों के निमित्त अर्हक सेवा में पांच वर्षों के योग सहित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिये चुनाव करने का अधिकारी है। सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों की एसोसिएशन से 23 जुलाई 1966 को हुई एक इण्टर्व्यू में सेना अध्यक्ष ने संकेततः सूचित किया कि वह सरकार से इस योजना को सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों के असैनिक काडरों के उन सदस्यों पर लागू करने की सिफारिश करेंगे, कि जो सैनिक मुख्यालयों की एस्टेब्लिशमेंट में कटौती के कारण फालतू हो जाएं। सिद्धांततः सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है, जो यथासंभव आवश्यकता अनुसार कार्यान्वित की जाएगी ।

कृषि सम्बन्धी परियोजनाओं के लिये राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडेट

1630. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाओं के लिये राष्ट्रीय छात्रसेना दल की सेवाओं का उपयोग करने की योजना है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के चम्बल क्षेत्र म भूमि को कृषि योग्य बनाने के काम में 30,000 से अधिक कैडेटों को लगाया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) फैसला किया गया है कि एन० सी० सी० छात्रों को विभिन्न राज्यों में भूख से स्वतंत्रता के अभियान के अन्तर्गत अन्न प्रायोजनाओं के लिये यंग बल्ड एक्शन में भाग लेना चाहिये। ऐसी प्रयोजनाओं में पिछले वर्ष लगभग 13,000 छात्रों ने भाग लिया था।

(ख) तथा (ग). कार्य के अंश के निष्पादन के लिए, एन० सी० सी० छात्रों की सेवाओं के उपयोग की संभाव्यता के निरीक्षण निमित्त, नेशनल केडेट कोर के मुख्य निदेशक द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई चम्बल क्षेत्र उद्धरण योजना की एक प्रति, प्राप्त कर ली गई है। मामला अभी नेशनल केडेड कोर के मुख्य निदेशक के विचाराधीन है।

नासिक के निकट पाये गये बम

1631. **श्री स्वैल :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 जुलाई, 1966 को थेटले गांव, नासिक के निकट रेलवे लाइन से 25 फुट की दूरी पर सड़क पर दो बमों की, जिन पर सेना के चिन्ह अंकित थे, बरामदगी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि ये बम सेना के स्टाकों से बाहर निकल कर उक्त स्थान पर कैसे पहुंच गये ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच करने के लिये स्टेशन कमांडर द्वारा एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी बिठाई जा रही है।

(ग) कोर्ट आफ इन्क्वायरी के निर्णयों की प्रतीक्षा की जा रही है।

अपाहिज सैनिकों को बसाना

1632. **श्री गुलशन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान कितने सैनिक अपाहिज हुए थे ; और

(ख) उन में से अब तक कितने सैनिकों को बसाया अथवा रोजगार दिलाया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) चीन से संघर्ष के पश्चात् 273 रक्षा सेवाओं के सेविवर्ग निर्योग्यता के कारण सेवा से विमुक्त किए कए थे । पाकिस्तान से युद्ध के दौरान घायल होने के कारण अब लगभग 700 रक्षा सेवाओं के निर्योग्यता के कारण सेवा से विमुक्त किए जाने की प्रत्याशा है । वह सैनिक हस्पतालों में चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न समयों पर, चिकित्सा की समाप्ति पर निर्योग्यता के कारण सेवा से विमुक्त किए जाएंगे ।

(ख) जहां तक चीन से युद्ध के दौरान घायल होने के परिणामस्वरूप निर्योग्यता के कारण सेवा से विमुक्त होने वालों का संबंध है, 50 को असैनिक कामों में पुनरावासित किया गया था, 30 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया गया था, 11 को भूमि पर बसाया गया था । शेष में कुछ को रोज़गार देने की पेशकश की गई थी, परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया । जहां तक पाकिस्तान युद्ध में निर्योग्य हुए व्यक्तियों का संबंध है, ऐसा सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं कि, उन सभी को जो उपयुक्त हों और काम करने को रजामंद हों, उन्हें उनकी निर्योग्यता के कारण सेवा से विमुक्ति पर पुनरावासित किया जाए । उनकी नियुक्ति के लिये उपयुक्तता का उन के काम करने की क्षमता के आधार पर विचार किया जाता है, और उनकी दशा में साधारण डाक्टरी मानदण्ड लागू नहीं किए जाते । अब तक ऐसे 61 व्यक्तियों को उनके लिये काम तलाश करके, पेशकश की गई है जो इस मास में विमुक्त किए जाने हैं, और 84 में से 51 के अगले मास सेवा से निर्योग्यता के कारण विमुक्त किए जाने की आशा है ।

भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये विशेष सेवा निधि

1633. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने देश में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये विशेष सेवा निधि बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी निधि समिति ने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कुछ धनराशि का उपयोग किया है ;

(ग) क्या अन्य वर्गों के भूतपूर्व सैनिकों को इन समितियों पर मनोनीत करने पर कोई प्रतिबंध है ; और

(घ) यदि नहीं, तो किन समितियों ने अन्य वर्गों के भूतपूर्व सैनिकों को मनोनीत किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिये अभी तक 13 राज्यों और संघीय क्षेत्रों ने नये विशेष निधि का संघठन किया है ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और बातों सहित योजना में, राज्य सरकारों/प्रशासनों द्वारा, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण कार्य में रुचि लेने वाले व्यक्तियों को नामांकित किए जाने का उपबंध है, परन्तु दो से अधिक नहीं । इस उपबंध के अन्तर्गत अवर श्रेणी भूतपूर्व सैनिक नामांकित किए जा सकते हैं ।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

बर्मा में कैद भारतीय नागा

1634. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मणीपुर के फुगियार फैसत सर्किल के सर्वश्री (एक) मैफाई, (दो) राम, (तीन) चांगथित, (चार) हीथेंग और (पांच) चांगपुइलेंग 25 जून, 1965 को होमालिन, बर्मा में गिरफ्तार कर लिये गये थे और उन्हें तूंगू जेल में एक वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी ;

(ख) क्या उन्हें 15 मार्च, 1966 को जेल से रिहा कर दिया जाना चाहिए था परन्तु वे उक्त जेल में अभी भी नजर बंद हैं ;

(ग) उनकी गिरफ्तारी तथा नजरबन्दी के क्या कारण हैं ;

(घ) उन्हें अभी तक नजरबन्द रखने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इन भारतीय नागाओं की रिहाई के लिये सरकार का शीघ्र ही कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ). सरकार को कोई सूचना नहीं है । इस बारे में पूछताछ की जा रही है और जो भी कार्यवाई जरूरी होगी की जाएगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

युद्ध विराम रेखा पर पाकिस्तानी सशस्त्र सेना का जमाव

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान युद्धविराम पर पाकिस्तानी सेना के जमावों के समाचार की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): अध्यक्ष महोदय, ताशकन्द समझौते से उत्पन्न आशाओं के विपरीत समाचारों से पता चलता है कि पाकिस्तान तेजी से अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है । यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने 1965 के संघर्ष में हुई अपनी शस्त्रों आदि की हानि को बहुत कुछ पूरा कर लिया है ।

पाकिस्तान ने अपनी सेना की संख्या 5 डिवीजनों से बढ़ाकर 11 डिवीजनें बनाने की योजना बनाई है । उसने चीन से 200 टैंक प्राप्त कर लिए हैं । पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर क्षेत्र में भी सेना की संख्या बढ़ा दी गई है ।

नये-नये भरती किये गये सैनिकों का प्रशिक्षण विभिन्न स्तर पर है तथा उपकरणों सम्बन्धी स्थिति भी विभिन्न स्तर पर है। चीन भी पाकिस्तान सेना को हथियारों से लैस कर रहा है। इसके अतिरिक्त चीन और अन्य देशों ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता भी दी है और उसके आधार पर पाकिस्तान ने अन्य देशों के माध्यम से हथियार और गोला बारूद भी प्राप्त किया है।

पाकिस्तानी वायु सेना की गतवर्ष में हुई क्षति को भी पूरा कर लिया गया है। पाकिस्तान ने अपनी वायु सेना को चीन से प्राप्त 'मिग-19' और 'मिग-15' विमानों से लैस किया है। उसने एफ-86 विमान भी प्राप्त किये हैं। यह विमान आरंभ में पश्चिमी जर्मनी में थे और पाकिस्तान में ईरान से होकर आये हैं। यह समाचार भी मिले हैं कि चीन ने पाकिस्तान को आई० एल०-28 मबार विमान भी दिये हैं।

पाकिस्तान अपनी सामरिक संचार व्यवस्था में भी सुधार कर रहा है। यह समाचार भी मिला है कि 'स्कार्डू' में पाकिस्तान अपनी संचार व्यवस्था सुधार कर रहा है और सेना की संख्या में वृद्धि कर रहा है।

सितम्बर, 1965 तक पाकिस्तान अमरीका से लड़ाई का सामान लेता था परन्तु अब वह अन्य देशों से ले रहा है। पाकिस्तान अपनी नौसेना को भी दृढ़ करने के लिये दीर्घकालीन योजना बना रहा है।

पाकिस्तान को ऐसा कोई खतरा नहीं है जैसा कि भारत को चीन से है। फिर भी पाकिस्तान बहुत तेजी से अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है। इस बारे में चीन उसकी सहायता कर रहा है। पाकिस्तान की इस कार्यवाही से भारत को बहुत खतरा पैदा हो गया है।

बड़े खेद की बात है कि ताशकन्द समझौते के बावजूद पाकिस्तान यह सब कुछ कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम अपनी तैयारी में ढील नहीं ला सकते। मुझे आशा है कि हम अपने देश की रक्षा की जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निभाने में सफल होंगे। बड़े खेद की बात है कि पाकिस्तान अपनी सेना में वृद्धि कर रहा है। हो सकता है चीन पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण करे। हम आशा करते हैं पाकिस्तान सभी विषयों को ताशकन्द समझौते की भावना में सुलझाने में सहायक होगा हम अपनी ओर से किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं करना चाहते परन्तु हमें अपनी रक्षा के लिये पूरी तैयारी करनी है।

श्री हरि विष्णु कामत : पाकिस्तान चीन, अमरीका और बहुत से अन्य पश्चिमी देशों से हथियार प्राप्त कर रहा है। क्या सरकार ने अमरीका सरकार को बता दिया है कि पाकिस्तान को सहायता देना भारत के प्रति एक अमैत्रीपूर्ण काम होगा ?

श्री यशवन्तराय चव्हाण : हमने यह बात अमरीका से कह दी है। हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है पाकिस्तान को सहायता देने से दोनों देशों में लड़ाई होगी। अमरीका को इसका पहले भी अनुभव है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हाजी पीर क्षेत्र से हटने के कारण हमारी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई है। उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भारतीय क्षेत्रों में घुस आये हैं ? घुसपैठ को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पाकिस्तानियों ने हमारे किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है । घुसपैंठ को रोकने के लिये हम पूरी तरह सतर्क हैं । मैं नहीं मानता कि बड़ी संख्या मे घुसपैठीये आ गये हैं । यह बात सशस्त्र घुसपैंठियों के बारे में है । जहां तक असैनिक व्यक्तियों का सम्बन्ध है, यह विषय गृह कार्य मंत्रालय देखता है ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : बहुत से अरब देश पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं । चीन की शत्रुता भी बढ़ती जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान और चीन दोनों के संयुक्त रूप से आक्रमण के बारे में मित्र देशों को सूचित कर दिया गया है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने इस बारे मे बता दिया है । हमें किसी प्रकार से आतंकित नहीं होना चाहिए । हमें अपनी ओर से पूरी तैयारी करनी है ।

Shri Madhu Limaye : Sir, the hon. Minister of Defence has been touring the country and assuring that we are able to give a befitting reply to the aggressor. I want to know whether it is a fact that an area of 100 acres in Chhamb-Jaurian sector is still in Pakistani occupation and they are maintaining a checkpost at Tikichak ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह समाचार गलत है कि किसी भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : सीमा पर के पाकिस्तान तथा चीन के खतरे को देखते हुए क्या जट में प्रस्तावित कटौती से रक्षा व्यवस्था के खर्चे में कटौती करना उचित होगा ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

Dr. Ram Manohar Lohia : The hon. Minister has said that Pakistan rearming its armed forces very rapidly. Besides this it has been stated that we are taking adequate counter measures. I want to know whether efforts are being made to remove the defects in our defence preparedness ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने कहा है कि पाकिस्तान तेजी से तैयारी कर रहा है और हम इस दौड़ मे शामिल नहीं होना चाहते परन्तु फिर भी देश की रक्षा के लिये हमे पूरी तैयारी करनी है ।

Shri S. M. Banerjee : May I know whether keeping in view the Pakistan's attitude we would re-occupy Haji Pir and other strategic positions which had given up in the wake of Tashkent Agreement ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने पहले भी जैसे कहा है हम ताशकन्द घोषणा के अनुसार अपनी स्थिति पर कायम रहेंगे ।

Shri Prakash Vir Shastri : It has been stated that Pakistan is receiving military help from other countries. May I know whether the concentration of Pakistani forces has increased on border along Punjab, Kashmir and Rajasthan ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राजस्थान क्षेत्र के बारे में मुझे व्यक्तिगत रूप से अधिक मालूम नहीं है । हां काश्मीर क्षेत्र में जमाव बढ़ गया है ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि कनाडा में बने सेवरजेट विमान जर्मनी से होकर पाकिस्तान कैसे पहुंच गये हैं ? क्या यह सच नहीं कि इस प्रकार अमरीका और चीन दोनों पाकिस्तान की सेना को लैस कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह ठीक है। मैंने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICES (QUERY)

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान जी मैं नियम संख्या 376(1) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। हमने नियम 197 के अन्तर्गत मंत्री महोदय का अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने और वक्तव्य देने की ओर दिलाया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाने में गोली चली है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का वक्तव्य देना चाहिये। दूसरा विषय स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम का रद्द किया जाना है। श्री अनिल बसु ने संसद् भवन के बाहर अनशन आरंभ कर दिया है। सरकार को इस बारे मे स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसमे व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE : QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I rise on a point of Order. I have given notice for a motion of privilege against Shri Subrahmanian.

Mr. Speaker : You have not stated in your written motion what specific privilege has been breached. Therefore you should mention what specific privilege has been breached. Only then I will allow you to raise this in the House.

Shri Madhu Limaye : Public Accounts Committee consists of members of both the Houses. It is an established convention that no Government official or Minister should challenge or speak against the report of this Committee. On the 17th when a question was asked about the name of the minister which has been mentioned in the report. Both the concerned ministers i.e. Shri T.N. Singh and Subrahmanian started quarreling among themselves. However on the 18th Shri Subrahmanian expressed regret and at the same time he made a long statement. Shrimati Renu Chakravarti and several members of the Public Accounts Committee objected to it.

I would like to draw your attention to rule 357 wherein it has been mentioned that a member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate shall arise. But in his long statement the hon. Minister has made allegation against the Public Accounts Committee to the fact that they were not having complete material before them.

On page 25 of the 55th report of the Public Accounts Committee it appeared that the hon. Minister has said that he was never given an opportunity to appear before the Committee so far as this matter is concerned.

Sir, you have taken a departure from well established convention in asking the Committee to reconsider it. After that a meeting of the Committee was held. Notice of this meeting was given in the Bulletin Part II of the Lok Sabha. Inspite of the fact that you asked the Committee for reconsideration going against all conventions, the hon. Minister did not care to see the Chairman of the Committee. However again on the 27th you asked the hon. Minister to appear before the Committee.

Now I will come to the real point how the privilege has been breached. First of all I would like to say that he made a false statement. He said that the order passed by him was only in the draft form. That was not the final order. In this connection Public Accounts Committee has remarked that "it is significant to note that the orders of the Minister dated 28th June, 1963 were specific, complete and final and they were conveyed to the Iron and Steel Controller as such on the 29th June, 1963.In view of the above facts, the Committee are unable to accept that these orders were 'in a draft form.'

On the 18th the hon. Minister made an allegation against the Public Accounts Committee wherein he said

> "It is rather surprising to me that an observation should have been made suggesting that I had reconsidered certain orders without adequate reasons".

But afterward the hon. Minister himself has said that the firm concerned i.e. M/s Amin Chand Pyare Lal expressed regret and thereby he changed the order. On the other hand the Committee in its report has stated that this is inconsistant and the reason is obscure.

I would, therefore like to say that the responsibilities of the Secretaries and Ministers should be made clear.

Keeping in view the traditions and convention of the House and also seeing the allegations made by the Committee the hon. Minister should resign from his post if he is a self-respecting man.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : लोकलेखा समिति के 55वें प्रतिवेदन से पता लगता है कि इस मामले में शायद दो मंत्री, दो लोहा तथा इस्पात नियंत्रक और सचिव उलझे हुए हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रतिवेदन पर चर्चा की अनुमति दी जाये।

Mr. Speaker : I had advised the Minister to appear before the Committee so that the objection, that he has not been heard and the report is, therefore, *Ex-parte*, may not arise. The report of the Committee after hearing the Minister is before the House. I cannot say anything about the decision to be taken by the Government or the House ?

Shri Daji (Indore): It is clearly stated in the report that Mr. Subramanian, to say the least, is guilty of *Suppresio veri Suggestion falsi.*

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): You are not allowing the discusson on this matter since Mr. Subramanian is not here. But it has appeared in the newspapers that P.A.C. Report was discussed by the Cabinet on 7th August. The agents of M/s Amin Chand Payare Lal are trying to exert pressure. It is feared that the matter may be pressed.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : इस मामले को देखते हुये, माननीय प्रधान मंत्री खाद्य तथा कृषि मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए क्यों नहीं कहती ताकि सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिक स्तर स्थापित किये जा सकें ?

अध्यक्ष महोदय : इससे मेरा कोई संबंध नहीं।

Dr. Ram Manohar Lohia : (Farukhabad) This matter pertains to a question of breach of privilege for two reasons. Firstly he has not told the P.A.C. regarding his meeting with the person guilty in this matter. He has also wrongly told that it was a draft order whereas actually it was the order. Secondly, he has committed an offence connected with the office of the Minister. We should not suppress this matter in anyway.

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा के सचिव से सन्देश प्राप्त हुआ है कि राज्य सभा ने अपनी 2 अगस्त, 1966 की बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1966 को पास कर दिया है।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा पटल पर रखा गया

BILL AS PASSED BY RAJIYA SABHA LAID ON THE TABLE

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक सभा पटल पर रखता हूं।

दण्ड विधि संशोधन (संशोधन) विधेयक, 1965

CRIMINAL LAW AMENDMENT (AMENDMENT) BILL, 1965

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को, जो 3 दिसम्बर, 1965 को पेश किया गया था, वापस लेने की अनुमति दी जाये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, नियम 110 के अन्तर्गत मंत्री महोदय को विधेयक वापिस लेने का कारण सभा को बताना चाहिये।

श्री हाथी : कारण बताने वाला एक विवरण 1 अगस्त, 1966 को सदस्यों को परिचालित कर दिया गया है।

(पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी० 6694/66)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को जो 3 दिसम्बर 1965 को पेश किया गया था, वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।"

THE BILL WAS, BY LEAVE, WITHDRAWN

दण्ड विधि संशोधन संशोधी विधेयक 1966

CRIMINAL LAW AMENDMENT (AMENDING) BILL, 1966

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रति रक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 110 के उप-नियम (ख) में लिखा है कि विधेयक के स्थान पर बाद में नया विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। शब्द "बाद में" "(subsequently)" शब्द "तुरन्त" "(immediately)" से भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले के तुरन्त बाद में लाया गया है तो भी वह उसके बाद में ही है।

प्रश्न यह है :

"कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री हाथी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध को हाथ में लेना) विधेयक

JAYANTI SHIPPING COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

परिवहन उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध की उचित व्यवस्था करने हेतु एक सीमित अवधि के लिए इस उपक्रम के प्रबन्ध को हाथ में लेने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : विधेयक में स्पष्टतया यह कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य जयन्ती शिपिंग कम्पनी के प्रबन्ध को सीमित अवधि के लिए सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार उसे स्थायी रूप से क्यों नहीं लेती अथवा इसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती ?

श्री संजीव रेड्डी : हम उसे पाँच वर्ष के लिए अपने हाथ में ले रहे हैं। इसे बढ़ाकर दस वर्ष कर दिये जाने का उपबन्ध भी है और यदि संसद उसे स्थायी रूप से लेना चाहे, तो उसे ऐसा करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध की उचित व्यवस्था करने हेतु एक सीमित अवधि के लिए इस उपक्रम के प्रबन्ध को हाथ में लेने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री संजीव रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 (1934 का संख्या 32) की धारा 4क की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा दिनाँक 6 जून, 1966 के वाणिज्य मंत्रालय संख्या एस०ओ० 1696 में दी हुई भारत सरकार की अधिसूचना का अनुमोदन करती है, जो कि दिनांक 6 जून, 1966 की अधिसूचना संख्या 43(3)–टार/66, दिनाँक 15 जून, 1966 के एस०ओ० 1841, दिनाँक 27 जून, 1966 के एस०ओ० 1940 तथा 15 जुलाई, 1966 के एस०ओ० 2133 द्वारा संशोधित की गई और जिस के द्वारा, इन अधिसूचनाओं की तारीख से टाट (कपड़ा थैले ट्विस्ट, सूत, रस्सी तथा जूना) पटसन से बनी कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं कच्चे सूत (सभी प्रकार का), चाय, गरी, और मूंगफली की खली के अतिरिक्त सभी प्रकार की खलियों, तम्बाकू, अनिर्मित अभ्रक, सभी प्रकार का चर्म, खाल और चमड़ा, कमाया हुआ, और कच्चा, सभी प्रकार का, परन्तु इसमें चमड़े की बनी वस्तुएं शामिल नहीं हैं, तथा नारियल जटा और नारियल जटा से बनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया गया ।"

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमान मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने पहले भी यह विनिर्णय दो अथवा तीन बार दिया था कि जब कोई प्रस्ताव किसी मंत्री के नाम पर हो और संबंधित मंत्री सभा में उपस्थित न हो तो इसके कारण सभा में बताये जाने चाहियें । श्री मनुभाई शाह की अनुपस्थिति के कोई कारण नहीं बताये गये हैं ।

श्री शफी कुरेशी : मंत्री महोदय एक बैठक में व्यस्त हैं ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : क्या वह बैठक संसद से अधिक महत्वपूर्ण है । मंत्री महोदय को इसके लिए क्षमा माँगनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को बहुत आतुर नहीं बनना चाहिये परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संसद के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये । मंत्री महोदय को अध्यक्ष को लिखित सूचना देनी चाहिये थी कि वह सदन में उपस्थित नहीं हो सकते हैं ।

श्री नारायण डांडेकर (गोंडा) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और मंत्री महोदय को स्वयं इसे हाथ में लेना चाहिये था ।

श्री शफी कुरेशी : सरकार ने निर्णय किया है कि 6 जून, 1966 के 2 म०पू० से रुपये का मूल्य पुनः निर्धारित किया जाये । इस प्रकार रुपये का मूल्य 36.5 प्रतिशत घटाया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

अवमूल्यन के पश्चात वर्तमान आयात शुल्कों का पुनरीक्षण करना अनिवार्य हो गया है। इस प्रकार पुनरीक्षण करते हुए सरकार ने यह बात ध्यान में रखी है कि इसका आयव्ययक पर कुप्रभाव न पड़े। साथ ही नये शुल्क ऐसे होंगे कि आयात की कुल लागत, विशेष रूप से मशीनरी की वस्तुओं पर, इतनी नहीं होगी कि वह भारत में बनाई गई उस प्रकार की वस्तुओं से अधिक हो।

हमारी निर्यात की उन परम्परागत वस्तुओं के बारे में, जिन्हें अवमूल्यन से पूर्व कुछ सहायता की आवश्यकता थी, यह आवश्यक हो गया है कि उन पर उचित निर्यात लगाया जाये ताकि अप्रत्याशित लाभ को ले लिया जाये। लेकिन साथ ही निर्यातकों के लिए भी कुछ लाभ छोड़ दिया जाये ताकि उन्हें बाहर वालों से प्रतियोगिता में लाभ हो, उन मदों के बारे में, जो अवमूल्यन से पहले विश्व के बाजार में लगभग प्रतियोगिता की वस्तुयें थीं, निर्यात के लिए एक अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निर्यात को प्रतियोगिता में सहायता करने के अतिरिक्त रुपये के नवीन सम-मूल्य से निर्यात उद्योग में पुंजी लगाने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलेगा तथा इस प्रकार हमारी निर्यात स्थिति क्रमशः अधिक सुदृढ़ हो जायेगी। निर्यात की कुछ परम्परागत वस्तुओं के सम्बन्ध में इस प्रकार का प्रोत्साहन अनिवार्य नहीं है। ऐसे मामलों में इस प्रोत्साहन को कम करने के लिए निर्यात शुल्क लगाये गये हैं और फिर भी विकास के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन छोड़ दिया गया है।

सरकार का यह उपाय प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि अर्थ-व्यवस्था का आधार सुदृढ़ बनाया जाये तथा भविष्य में प्रगति और उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाये परन्तु जब तक मुद्रास्फीति सम्बन्धी दबावों को काबू में रखने के लिए आवश्यक अनुशासन का पालन नहीं किया जाता तब तक यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम अपनी मुद्रा के मूल्य को केवल उसी प्रकार ही सुरक्षित रख सकते हैं और भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृति रोक सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : 1965-66 के वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि वाणिज्य मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्री यह पूरी तरह स्वीकार करते थे कि अवमूल्यन की कोई आवश्यकता नहीं है। अप्रैल और मई में अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद पर बोलते हुए मैं ने विभिन्न-निर्यात संवर्धन योजनाओं के बारे में कहा था ताकि गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हो सके। 1956 से भारत में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि रुपये के वास्तविक मूल्य और विदेशी मुद्रा से समर्थित क्रय शक्ति समता में अन्तर बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति का फल यह निकला है कि आयात-प्रधान उद्योग लाभ में है और निर्यात-प्रधान उद्योग हानि की स्थिति में है। उसका अर्थ निर्यात में भारी कमी और आयात में अत्याधिक वृद्धि है और ऐसा व्यापार संतुलन तथा इसके बाद भुगतान शेष से स्पष्ट हो रहा है।

अवमूल्यन के बाद की कार्यवाही के रूप में साधनों का प्रयोग अत्याधिक उन उद्योगों के लिए किया जाना चाहिये था जो निर्यात के काम में लगे हुये हैं तथा घरेलू उपभोग की वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों के लिए उत्तरोत्तर कम किया जाना चाहिये था और पूंजीगत वस्तुओं का आयात आधारित उद्योगों में कम प्रयोग किया जाना चाहिये था। परन्तु मंत्रालय ने जो कार्यवाही की है उससे विदेशी व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण अवमूल्यन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

अवमूल्यन के पश्चात्, उस प्रकार आयात-शुल्क लागू करना ही काफी नहीं था कि आयात-शुल्क पर वैसा ही प्रभाव पड़े जैसा 1965 में था परन्तु किया ऐसा ही जा रहा है । इसका फल केवल यही नहीं है कि माल के मूल्य में बृद्धि तथा रुपये के मूल्य में कमी हो रही है बल्कि उत्पादन-शुल्क पर जो प्रभाव पड़ा वह वैसा ही है जैसा उस समय था जब अवमूल्यन नहीं था ।

निर्यात-शुल्क सम्बन्धी समस्या इस से भी गम्भीर है । यह विरोधाभास है कि यदि निर्यात शुल्क न लगाया गया तो निर्यात किये जाने वाले माल की विदेशी मुद्रा में मूल्य कम हो जाने के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की अतिरिक्त आय में कमी हो जायेगी। वास्तव में विचार योग्य प्रश्न तो यह है कि तथाकथित परम्परागत उद्योगों को किसी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता है अथवा नहीं । परम्परागत उद्योगों के लिए भी अधिकाधिक संसाधनों को उपयोग में लाने की आवश्यकता है । यदि अत्यधिक लाभ रोकने के नाम पर शुल्क लगा दिया गया तो संसाधनों के यथासम्भव उपयोग में रुकावट पैदा हो जायेगी ।

इन निर्यातोन्मुख उद्योगों पर प्रस्तावित शुल्क लगाने पर वह परिणाम न हो सकेगा जिसकी अवमूल्यन के बाद आशा की जाती थी । संसाधनों के उपयोग की दिशा में परिवर्तन होना चाहिये ताकि निर्यातोन्मुख उद्योगों में अत्याधिक संसाधनों का उपयोग किया जा सके ।

यह अनुमान लगाया गया है कि अवमूल्यन से गैर-परम्परागत उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उन उद्योगों की ओर अधिकाधिक संसाधन बढ़ाये जायेंगे । अब वास्तव में गैर-परम्परागत उद्योगों के उत्पादन का निर्यात तो लगभग बन्द हो गया है ।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विशेष संवैधानिक संकल्प से संसाधनों के प्रयोग के रूप में होने वाले लाभ समाप्त हो जायेंगे । इस कारण इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। सभी प्रस्तावित शुल्क उचित नहीं हैं और उन से अवमूल्यन का प्रभाव ही समाप्त हो जायेगा। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची की मद (3) के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं जिसमें चाय पर निर्यात शुल्क में कुछ परिवर्तन करने के प्रस्ताव हैं ।

चाय उद्योग का हमारे देश की अर्थ व्यवस्था के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है । आज चाय उद्योग बड़ी दुर्दशा से गुजर रहा है । पिछले दस वर्षों में इस उद्योग में लाभ की मात्रा 9 प्रतिशत से कम हो कर 4 प्रतिशत रह गई है । सरकार को भी उस उद्योग पर आये हुये संकट में हाथ बटाना चाहिये क्योंकि इसके लाभ का 90 प्रतिशत सरकार के पास जाता है और केवल 10 प्रतिशत ही उद्योग को मिलता है । आशा की जाती है कि सरकार इस मामले पर ध्यान देगी और उसे ठीक करेगी ।

चाय के उपादन में कमी हो गई है। हम अब चाय के निर्यात में सब से आगे नहीं हैं। जैसी कि पिछले 65 वर्षों के दौरान हमारी स्थिति रही है बल्कि अब श्रीलंका ने विश्व की समूची मण्डी अपने हाथ में ले ली है । ब्रिटेन, अमरीका, संयुक्त अरब गणराज्य, कनाडा, ईरान तथा कुछ अन्य देशों को हमारा निर्यात दिन प्रति दिन घटता जा रहा है । सीरिया तथा लीबिया भी अपनी आवश्यकता के लिए चाय श्रीलंका से प्राप्त कर रहे हैं।

विश्व बाजार में हमारी चाय का मूल्य कुछ अधिक होने का एक कारण यह भी है कि हमारी उत्पादन-लागत बहुत अधिक है और उसके लिए हमारी राजकोषीय नीति मुख्य रूप से जिम्मेवार है । आज का यह संकल्प उस नीति का अंग बन जायेगा । चाय उद्योग सभी प्रकार के शुल्कों तथा करों का भुगतान करता है ।

कच्चे माल के मूल्यों में अनिवार्य रूप से वृद्धि, अधिक मजूरी, कानून द्वारा निर्धारित कम से कम बोनस तथा अधिक लागत पर श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के कारण भारतीय चाय की मूल लागत में वृद्धि हुई है । इस उद्योग द्वारा प्रति, एकक लागत कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के निमित्त इस उद्योग द्वारा किए गए बड़े प्रयत्नों के बावजूद एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जब कि इस उद्योग को सरकार से सीधी सहायता मांगनी पड़ती है ।

चाय के अतिरिक्त सभी निर्यात योग्य वस्तुओं के सम्बन्ध में संकल्प के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क वापिस किया जा सकता है । यह बात समझ में नहीं आती कि चाय के निर्यात के भाग पर भी उत्पादन-शुल्क क्यों लगाया जाता है । इसलिए, जैसा कि चाय वित्त समिति ने कई बार कहा है, आप कम से कम 18 पैसे प्रति किलोग्राम वापिस कर सकते हैं ।

दो रुपये प्रति किलोग्राम उत्पादन-शुल्क निर्धारित किया गया है जो कि मेरे विचार में बहुत अधिक है । यह बात बहुत सन्देहात्मक है कि अवमूल्यन के बाद सामान्य चाय भारत से बाहर भेजी जा सकेगी, इस में भेदभाव होगा । इसलिए, हमारा विचार यह है कि या तो सामान्य रूप से कमी की जाये या सरकार उसे मूल्य के अनुसार कर दे । यदि यह सम्भव न हो तो 1 रुपया 50 पैसे की सामान्य कमी की जानी चाहिये । यदि ऐसा किया जायेगा तो और अधिक निर्यात होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री वासुदेव नायर (अम्बलपुझा) : मंत्री महोदय ने कहा है कि जहां तक लाभों का सम्बन्ध है, विदेशी बाजारों में परम्परागत वस्तुओं के निर्यातकों को अवमूल्यन से अप्रत्याशित आय होगी । सभी उद्योगों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता परन्तु नारियल जटा उद्योग को कड़ी कठिनाई का सामना होगा । यह उद्योग बड़े संकट से गुजर रहा है । विशेषतया द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् नारियल जटा से बने हमारे माल को विदेशी बाजारों से लगभग परे रखा गया था तथा इसके परिणामस्वरूप नारियल जटा के बने माल के निर्यात में कमी हो जाने के कारण नारियल रेशा उद्योग का उत्पादन लगभग बन्द हो गया था ।

सरकार लाभ का कुछ भाग स्वयं प्राप्त करना चाहती है । इस कार्यवाही का फल यह होगा कि यह उद्योग दुर्बल रहेगा तथा कठिनाइयों से निकल नहीं सकेगा । अवमूल्यन के बाद कुछ निर्माताओं और निर्यातकर्ताओं ने श्रमिकों के प्रतिनिधियों को स्वयं यह बताया है कि शायद जब वह ऐसी स्थिति में होंगे कि लाभ का कुछ भाग श्रमिकों को दे सकें । वास्तव में अवमूल्यन के तुरन्त बाद मन्जूरी में अन्तरिम वृद्धि हुई है । जहां तक कर्मचारियों का संबंध है, वर्तमान सुझाव के बाद कोई परिणाम नहीं निकल सकता ।

सरकारी नीति की सब से बड़ी कमजोरी तथा त्रुटि यह है कि हम वास्तविक उत्पादकों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं । जहां तक नारियल जटा उद्योग का सम्बन्ध है मंत्री महोदय को यह

विश्वास दिलाना चाहिये कि वर्तमान सुझाव से कर्मचारियों को जो थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त होगा उसके मार्ग में वे रुकावट नहीं डालेंगे ।

श्री हिम्मतसिंह का (गोंडा) : अवमूल्यन के फलस्वरूप जो कई निर्यात करने वाली चीजों के दाम बढ़ जाने के विचार से कुछ एक दो चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। चाय उत्पादन का लक्ष्य चौथी पंचवर्षीय योजना में 10000 लाख टन पौंड था। पांचवी योजना में इसे 12000 लाख टन पौंड किया गया। यह तो तब ही सम्भव है यदि 25000 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर चाय की खेती हो और इसके लिए काफी धन चाहिए। चाय उद्योग के लिए चाय बोर्ड को कुछ राशि पेशगी दी है। परन्तु इस ऋण की शर्तें बहुत बढ़िया नहीं हैं। शर्तें काफी कठोर हैं। मेरा निवेदन यह है कि चाय बोर्ड को देने वाले इस ऋण की शर्तों को काफी उदार बना देना चाहिए।

इस दिशा में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार को दो प्रकार के ऋणों में भेद करना चाहिए। जो ऋण वाणिज्यिक कार्यों के लिए दिये जाते हैं उन्हें विकास कार्यों के लिए दिये जा रहे ऋणों से अलग रखना चाहिए। विकास कार्यों के लिए दिये जा रहे ऋणों के लिए तो कुछ उदारता दिखानी ही पड़ेगी। जो कम्पनियों को विकास के लिए कर्जा चाहिए उन्हें आसान शर्तों पर ऋण दिया जाना चाहिए। सामान्य चाय के लिए हम समझते हैं कि यह हम कम मूल्यों पर मिलनी चाहिए। इन मूल्यों में जो अन्तर है इसी के कारण अफ्रीका और लंका भारतीय चाय को पीछे फेंक विश्व की मंडियों में चाय बेच रहे हैं। हमें इस दिशा में ध्यान देना ही होगा। मेरा आग्रह यह है कि सामान्य चाय पर निर्यात शुल्क कम से कम 50 पैसे प्रति किलोग्राम कम कर दिया जाना चाहिए।

लगभग ठीक इसी तरह की स्थिति पटसन की है। पटसन हम अपनी जरूरत से कम पैदा करते हैं। अवमूल्यन के कारण पटसन के आयात पर काफी प्रभाव हुआ है और इसका मूल्य काफी बढ़ गया है। इस स्थिति में यह बड़ा ही आवश्यक हो गया है कि पटसन उद्योग की सहायता की जाय। पटसन की कीमतों में 57 प्रतिशत वृद्धि हो गयी है। अभी हाल ही में कुछ सहायता का वचन दिया भी गया था। परन्तु उस वचन का अब तक पालन नहीं किया गया है। कहा नहीं जा सकता कि उससे हमारी मांग पूरी होगी अथवा नहीं। पटसन का आयात बहुत ही कम हुआ है।

परम्परा से जो चीजें निर्यात हो रही हैं उनके अतिरिक्त जो चीजें हैं उनकी ओर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया और गैर-परम्परागत मदों का निर्यात करना चाहिए अन्यथा स्थिति का रूप यह हो जायेगा कि जिन लाभों को इस दिशा में हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उससे हम वंचित रह जायेंगे।

मूल्यों की वृद्धि का जहां तक सम्बन्ध है इस पर सरकार को पूरी तरह विचार करना चाहिए। हम यह दावा करते हैं कि हम कीमतों को बढ़ने नहीं दे रहे। परन्तु प्रत्येक राज्य बिक्री कर और उत्पादन शल्क में वृद्धि कर रहा है। इस कारण मूल्यों में कमी नहीं हो रही है। उस हालत में तो उनमें कमी हो ही नहीं सकती जब कि उत्पादन न बढ़ रहा हो। अतः मेरा यह अनुरोध है देश में पूरा प्रयास करहउपभोक्ता माल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। इसके बिना समस्या हल नहीं हो सकती।

देश का बहुत सा धन ऐसी मदों पर लगाया गया है जिस से न कुछ लाभ हो रहा है और न ही उत्पादन ही बढ़ रहा है। प्रयास किया जाना चाहिए कि उत्पादन बढ़े।

एक और बात भी पता लगी है कि जो चीजें देश में अपनी जरूरत से अधिक पैदा हो रही हैं, वे भी बाहर से मंगाई जा रही हैं। यह अफवाह है कि "कारबाईड" विदेशों से मंगाया जा रहा है। यदि 'कारबाईड' का उत्पादन देश की आवश्यकताओं से अधिक है तो इस मद के आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमें प्रयास यह करना चाहिए कि आयात कम करके आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी चीजों को प्रोत्साहन देने और निर्यात बढ़ाने के लिए सभी सम्भव कार्यवाही की जानी चाहिए। आयात करने वाली चीजों को हमें देश में बनाना चाहिए।

श्री जोकीम आल्वा (कानारा) : हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसी स्थिति आ गई है कि किसी दिन भी मामला बिगड़ सकता है। अवमूल्यन के बाद हमारा विदेशी ऋण काफी बढ़ा है। जून 5, 1966 को विदेशी ऋण की राशि 2,733.86 करोड़ थी, अब यह 4,102.57 करोड़ हो गया है। इस ऋण को कैसे अदा किया जाना है। प्रथम योजना के बाद हमारा ऋण 104 करोड़ था। तीसरे के बाद यह 2,629 करोड़ है। इस भारी राशि के भुगतान के लिए हमें विदेशी विनिमय चाहिए। और यह विदेशी विनिमय तो केवल निर्यात से ही मिल सकता है। परन्तु खेदजनक बात यह है कि हमारा निर्यात सन्तोष जनक नहीं है। कपास के आयात पर हम इतना काफी विदेशी विनिमय खर्च कर रहे हैं कि इसे रोका जा सकता है। सरकार को यह बताना चाहिए कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सरकार उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा पा रही। 1964–65 में हमारे निर्यात 816 करोड़ के थे और 1965–66 में यह 810 करोड़ हो गये हैं। आखिर यह क्यों हुए हैं? क्या हमारे मंत्रालय द्वारा इस दिशा में नितान्त उपेक्षा भाव अपनाया है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार काज की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही। खोपड़े का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। हमारे देश का एक बड़ा भूभाग काजू उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हमें काजू का उत्पादन बढ़ाना चाहिए ताकि अफ्रीका से काजू का जो निर्यात हम करते हैं वह कम हो और विदेशी विनिमय की कुछ बचत हो। इसी प्रकार की स्थिति नारियल की है। उसके उत्पादन में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। हम लंका से तथा अन्य देशों से नारियल आयात करते हैं। हम अपना उत्पादन क्यों नहीं बढ़ाते? इसके साथ ही मझे यह भी निवेदन करना है कि हमें अपने निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। इस समय निर्यात व्यापार कुछ लोगों के हाथ में है जो कीमती विदेशी मुद्रा चोरी-छिपे विदेशी बैंकों में रखते हैं। जो विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन करे उन पर अभियोग चलाया जाय तथा उन्हें दंड दिया जाय चाहे वे कितने ही बड़े आदमी क्यों न हों। कपड़े और पटसन की स्थिति भी लगभग इसी तरह की है यह भी पता चला है कि पटसन नेपाल के द्वारा चीन में जा रही है।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : यह बात गलत है कि सरकार अवमूल्यन का लाभ निर्यात व्यापारियों को नहीं दे रही, इसका लाभ वह स्वयं ले रही है। इस बारे में मेरा यह निवेदन है कि उत्पादन शुल्क की योजना सरकार के लिए लाभ का कोई साधन नहीं है। यह तो इसलिए किया जा रहा है कि देश को विदेशी मुद्रा की हानि न हो। यदि अवमूल्यन द्वारा विदेशी मुद्रा के अर्जन में कमी आ जाती है तो इसके लिए सभा सरकार को जिम्मेदार ठहरायेगी। कुल उत्पादन शुल्क का अनुमान 160 करोड़ है। स्टर्लिंग में यह 1250 लाख पौंड है।

इसके साथ ही मैं सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि इस योजना का उद्देश्य देश के लिये उन वस्तुओं में विदेशी मुद्रा कमाना था जिनसे इस से पूर्व बहुत सहायता नहीं दी गई थी। लगभग 80 प्रतिशत चीजें ऐसी हैं जिन पर अवमूल्यन हो जाने के कारण उनके मूल्यों में अन्तर आने वाला नहीं है। अत: इस बात का ध्यान रखना था कि मूल्यों को यहाँ बढ़ने से रोका जाय, वहाँ इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि मूल्य बहुत कम न हो जाय । यदि ऐसा न किया जाता तो इस पर सारे देश को आपत्ति होती । अत: काफी सोच-समझ कर जो शुल्क हमने लगाये हैं, उनका अनुपात दर के आधार पर था अथवा वह उत्पादन के एकक के खर्च के बराबर था।

चाय के बारे में श्री बरुआ ने कहा है कि उसकी विभिन्न कोटियाँ हैं। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि चाय जैसी वस्तु के बारे में मूल्य के अनुसार शुल्क लगाना तनिक कठिन है । चाय की विभिन्न श्रेणियाँ हैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा उत्पादन शुल्क निर्धारित करना सम्भव है कि चाय के प्रति एकक मूल्य संरक्षण किया जा सके। सामान्यत: अवमूल्यन करने के पश्चात् जो भी समस्या किसी सरकार के समक्ष होती है, वह यह होती है कि इस बात की ओर ध्यान दिया जाय कि विदेशी मुद्रा कमाने का एकक मूल्य कम न हो जाय। और निर्यात के उद्योगों और एककों के लिये कुछ लाभ रखा जाय ताकि निवेश विकास और उत्पादन से वे कुछ और लाभ उठा सकें । ऐसा करने के बिना हम देश के हित की रक्षा नहीं कर सकते थे।

इसी प्रकार पटसन का मामला है । पटसन पर अधिकतम निर्यात शुल्क 40 प्रतिशत का है। हमने 17½ प्रतिशत भाग प्राथमिक उत्पादक, मजदूर, दलाल, निर्माता, और निर्यातक इन सबके लिये छोड़ दिया है । वास्तव में जिन कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में हमने इस बात की उपेक्षा की है हमें अवमूल्यन के घोषणा के 15 दिन के अन्दर हमें कुछ तुरन्त करने पड़े। जिस उद्योग को वास्तव में घाटा हो और निर्यातकों को कुछ लाभ प्रोत्साहन, सहायता की आवश्यकता हो, वहाँ पर हमने उन उद्योगों के लिये पर्याप्त छूट दे दी है । यह इसलिये कि इससे लाभ उठाया जा सके । इसके अतिरिक्त शेष को छोड़कर हमें न केवल रुपये का, बल्कि पौंड और डालर आय भी सूरक्षित रखनी है । इसी पृष्ठभूमि में इस प्रकार की योजना है ।

इसके अतिरिक्त अन्य चीजें भी हैं उनके बारे में कई ऐसी हैं जिनको हम 18 से 20 प्रतिशत सहायता दे रहे हैं, अत: उनके लिये हमने कुछ कार्यवाही की हैं । पटसन के मामले में हमने "थाईनिस्टा" के लिये लगभग 250 रुपये प्रति टन और पाकिस्तानी लम्बे पटसन तथा अन्य देशों से मंगाये गये पटसन पर 500 रुपये प्रतिटन की आयात सहायता की घोषणा की है । यह सब कुछ कच्चे पटसन को आयात प्रोत्साहन देने के लिये किया गया है । अवमूल्यन से सर्वत्र इसके मूल्य बढ़ गये हैं । हम कच्चा पटसन और कपास विदेशों से मंगाते हैं, इसका कारण यह है कि उद्योगों के लिये इतने अधिक कच्चे माल की जरूरत होती है । यहाँ तक कि हमारे यहाँ अब भी उनकी कमी है ।

अवमूल्यन 57.5 प्रतिशत हुआ है । इस पर भी हम देख रहे हैं कि निर्यात को पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही है । हम इस दिशा में अवश्य कार्यवाही करेंगे । बात यह है कि अवमूल्यन किया ही इस विचार से गया था कि निर्यात की वृद्धि की जाय। हम सारी स्थिति का अध्यन करके सारी कठिनाइयों का पूरा-पूरा अनुमान लगायेंगे और इस दिशा में

जो भी अपेक्षित कार्यवाही सम्भव होगी वह की जायेगी। इसमें किसी को भी कोई सन्देह नहीं होना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे माननीय सदस्य जो चाय उद्योग में रुचि रखते हैं यह बतायें कि किस प्रकार 2 रुपये प्रति किलोग्राम का विशिष्ट शुल्क कुछ खण्डों में यथा मूल्य शुल्क में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा विशिष्ट शुल्कों का स्पष्ट रूप से इस प्रकार भेद किया जा सकता है कि विभिन्न किस्मों की चाय के लिये वह तीन अथवा चार खण्डों में हो तो सरकार इस मामले पर विचार करेगी। जब देश की समस्यायें बढ़ती जा रही हैं और संसाधनों की कमी है और विकास कार्यों के लिये अधिक विदेशी संशाधनों की आवश्यकता है तो हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि चाय जैसी वस्तुओं का अधिक निर्यात किया जाय और कम मात्रा में उपभोग किया जाय। हमें अपने निर्यात कर्त्ताओं पर गर्व है। उन्होंने बड़ा शानदार काम किया है। उन्होंने संसार की गहरी प्रतिस्पर्धा के होते हुये 820 करोड़ रुपये का माल निर्यात किया है। वे और अधिक माल की बिक्री कर सकते हैं यदि अधिक कृषि उत्पादन हो।

विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही गई है। करीब दस वर्ष पहले हमने सरकारी क्षेत्र का विस्तार 10 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये कर दिया है। जब तक गैर-सरकारी व्यापार द्वारा निर्यात को बढ़ावा मिलता है और उसका विविध रूप होता है, सरकार के हस्तक्षेप करने से समाज को कोई लाभ नहीं होता है। अतः सरकार विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण को सिद्धान्त के रूप में कभी भी मानने के लिये तैयार नहीं हुई है। हम यह चाहते हैं कि राज्य व्यापार निगम के द्वारा उन मदों को संभाला जाय जिनके सम्बन्ध में विदेशी साझेदारों से बड़ी मात्रा में बातचीत करने का ठेकेदारी लाभ उपलब्ध है। यदि राज्य व्यापार निगम द्वारा किसी वस्तु को संभाले जाने से राष्ट्रीय हित होता है तो हमें ऐसा करने में हिचकिचाना नहीं चाहिये। साथ साथ अनिश्चितता का वातावरण भी बनाये रखना भी खराब है। हमारे यहाँ मिश्रित अर्थ-व्यवस्था हैं। देश में अधिकाँश उत्पादन गैरसरकारी क्षेत्र के हाथों में है। यह देश के हित में नहीं होगा और यह बड़ा कठिन भी होगा कि सरकारी क्षेत्र का सम्पूर्ण व्यापार उससे ले लिया जाय। इसके अतिरिक्त मुझे केवल इतना ही कहना है कि इस संकल्प को स्वीकार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 (1934 का संख्या 32) की धारा 4क की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा दिनाँक 6 जून, 1966 के वाणिज्य मंत्रालय संख्या एस० ओ० 1696 में दी हुई भारत सरकार की अधिसूचना का अनुमोदन करती है, जो कि दिनांक 6 जून, 1966 की अधिसूचना संख्या 43 (3)—टार/66, दिनाँक 15 जून, 1966 के एस० ओ० 1841, दिनाँक 27 जून, 1966 के एस० ओ० 1940 तथा 15 जुलाई, 1966 के एस० ओ० 2133 द्वारा संशोधित की गई और जिसके द्वारा, इन अधिसूचनाओं की तारीख से टाट (कपड़ा थैले, ट्विस्ट, सूत, रस्सी तथा जूना), पटसन से बनी कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं, कच्चे सूत (सभी प्रकार का), चाय, गरी, और मूंगफली

को खली के अतिरिक्त सभी प्रकार की खलियों, तम्बाकू, अनिर्मित अभ्रक, सभी प्रकार का चर्म, खाल और चमड़ा, कमाया हुआ और कच्चा, सभी प्रकार का, परन्तु इसमें चमड़े की बनी वस्तुयें शामिल नहीं हैं, तथा नारियल जटा और नारियल जटा से बनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया गया।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

THE MOTION WAS ADOPTED

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : ECONOMIC SITUATION

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री शचीन्द्र चौधरी के निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करती है :

" कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाये । "

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : विरोधी सदस्यों ने इस बात पर आग्रह किया था कि अवमूल्यन पर चर्चा से पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाये परन्तु उस में भी उन्होंने अधिकाँशतया अवमूल्यन पर ही चर्चा की । दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्युपकुलपति ; श्री बी० एन० गुंगुली ने अवमूल्यन के आलोचकों की आलोचना का उत्तर दिया है । मैं इस बात पर बल दूंगा कि सरकार ने एक सच्चा तथा साहसपूर्ण निर्णय किया है । कुछ भी हो, अब अवमूल्यन एक सुनिश्चित तथ्य है और इस पर रचनात्मक दृष्टि से देखना चाहिये, न कि आलोचना की दृष्टि से । हमारे सामने इस समय तीन मार्ग हैं अर्थात् निर्यात बढ़ाना, आयात की स्थानापन्न वस्तुओं में वृद्धि करना तथा मुद्रास्फीति को रोकना । हमें इस बारे में ध्यान देना चाहिये कि हम अपने इन प्रयत्नों में सफल हों । अधिक निर्यात के लिए हमारे पास अधिक माल बचना चाहिये और ऐसा तभी सम्भव है जब हम उत्पादन अधिक करें।

इसलिए शीघ्र ही उत्पादन की कोई योजना बनाई जानी चाहिये मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए भी वस्तुएं अधिक मात्रा में मिलना आवश्यक है । ऐसा केवल केन्द्र में और राज्यों में राजकोषीय अनुशासन के माध्यम से ही सम्भव नहीं है, बल्कि उस के लिए राष्ट्र में सर्वांगीण अनुशासन की आवश्यकता है । जनसाधारण को आँदोलनों और उपद्रवों के लिए नहीं भड़काया जाना चाहिये जैसा कि कुछ विरोधी दल जानबूझकर है कर रहे हैं ।

गाँधी जी ने बार-बार इस बात पर आग्रह किया था कि हम देश में बेचैनी की स्थिति पैदा नहीं करना चाहते । देश में प्रति दिन हड़तालें, मोर्चे तथा ऐसे अन्य आँदोलन हो रहे हैं । जनता की शक्ति का उपयोग औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा खर्च में कमी करके के लिए किया जाना चाहिये । इस समय आवश्यक है कि हड़तालें, बन्द आदि स्थगित किये जायें ।

[श्री सोनावने पीठासीन हुये ।]

Shri Sonauane in the chair

श्री उ० मू० त्रिवेदी ने पश्चिमी जर्मनी में अत्याधिक उन्नति का उल्लेख किया है । वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि उसका कारण यह है कि वहाँ हड़तालें नहीं होती हैं ।

हमें व्यक्तिगत हित तथा देश के हित की दृष्टि से अपनी आय में गुजारा करने की आदत डालनी चाहिये ।

विरोधी दल सरकार के निर्णय की आलोचना राजकोषीय अथवा आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर नहीं करते । बल्कि उनकी आलोचना राजनैतिक उद्देश्यों पर आधारित होती है । सरकार को आलोचना करने की बजाय उन्हें अवमूल्यन के परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिये । हमें आत्म निर्भरता, अधिक उत्पादन, अधिक निर्यात, मूल्यों के स्थिरीकरण तथा विदेशी सहायता पर अधिक निर्भरता दूरकरने के लिए काम करना चाहिये ।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुज़ा) : मुझे आशा है कि मंत्री महोदय यह बात स्वीकार करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत एक गम्भीर संकट से गुज़र रहा है । मंत्री महोदय को यह प्रस्ताव रखना चाहिये था कि यह सभा देश में आर्थिक संकट पर विचार करें । मालूम होता है कि योजना आयोग चतुर्थ योजना के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि न करने का सुझाव देगा । उस सुझाव का कठोर विरोध किया जायेगा । यह भी दिखाई दे रहा है कि सरकार भारतीय तथा विदेशी एकाधिकारियों के दबाव के आगे झुक गई है । हाल ही में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि सरकार उर्वरक उद्योग क्षेत्र में कुछ और सहयोग के समझौते करने जा रही है । मालूम होता है कि इसके परिणामस्वरूप इस उद्योग में आने वाले कुछ वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र का अपेक्षाकृत अधिक हाथ रहेगा ।

जनसाधारण को सरकारी दोषपूर्ण नीतियों के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी दशा अधिक खराब हो गई है । उदाहरणतया केरल की 1961 की जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार 36.86 प्रतिशत परिवारों का आयव्ययक घाटे का आयव्ययक था और 45.35 प्रतिशत परिवार ऋणग्रस्त थे । एक परिवार का औसत ऋण 503.1 पैसे था । यह बात बहुत दुःखद तथा आश्चर्यजनक है कि केरल राज्य में केवल 33.31 प्रतिशत लोग काम में लगे हुए हैं जब कि अखिल भारतीय औसत 42 प्रतिशत है । निर्वाह-व्यय बहुत बढ़ गया है । आज की खराब अवस्था का मुख्य कारण यह है कि सरकार इतने दिनों से पूंजीवादी नीति पर चल रही है । यह सरकार पूंजीवादियों की, पूंजीवादियों के लिए और पूंजीवादियों द्वारा चलाई जाने वाली है । आज हम जिस घोर संकट में हैं, उसका और कोई कारण नहीं है । जब तक बुनियादी तौर पर यह नीतियां समाप्त नहीं होतीं, हम वर्तमान स्थिति से निकल नहीं सकते ।

सरकार ने कृषकों को बुरी तरह से धोखा दिया है । साम्यवादियों पर आरोप लगाया गया है कि वह सदा भूमि सुधार की बातें करते । परन्तु स्वयं योजना आयोग को इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा है कि यदि पर्याप्त मात्रा में कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाना है, तो भूमि सुधार का बड़ा प्रश्न निपटाना बहुत आवश्यक है ।

प्रश्न केवल भूमि सुधार का ही नहीं, बल्कि वसूली तथा मूल्यों का प्रश्न भी है । जब कभी मूल्यों का प्रश्न उठाया गया तो मंत्री महोदय ने कहा कि मूल्य आयोग नियुक्त किया गया है । जब कभी हमने खाद्यान्न में एकाधिकार व्यापार का वैकल्पिक कार्यक्रम रखा तो सरकार ने सदा यह कहा कि हमने खाद्य व्यापार निगम बनाया हुआ है । सत्तारूढ़ दल के निहित स्वार्थों के कारण खाद्य व्यापार निगम की कार्यवाहियों में काफी गड़बड़ी पैदा हो गई है क्योंकि उनकी चावल की मिलें हैं और वे चावल के व्यापार में लगे हुये हैं । वे चावल की वसूली में गड़बड़ी कर रहे हैं ताकि उपलब्ध सभी चावल, गेहूं, बाजरा और ज्वार खरीदा जा सके तथा

कृत्रिम कमी पैदा की जा सके। हमारी यह शिकायत है कि उस सरकार का देश में समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों में हाथ है। यदि खाद्य व्यापार निगम विक्रय योग्य फालतू अनाज का कम से कम 50 प्रतिशत वसूल कर सके तो हम बहुत सी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं तथा पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूं मंगवाने के लिये अमरीका पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और इसके लिए वाशिंगटन के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

यदि मूल्य निर्धारण की उचित नीति अपनाई जाये तो सरकार कृषकों से ही काफी मात्रा में खाद्यान्न की वसूली कर सकती है। यदि सरकार की वितरण प्रणाली ठीक होती तो वह सूखे के इस वर्ष में भी कठिनाइयों का सामना कर सकती थी। वास्तव में कमी 5 से आठ प्रतिशत से अधिक नहीं है। यदि हमें चावल की 100 बोरियों की आवश्यकता हो तो 95 हमारे पास पहले ही हैं। कृषि के क्षेत्र में सरकार की सब से बड़ी असफलता यह रही है कि वह वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामित्व देकर उन्हें प्रोत्साहन नहीं दे सकी है।

मैं अपने दल की ओर से यह सुझाव रखता हूं कि सभी विदेशी ऋणों का भुगतान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने का सरकार को तुरन्त प्रयत्न करना चाहिये। ऐसा करने से हम कम से कम 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं, इसके बाद लाभ के प्रेषण, लाभांश, स्वामित्व तथा पूंजी प्रत्यावर्तन पर, जिस पर विदेशी मुद्रा व्यय होती हो, सरकार को रोक लगानी चाहिये। सभी आवश्यक वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए क्या आयात के मामले में छानबीन करना सम्भव नहीं है। आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। पिछले कुछ वर्षों से हम अधिक या कम राशि के बीजक बनाने के कारण बहुत अधिक विदेशी मुद्रा खो रहे हैं। इस सम्बन्ध में इस के अतिरिक्त और कोई इलाज नहीं कि सरकार कम से कम अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात तथा निर्यात अपने हाथ में ले ले। संयुक्त अरब गणराज्य, बर्मा, माली आदि देशों ने आयात और निर्यात व्यापार अपने हाथ में लेकर अपनी कुछ समस्यायें हल कर ली हैं।

सरकार इस समस्या को कभी भी हल नहीं कर सकती क्योंकि वह समाज-विरोधी तत्वों से मिली हुई है और चुनाव के लिये उनसे धन लेती है। मैं सरकार पर जोर दूंगा कि वह अपनी मूल नीतियों का पुनरीक्षण करे क्योंकि इन नीतियों से पूंजीपतियों के विकास के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): आपको याद होगा कि 25 तारीख को मुझे निलम्बित कर दिया गया था जिस कारण मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सका। परन्तु जब मुझे मालूम हुआ इस प्रस्ताव पर आज चर्चा होने वाली है तो मैं ने स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 14 की सूचना दी। यह नियमानुसार है, अतः मैं अनुरोध करूंगा कि इसे प्रस्तुत करने की मुझे अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : श्री बनर्जी द्वारा बताई गई विशेष परिस्थितियों को देखते हुए मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 14 को प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं, अतः इसको प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा।

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति की जांच करें और अपनी आर्थिक नीतियों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। रुपये के अवमूल्यन के बारे में कई ओर से आलोचना की गई है। ऐसा कहा गया है कि अर्थ-व्यवस्था के खराब प्रबन्ध के कारण ही हमारे सामने वर्तमान स्थिति आई है।

यह भी कहा गया है कि विकास के बारे में भी हमने गलत नीति अपनाई है। हमारी अर्थ-व्यवस्था में कुछ मूलभूत ऐसी कठिनाइयां हैं जिन पर आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता। कृषि और खाद्य उत्पादन के मामले में हमारी स्थिति स्थिर है। खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस में बताया गया है कि पिछले दस वर्षों में विकास कर रहे देश खाद्य उत्पादन में उसी दर से वृद्धि कर पाये हैं जिस दर से उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ऐसा केवल भारत के लिये ही नहीं बल्कि विकास कर रहे सभी देशों के लिये कहा गया है। इन समस्याओं को सभी को महसूस करना चाहिये और इनको सुलझाने के लिये प्रयत्न करने चाहियें। केवल सरकार पर ही नहीं डाली जानी चाहिये। यह हमारी अर्थ-व्यवस्था की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनको हल करने के लिये ऊंचे स्तर के प्रशासनिक तथा आर्थिक अनुशासन की आवश्यकता है।

तीसरी योजना की कड़ी आलोचना की गई है। ऐसा कहा गया है कि न केवल तीसरी योजना में बल्कि पहली योजनाओं में भी हमने ऐसी नीतियों का अनुसरण किया है जिससे वर्तमान स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था स्थिर है और इसके लिये हमें कई कार्य करने होंगे। यदि हम कृषि उत्पादन के विकास को ही लें तो इस तथ्य के बावजूद कि बहुत से भूमि सुधारों को कार्यान्वित किया जाना है, बहुत से सुधारों को कार्यान्वित किया भी गया है हमें सिंचाई की सुविधायों, विद्युत बीज, उर्वरक और नये औजारों की व्यवस्था करनी है। जिन देशों में कृषि उत्पादन की दर अधिक है उनमें 40 प्रतिशत से अधिक धन उर्वरक आदि उद्योगों में लगा हुआ है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

यह भी कहा गया है कि हमने विनियोजन इस प्रकार से किया है जिससे हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिये चठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं और धन प्राप्त करने में आशा से कुछ अधिक समय लगा है। परन्तु हमने जो प्रगति की है हमें उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। 1950-51 में हम केवल 260 करोड़ की उपभोक्ता वस्तुएं बनाते थे परन्तु 1965-66 में हमने 487 करोड़ रुपये की वस्तुएं बनाई हैं। इस प्रकार हमने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि जहां 1950-51 में हम कुल 384 करोड़ की वस्तुओं का निर्माण करते थे 1965–66 में हम ने 1434 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्माण किया है। यदि हमने इस प्रकार प्रगति नहीं की होती तो भुगतान शेष की स्थिति और भी गम्भीर होती। 1950-51 में हमने अपनी मशीन टूल आवश्यकता का 40 प्रतिशत विदेशों से आयात किया था परन्तु 1964-65 में केवल 46.4 प्रतिशत टूल ही विदेशों से आयात किये गये हैं जबकि इनकी आवश्यकता कई गुना बढ़ गई है। इस प्रकार आगे भी हम अपनी अर्थ-व्यवस्था के बिभिन्न क्षेत्रों में क्रमशः अपनी निजी मशीनरी लगाने का यत्न कर रहे हैं।

अपनी आर्थिक स्थिति के लिये हमें एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाना है। जहां तक कार्यान्विति का सम्बन्ध है कहीं-कहीं कुछ गलतियां हुई हैं। परन्तु अपनाये गये समूचे दृष्टिकोण की इन गलतियों के कारण उपेक्षा करना गलत है।

ऐसा कहा गया है कि अवमूल्यन दबाव के अन्तर्गत किया गया है और कि अवमूल्यन को रोका जा सकता था। परन्तु मेरा कहना है कि यदि अवमूल्यन नहीं किया जाता तो हमारी अर्थ-व्यवस्था में बहुत कमियां रह जातीं। जैसा कि सदन को पता है अवमूल्यन के पश्चात बहुत सी निर्यात वाली वस्तुओं पर शुल्क लगाये गये थे। वास्तव में स्थिति यह है कि निर्यात की परम्परागत वस्तुओं पर केवल 10 से

40 प्रतिशत तक ही शुल्क लगाया गया है यद्यपि उन्हें 57 प्रतिशत का लाभ हुआ है। चूंकि देश के अन्दर वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक हैं इसलिये हमें निर्यातकर्ताओं को उपदान देना होगा। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं अथवा अपनी आवश्यकताओं के आयात के लिये साधन जुटाना चाहते हैं तो हमें चौथी योजना के अन्त तक निर्यात को 1200 करोड़ रुपये तक बढ़ाना होगा। हम केवल अत्यावश्यक वस्तुओं का ही आयात करते हैं। आयात करने से पूर्व इस मामले में अच्छी तरह छानबीन कर ली जाती है।

जो भी देश हमें ऋण देते हैं उनको हमारी भुगतान-शेष सम्बन्धी स्थिति जानने का अधिकार है। यह ऐसा प्रश्न जो उनको चिन्तित किये हुए था। हम पश्चिमी देशों, रूस तथा पूर्वी यूरोप के देशों से ऋण ले रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक हमें परामर्श दे सकते हैं। परन्तु उनके परामर्श को मानना अथवा न मानना हमारी इच्छा पर निर्भर है। हम उनके परामर्श की उपेक्षा भी कर सकते हैं। परन्तु उनके परामर्श की उपेक्षा करने का अर्थ यह होगा कि आयात कम होता तथा निर्यात करने में भी कठिनाई होती। इस बात का अनुमान भी लगाया जा सकता है कि इसका देश के भीतर मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता।

जहां तक सम्भव हो हमें मितव्ययिता करनी चाहिये। इसके लिये हम पूरी सतर्कता से काम लेंगे। कमियों को दूर करने के लिये पूर्ण सावधानी से काम लिया जायेगा। यह ठीक है कि इस समय देश में मुद्रा सफीति की स्थिति है। परन्तु फिर भी हमें तेजी से आगे बढ़ना है। इसके लिये हमें अपने निर्यात को बढ़ाना है तथा बचत को एकत्र करके विकास के कार्यों में लगाना है। जब तक निर्यात में वृद्धि नहीं होती तब तक केवल आयात पर नियंत्रण लगाने से भुगतान-शेष की समस्या हल नहीं हो सकती।

अवमूल्यन को किसी प्रकार से भी टाला जा सकता था। परन्तु इसके परिणाम अधिक गम्भीर होते। मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जाती और हम प्रगति करने में भी अपने आप को असमर्थ पाते।

हमें एक बात याद रखनी है कि रूस समेत कोई भी देश हमें सहायता नहीं दे रहा है। हम केवल ऋण लेते हैं और व्याज सहित इनको वापस करते हैं। इसलिये यह कहना गलत है कि कोई देश हमें सहायता दे रहा है तथा किसी देश ने हमें सहायता देने से इन्कार कर दिया था। चाहे वर्तमान सरकार रहे अथवा न रहे परन्तु ये समस्याएं तो रहेंगी और उनका सामना भी करना होगा।

आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि जहां हमें एक डालर के लिये 5 रुपये देने पड़ते थे अब हमें $7\frac{1}{2}$ रुपये देने पड़ेंगे। परन्तु यह धारणा ठीक नहीं है क्योंकि अवमूल्यन से पूर्व भी हमें 5 रुपये के निर्यात के लिये उपदान देना पड़ता था। इसलिये मैं कहूंगा कि अवमूल्यन ने हमें और अधिक आश्रित नहीं बना दिया है। यदि हम अपने निर्यात को बढ़ाने में सफल हो जाते हैं तो हमें अवमूल्यन से अवश्य ही लाभ होगा। अवमूल्यन के पश्चात की कई आवश्यक कार्यवाहियां की गई हैं। सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हमें विकास कार्यक्रम बनाना है तो इसके लिये देश में बचत करनी होगी। यदि हम विकास कार्यक्रमों के लिये साधन नहीं जुटाते तो घाटे की अर्थ-व्यवस्था का भय बना रहेगा। हम घाटे की अर्थ-व्यवस्था नहीं चाहते, इसलिये हमें विकास कार्यक्रम के लिये प्राथमिकताएं निर्धारित करते समय सावधानी से कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त गैर-आवश्यक उपभोग में कटौती करनी होगी। करों में चोरी की जाती है इसलिये कर इकट्ठा करने वाली व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा।

सरकार ने बहुत से कदम उठाये हैं और उठायेगी। हो सकता है ये कदम देश के कुछ लोगों को अच्छे न लगें परन्तु हम इनके लिये सदन तथा देश से सहयोग चाहते हैं।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : मैं अपना भाषण 20 से 25 मिनटों में समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा । मैंने सरकारी संकल्प का एक संशोधन प्रस्तुत किया था और आशा है कि उसको स्वीकार कर लिया जायेगा ।

[श्री सोनावने पीठासीन हुये ।]

[Shri Sonavane in the Chair.]

मैं अपना संशोधन पढ़ कर सुनाता हूं ।

सभापति महोदय : आपने पहले ही संशोधन संख्या 11 दे रखा है ।

श्री के० दे० मालवीय : वह मेरा प्रथम संशोधन था उसके पश्चात् मैं ने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिये हैं । मैंने दूसरे संशोधन की सूचना भी दे रखी है ।

यह सच है कि हमारे दल के भी बहुत से सदस्य देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति से प्रसन्न नहीं हैं । हम जिस नये समाज का निर्माण कर रहे हैं उसमें वर्तमान गड़बड़ अथवा आर्थिक व प्रशासनिक अनुशासनहीनता निहित है । अपने पिछड़े हुए समाज को हम जितना भी आगे ले जाने का प्रयत्न करेंगे हमें उतना ही अधिक दुख अथवा कठिनाइयों का सामना होगा । हमें इन पर काबू पाने के लिये अपने आप को अधिक से अधिक तैयार करना है ।

कांग्रेस दल देश में समाजवाद लाने के लिये वचनबद्ध है । वह इससे मुन्कर नहीं हो सकता । चूंकि सरकार भी कांग्रेस दल की है इसलिये सरकार की कुछ अधिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वह देश में समाजवाद को लाये ।

दुर्गापुर में स्थिति

Situation at Dnrgapnr

सभापति महोदय : लोहा और इस्पात मंत्री एक वक्तव्य देना चाहते हैं ।

श्री दाजी (इन्दौर) : कई माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षक सूचनाओं के द्वारा दुर्गापुर में स्थिति सम्बन्धी प्रश्न उठाने का प्रयत्न किया किन्तु अध्यक्ष महोदय ने उसे अस्वीकार कर दिया । अब मुझे बताया गया है कि सरकार ने अपने आप दूसरे सदन में दुर्गापुर में स्थिति पर एक वक्तव्य दिया है । इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि इस सभा को एक द्वितीय श्रेणी सभा का दर्जा क्यों दिया जाता है जबकि यह सभा प्रधान और सम्पूर्ण-प्रभुत्व-संपन्न सभा है । यह सभा मांग करती है कि परामर्श और सूचना के बारे में इस सभा को अग्रता दी जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : विषय पर पूरी कार्रवाई करने और सभी निर्णय लेने के पश्चात् उसे इस सभा के सामने लाया जाता है इस प्रकार इस सभा का अवमान किया जाता है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि मंत्री के वक्तव्य को ध्यानाकर्षक सूचना के उत्तर के रूप में स्वीकार किया जाये और हमें वक्तव्य के पश्चात् प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ताकि हम और अधिक तथ्य जान सकें । साथ ही मंत्री महोदय यह भी बतायें कि दूसरे सदन में वक्तव्य पहले क्यों दिया गया ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इस सभा के सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न को बनाये रखा जाये और किसी महत्व का वक्तव्य पहले इस सभा में दिया जाये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों की शिकायत यथार्थ है। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री पहले सूचना दे देते या इस सभा में पहले वक्तव्य देते। मंत्री के वक्तव्य देने के पश्चात् कुछ सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेंगी। पहले मंत्री को वक्तव्य देने दिया जाये।

लोहा तथा इस्पात मंत्री (श्री प्रि० ना० सिंह): कुछ दिन हुए हमें सूचना मिली थी कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कर्मचारी संघ जो कि एक अमान्य संघ है, के कुछ कर्मचारी, 5 अगस्त, 1966 को दुर्गापुर स्टील वर्कस के जनरल मैनेजर का "घेराव" डालने का विचार कर रहे थे। उस दिन कुछ कर्मचारियों ने एक ज्ञापन पेश किया था जिसमें कुछ नई मांगों की सूची थी। सायं साढ़े चार बजे लगभग 900 प्रदर्शनकारियों ने जनरल मैनेजर के दफतर को घेर लिया और उस से मिलने पर ज़ोर दिया। जनरल मेनेजर ने उनसे मिलने में अपनी असमर्थता प्रकट की परन्तु कहा कि वह उनके ज्ञापन पर उचित कार्यवाही करेंगे। परन्तु प्रदशकारियों ने उन्हें कमरे से निकलने नहीं दिया। जब वह रुकावट काफी देर तक चलती रही तथा प्रदर्शनकारियों ने चले जाने की अपील पर ध्यान नहीं दिया तो पुलिस ने अश्रुगैस छोड़ी और लाठी प्रहार किया। 12 कर्मचारी घायल हुए और उनमें से एक 6 अगस्त को अस्पताल में मर गया। प्रदर्शनकारी वहां से तो चले गये किन्तु ग्रांड ट्रंक रोड पर एकत्रित हो गये और पुलिस पर पत्थर फैंक तथा यातायात को रोकने का प्रयास किया। इस्पात कारखाने की एक 'जीप' को जलाने का प्रयास भी किया गया। इस पर पुलिस ने काबू पा लिया। इसके पश्चात् प्रदर्शनकारियों ने शिफ्ट के लिये आने वाली बसों के मार्ग में रुकावटें खड़ी करके उन्हें रोका तथा उनके पहियों की हवा निकाली दी। 6 अगस्त की प्रातः भी यह रुकावट जारी रही। बसों के एक बेड़े पर भीड़ ने आक्रमण किया जिसमें पुलिस, ड्राइवर तथा सुरक्षा विभाग के लोग घायल हुए। शरारतियों ने 13 बसों और एक जीप को आग लगा दी जिस में 9 बसें तो बिल्कुल बर्बाद हो गयीं और तीन बसों और एक जीप के कुछ हानि हुई। एक ड्राइवर को बचाने के लिये जिसे पुलिस ने नीचे घसीट लिया था तथा हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिस के फलस्वरूप एक कर्मचारी मर गया।

हिन्दुस्तान इस्पात का 'चेयरमैन' 7 अगस्त, 1966 की प्रातः रांची से दुर्गापुर गया और वहां प्राधिकारियों तथा मान्यताप्राप्त मज़दूर संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की। स्थिति शांत बतायी जाती है किन्तु पोलिस गोली के कारण मृतकों की राख उठाए नगर की गलियों में एक बड़ा जलूस निकाला गया था।

उपक्रम की रक्षा के लिये उचित व्यवस्था पहले ही कर ली गई थी और अब भी जारी है। परन्तु जैसा कि आवश्यक था, आवश्यक सेवाओं तथा तीन में से एक "कोक-भट्टी" बैट्री का कुछ भाग तथा तीन में से एक "बलास्ट फरनेस" को छोड़कर शेष सारे उत्पादन को बन्द कर दिया गया है। यह आशा की जाती है कि दो-तीन दिन में लगभग सामान्य कार्य पुनः आरम्भ हो जायेगा।

सरकार ने प्रबन्धकों से यह जानने के लिये कहा है कि जो दो कर्मचारी इन घटनाओं में मारे गये हैं उनके बारे में पता करें कि वे किन परिस्थितियों में मारे गये हैं। यदि उनके मामले में सहानुभतिपूर्ण कार्यवाही की आवश्यकता हुई तो सरकार इस बात पर विचार करेगी कि प्रबन्धकों से सिफारिश करे कि उनके परिवारों को कुछ कृपापूर्ण अनुदान दिया जाये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The workers had submitted memorandum before 900 demonstrators surrounded the General Manager's office as said by hon. Minister. I want to know that what were the conditions laid down in the Memorandum to which the

management was unable to agree ? Whether it is a fact that when the workers insisted on meeting him the management plainly refused them and misbehaved them. and also told them in harsh words that General Manager does not want to see them.

Shri T. N. Singh Under Labour Law, Management can discuss the matter as a whole with recognised unions only on behalf of the whole workers. It was under this compulsion that the workers were not allowed to meet the General Manager. As regards harsh words, I have not received any information. The demands of the workers included among others annual bonus for 1964-65, no retrenchment of construction workers, withdrawal of suspension orders on their followers in the steel melting shop and reinstatement of two discharged peons, Increased wages and D.A. common cadre for office staff, restoration of special disability leave, etc.

श्री स० मो० बनर्जी : इस बात को देखते हुए कि श्रमिकों की मांगें यथार्थ थीं और महाप्रबन्धक ने जानबूझकर इस आधार पर मिलने से इनकार कर दिया कि संघ अमान्य था । अब चूंकि गोली चलाई गई है और दो कर्मचारी मर गये हैं क्या मंत्रि महोदय पूरे मामले की अदालती जांच का आदेश देंगे । अधिकारियों के आचरण और गोली चलाने के कारण की भी जांच कराई जाए ।

श्री त्रि ना० सिंह : जहां तक मान्य और अमान्य संघ का प्रश्न है उनकी विश्वसनीयता की जांच करना मेरा विषय नहीं है । यह कहना कि महाप्रबन्धक ने जानबूझ कर इनकार किया ग़लत होगा । कानून के अनुसार प्रबन्धक केवल मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधियों के साथ बात कर सकता है । जहां तक अदालती जांच, कानून और व्यवस्था तथा पुलिस की कार्यवाही का सम्बन्ध है, ये विषय मेरे अधीन नहीं हैं । इस विषय पर बंगाल की सरकार निर्णय ले सकती है ।

श्री वासुदेवन नायर : प्रतिनिधि संघों को दबा दिया जाता है और उन्हें विश्वास में नहीं लिया जा सकता । क्या मंत्रि महोदय को यह मालूम है ? यदि हां तो उस को मंत्रालय क्या ठोस उपाय कर रहा है जिससे प्रतिनिधि विश्वास में लिये जायें । दरअसल इस समस्या के लिये सरकार उत्तरदायी है क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसा संघ नहीं है जिस में श्रम-प्रतिनिधियों को विश्वास हो ।

श्री त्रि० ना० सिंह : इस मामले की जांच करने के लिये मैंने बंगाल के श्रम मंत्री को कहा है । मुझे आशा है कि वह इस मामले की जांच करेंग ।

श्री दाजी : ऐसा कौन-सा कानून है जो प्रबन्धक को अपने कर्मचारियों से मिलने से रोकता है ? चूंकि ऐसी घटनायें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में फिर फिर हो रही हैं, सरकार घेबरभाई के प्रतिवेदन के स्वीकार कर ले और सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में गुप्त-मतदान द्वारा मान्यता लागू करे ।

श्री त्रि० ना० सिंह : कानूनी सलाहकारों ने जैसी सलाह दी है, उसके अनुसार मैंने स्थिति का हवाला दिया है । इस प्रश्न के बारे में मैं उनसे पूछूंगा ।

श्री काशी नाथ पांडे (हाता) : क्या यह सत्य है कि कानून के अन्तर्गत किसी संघ को मान्यता नहीं दी जाती और संघों को मान्यता केवल आचरण संहिता के अधीन दी जाती है जहां उन्हें यह करके दिखाना पड़ता है कि वह हिंसा और किसी प्रकार के बंध तथा घेराव सम्बन्धी कार्यवाही नहीं करते । यदि यह नीति जारी रहती है तो क्या मंत्रि ऐसे संघों को, जो काम न करने में विश्वास करते हैं, मान्यता देने का विचार करेंगे ? (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री त्रि० ना० सिंह : मैंने इसे नोट कर लिया है ।

एयर इंडिया द्वारा 'पी' फार्मों के बिना टिकट जारी किये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा

Half-an-Hour Discussion re: Issue of tickets by Air India without 'P' Forms

Shri Madhu Limaye In certain cases of issue of tickets by Air India withut 'P' Forms from the Reserve Bank of India, the investigating authorities were experiencing difficulties because papers relating to those cases had been deliberately destroyed. The Minister should tell us whether it was a fact that the papers had been destroyed.

The powers of the Enforcement Directorate were limited. The Minister should clarify as to why the whole matter was not entrusted to the C.B.I. for inquiry so that they could take possession of the papers and could also go into the cases where payments were made in rupees.

Shri Uppal had been advised by high officials of Air India to resign and get employment in some private company in order to safeguard himself from disciplinary action. Persons, who were corrupt while in Government service were welcomed by the private sector. It was a basic matter which should be attended to by the Minister.

The Minister deserved congratulations for removing Shri B.R. Patel. More stringent action should be taken against him. In a letter to the Finance Minister he had stressed the necessity of some special Central Government agency being entrusted with the task of probing the travels of Air India Interntional General Managers' non-dependent relatives.

The matter relating to the handling of M/s Finlantic charter had been brought to the notice of the Secretary, Department of Civil Aviation. The Secretary had not sent a clear reply. The Minister should tell us whether in view of the loophole in the law the dollar bills received as handling charges were put in his pocket by Major Srinivasan, Manager, Madras.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : 'पी' फार्मों के विषय में काफी निन्दा की गयी है और इसमें 'एयर इन्डिया इन्टरनेशनल' का उल्लेख किया गया है। जो कोई दोष है उसे दूर करने के लिये 'एयर इन्डिया' ने क्या रुचि ली है और क्या मंत्रालय ने इस मामले की छानबीन की है ? क्या सरकार ऐसी कार्यवाही कर सकती है जिससे 'एयर इन्डिया' ऐसे व्यवहार में न पड़े और यदि 'एयर-इण्डिया' का इन "पी" फार्मों से कोई सम्बन्ध है तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे वह इस अवधूर में न पड़ जाये ?

श्री वाजी (इन्दौर) : 'एयर-इन्डिया' द्वारा "पी" फार्मों का दुरुपयोग करने के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। क्या सरकार ने समिति के उन आरोपों तथा निष्कर्षों के बारे मैं जांच की है ? यदि जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम हैं और अभी तक समिति अथवा सभा को उत्तर क्यों नहीं भेजा गया ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Whether it is a fact that Shri Uppal did not come to witness the case of Shri Bakshi ? Whether the Government would conduct a judiciary inquiry into the matter and find out the truth ?

Certain officers of Air India, against whom allegations had been made, were given jobs in the private sector. Would the Government see that so long as all the facts did not come out and the case was pending, they should not be allowed to take jobs anywhere ?

श्री संजीव रेड्डी : जैसा कि श्री माथुर ने सुझाव दिया है हम सबका यह कर्त्तव्य है कि 'एयर-इन्डिया' की प्रसिद्धि पर आंच न आने दें। यदि एक या दो अधिकारी कोई गलती करते हैं तो हमें उसकी जांच करनी चाहिये और उन्हें सजा देनी चाहिये। अपराधी को क्षमा नहीं करना चाहिये किन्तु जब तक कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता उसकी निन्दा करना अनुचित है।

मैंने इस मामले की पूरी जांच की है और पूरी जानकारी मेरे पास है। न श्री बी० आर० पटेल और न ही उनके पुत्र बिना "पी" फार्म के गये थे।

स्थिति इस प्रकार है कि श्री बी० आर० पटेल तथा उनकी पत्नी को यात्रा करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उनके पास "पी" फार्म थे परन्तु इसके पश्चात् उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे यात्रा नहीं कर सकते इसलिये उन्होंने अपने पुत्र तथा बहू के नाम "पी" फार्म लिया निःसंदेह उन्होंने यात्रा की थी। कुछ समय पूर्व उनके एक अन्य पुत्र ने भी यात्रा की थी। यह सब बातें 1954-55 में हुई थीं। वह अपने तौर वहां गये थे। उनके दो पुत्र तथा बहू 'लुफ्थान्सा' के नियंत्रण पर गये थे तथा उनके पास 'पी' फार्म थे।

उन्होंने ऐयर इन्डिया के वायुयान से यात्रा नहीं की थी। वह अपने खर्च पर वहां गये थे। मैं नही जानता कि वह किसी सम्मेलन में भाग लेने अथवा वहां किस कार्य हेतु गये थे। प्रवर्त ने निदेशालय को पता चला है कि 55 व्यक्तियों ने बिना 'पी' फार्म के यात्रा की थी। मैं उनके नामों की सूची सभापटल पर रखने के लिये तैयार हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 6698/66]** यदि विरोधी दल के सदस्यों के पास अधिक जानकारी हो तो मैं उन से मालूम करने के लिये भी तैयार हूं। उप्पल के मामले के बारे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अनिमितताओं की जांच की जा रही है। वह अभी भी सेवा म हैं। इसलिये यह स्वभाविक है कि एयर-इन्डिया इस मामले में कार्यवाही करेगी। ऐसा कहा गया है कि कुछ लोग नौकरी छोड़ कर गैर-सरकारी क्षेत्र में चले गये हैं। परन्तु यदि वे कुछ अपराधी अनिमितताओं के लिये दोषी ठहराये जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। चाहे वे पद त्याग कर ही क्यों न चले गये हों। प्रवर्तन निदेशालय को कार्यवाही करने से कोई नहीं रोक सकता।

मुझे प्रसन्नता है कि उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। हम उनकी जांच कर रहे हैं। उनमें से कुछ सुझावों पर हमने कार्यवाही कर भी ली है। हम 'एयर इन्डिया' तथा 'एयर इन्डिया कारपोरेशन' दोनों में ही कार्य प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं।

यह सच है कि कुछ अधिकारियों ने अच्छा व्यवहार नही किया है और इस से कारपोरेशन के नाम को धब्बा लगा है। परन्तु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि इसने अच्छा कार्य भी किया है। इसको बने केवल 9 वर्ष ही हुए हैं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इसमें बहुत विकास हुआ है। इसके राजस्व में केवल 9 वर्षों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। इसने समूचे विश्व में अच्छी ख्याती भी प्राप्त कर ली है। मैं अपने माननीय मित्र श्री मधु लिमये को आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि वह मेरे ध्यान में कुछ अनिमियतताओं को लाते हैं तो चेयरमैन तथा जनरल मैनेजर के परामर्श से सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न यह है कि एयर-इन्डिया वाले उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सुझाव पर अथवा स्वयं ऐसी कार्यवाही क्यो नहीं करते जिस से कि ऐसी अनियमितताएं न हों।

श्री संजीव रेड्डी : पिछले कुछ महीनों में बहुत से उपाय किये गये हैं जिससे कि ऐसी बातें न हों। यदि मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात लाई गई तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 9 अगस्त, 1966/18 श्रावण 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 9, 1966/Sravan 18, 1888 (Saka)

GMGIPND—LS III—1429 (ai, LS—20-6 68—600.